शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

ोदारी समिति के द्वारा निम्नुसार बिन्दुओं पर सामान्य परिषद हेतु सदस्यो

त।

श्री. मे.इ. वलकार – रानीसर – 9109838884

~~श्री रेवाराम यादव मस्तूरी~~

त्र

~~श्री विजय मिश्रा 9752112854 सिरगिट्टी~~

तिनिधि

~~श्री दुर्गासहाय अवस्थी मस्तूरी 7553996482~~

~~श्री राजेन्द्र बंसल नयापारा 9993772712~~

~~श्री संध्या देवी राठौर गतौरा 9009872747~~

~~आशीष अवस्थी मस्तूरी 9981786595~~

ओं से

श्री संजय गुप्ता मस्तूरी 8269830415

~~श्री यदुराम साहू हरदाडीह 9617567900~~

~~गोविंद मैं..खनी मस्तूरी 9977701971~~

~~श्री फेरुसिंह ठाकुर भनेसरी 9993601135~~

ते

~~श्री विजय अनंत मस्तूरी 9893097701~~

~~श्री परदेशी राम जगत लेवरा 8120119550~~

~~श्री राजेन्द्र राठौर गतौरा 9329459665~~

PRINCIPAL
Govt. Patalesnwar College
Masturi Distt. Bilaspur (C.G.)

अध्यक्ष
जनभागीदारी समिति शासकीय
महाविद्यालय मस्तूरी
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर (छ0ग0)

आदेश

क्रमांक /अ0व0लि0/2017 बिलासपुर दिनांक /02/2017

मा0 प्रभारी मंत्री महोदय जिला बिलासपुर के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर शासकीय महाविद्यालय में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये जनप्रतिनिधि को आगामी दो शिक्षा सत्रों हेतु जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया जाता है:—

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय का नाम	मनोनीत अध्यक्ष का नाम एवं पता
01.	शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा	श्री गणेश लुनिया पार्षद न.पं.बिल्हा
02.	शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा	श्री अनिल साहू पार्षद फिरंगीपारा कोटा
03.	शासकीय पं. माधवराव सप्रे महाविद्यालय पेन्ड्रारोड (गौरेला)	श्री रवि रोहणी ,पार्षद,अंबेडकर नगर वार्ड क0–15 गौरेला
04.	शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर	श्री अनिल यादव,पार्षद,रतनपुर
05.	शासकीय मदनलाल शुक्ला महाविद्यालय सीपत	श्री संतोष पाटनवार,सरपंच,ग्राम पंचायत कुकदा
06.	शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी	श्री नरेन्द्र वस्त्रकार, सरपंच ग्रा0 पंचा0 मतौरा, तहसील मस्तूरी
07.	शासकीय महाविद्यालय मरवाही	श्रीमती प्रतिभा मिश्रा,जनपद सदस्य,मरवाही

यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त तक लागू रहेगा।

(अन्बलगन पी0)
कलेक्टर
बिलासपुर छ0ग0

पृ0क्रमांक 954/अ0व0लि0/2017 बिलासपुर दिनांक 27/02/2017

प्रतिलिपि:—

1— निज सचिव,माननीय श्री अजय चंद्रकर जी मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,संसदीय कार्य (प्रभारी मंत्री जिला बिलासपुर) मंत्रालय नया रायपुर।

2— प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।

3— आयुक्त,छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय,इंद्रावती भवन नया रायपुर।

4— प्राचार्य ....शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी.... जिला–बिलासपुर छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5— सर्व संबंधित श्री/श्रीमती.................................. जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अन्बलगन पी0)
कलेक्टर
बिलासपुर छ0ग0

कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी
जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

फोन नं – 07752–273135 ई मेल – govtcollegemasturi@gmail.com

क्र./555/स्था./2019 मस्तूरी,दिनांक 7/1/19

प्रति,

जिलाधीश महोदय
जिला–बिलासपुर छ.ग.

विषय :– जनभागीदारी समिति का गठन निरस्त करने बाबत्।

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ 10–20/2018 एक/1 अटलनगर, दिनांक 20.12.2018।

महोदय,

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्र के विषयान्तर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय में गठित जनभागीदारी समिति का गठन छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ 10–20/2018 एक / 1 अटलनगर, दिनांक 20.12.2018 आदेशानुसार जिलाध्यक्ष बिलासपुर के द्वारा गठित समिति निरस्त कर दी गई है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :–

1 छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर का आदेशित पत्र।

डॉ. (श्रीमती) मंजू त्रिपाठी
प्राचार्य
शास.पातालेश्वर महाविद्यालय
मस्तूरी, जि. बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. 556/स्था./2019 मस्तूरी,दिनांक 7/1/19

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, अटल नगर रायपुर।

डॉ. (श्रीमती) मंजू त्रिपाठी
प्राचार्य
शास.पातालेश्वर महाविद्यालय
मस्तूरी, जिला–बिलासपुर छ.ग.

PRINCIPAL
Govt. ... College
... (C.G.)

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 जनवरी 2019 — पौष 26, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-12/2013/38-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) सेवा के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) भर्ती नियम, 2019 कहलायेंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(ख) **"आयोग"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
(ग) **"समिति"** से अभिप्रेत है चयन समिति या विभागीय पदोन्नति समिति, जैसा कि अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट है;
(घ) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
(ङ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(च) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
(छ) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ञ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(ट) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित);

(ठ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

(ड) दिव्यांगजन से अभिप्रेत है,–

(1) ऐसा व्यक्ति, जो दृष्टिहीन हैं, यदि वह निम्नलिखित दशाओं में से किसी एक से ग्रस्त हो :–

(एक) दृष्टि का पूर्णतः अभाव हो;

(दो) बेहतर आंख में परिषाधी लेंस से दृष्टिगत तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (सैलन) से अधिक न हो, या

(तीन) सामने की दूर दृष्टि का क्षेत्र 20 अंश के कोण तक सीमित हो या उससे कम हो।

(2) ऐसा व्यक्ति जो बहरा हो, यदि उसमें दैनिक प्रयोजन के लिये अपेक्षित श्रवण संवेदना का अभाव हो, यहां तक कि वह विस्तारित आवाज को भी बिल्कुल सुन या समझ नहीं सकते । ऐसे व्यक्ति इस प्रवर्ग में शामिल होंगे, जिनमें सुनने का ह्रास बेहतर कान में 80 डेसिबल से अधिक (अधिकतम कमी) हो या दोनों कानों में सुनने का पूरा ह्रास हो।

(3) उन व्यक्तियों को शारीरिक अशक्तता से ग्रसित समझा जायेगा, जिनमें ऐसा कोई शारीरिक दोष या विकृति हो, जिससे शरीर में हड्डियों, मांस पेशियों या जोड़ो की सामान्य क्रियाशीलता में बाधा पहुंचती हो।

(ढ) "नेट" से अभिप्रेत है यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा;

(ण) "सेट/स्लेट" से अभिप्रेत है राज्य पात्रता परीक्षा, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित अथवा 02.06.2002 को या उसके पूर्व किसी अन्य राज्य द्वारा संचालित सेट/स्लेट परीक्षा।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:–

(क) चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये; और

(घ) शासन द्वारा किसी महाविद्यालय को लिए जाने के पश्चात्, नियम 17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार आमेलन द्वारा ।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.–** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.–** सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) आयु– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगीः–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु

इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए

छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ञ) सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ाधिकारी के पद में भर्ती के लिये शासकीय सेवा में प्रवेश करने हेतु उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के आधार पर छूट प्रदान करने के उपरांत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप-(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं** – अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शित है:

परन्तु –

(1) आपवादिक मामलों में, आयोग, शासन की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खंड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिसके कारण आयोग अभ्यर्थी का परीक्षा/चयन में सम्मिलित किया जाना न्यायोचित ठहराता हो; और,

(2) ऐसे अभ्यर्थियों को, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो ऐसे विश्वविद्यालय है, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई हैं, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा/चयन हेतु शामिल किये जाने के लिये विचार किया जा सकेगा।

(तीन) फीसः– (क) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, चिकित्सीय परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी फीस का भुगतान करना होगा, जैसा कि शासन द्वारा विहित की जाए।

9. **निरर्हता.**– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन हेतु शामिल होने के लिये निरर्हित माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जायेः

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि

यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**– (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, आयोग द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **चयन (प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार) के माध्यम से सीधी भर्ती.**– (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

(2) प्रतियोगी परीक्षा, ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा निर्देशों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन द्वारा आयोग के परामर्श से समय–समय पर जारी किया जाये। आयोग, यदि उचित समझे, शासन के परामर्श से इस सेवा या किसी अन्य सेवा में भर्ती के लिये संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा।

(3) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से की जायेगी, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखा जायेगा। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा। उक्त उपबंध के अध्यधीन रहते हुये नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला को अधिमान दिया जायेगा ।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों को, शासन द्वारा समय–समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी किये गये आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थी, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक हैं और जिनका आरक्षण के फलस्वरूप चयन किया गया है, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप–नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. **आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.–** (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों एवं प्रत्येक प्रवर्ग के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों की, जो महिला/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के प्रवर्ग में आरक्षण के फलस्वरूप चयनित किये जायें, उनके मेरिट क्रम से सूची तैयार करेगा तथा शासन को अग्रेषित करेगा, जिसकी नियुक्ति हेतु वैधता, शासन को सूची के भेजे जाने की तिथि से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) आयोग द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिये प्रत्येक प्रवर्ग हेतु एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्गों के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी होने की तिथि से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण— प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों की 25 प्रतिशत तक आंकलन करने के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप–नियम (1) एवं (3) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा। तथापि, प्रतिक्षा सूची से नियुक्ति, आयोग की सहमति के बिना नहीं की जा सकेगी।

(5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्ही कारणों से वह अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतिक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है तो आयोग, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम, अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आयोग, शासन को विधिमान्य कारणों का कथन करते हुए अधिकतम 6 माह के लिये चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किए जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि होना माना जायेगा।

(11) उप–नियम (9) एवं (10) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, जब तक कि शासन, युक्तियुक्त कारण का कथन करते हुए वृद्धि करने हेतु कोई अनुशंसा नहीं करता।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जाएगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार होगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन्

1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर या अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिए विचारण हेतु कोई आधार नही होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो की प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए प्रर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) आधार पर की जानी हो वहां विचारण क्षेत्र, कुल रिक्त

पदो के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवक पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो विचारण क्षेत्र में कुल रिक्त पदों के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश पदोन्नति हेतु लागू होंगे।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.–** (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 13 एवं 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाले अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से 1 एवं न्यूनतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है, तो यथास्थिति, समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

16. **आयोग से परामर्श.–** (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची, शासन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:–

(एक) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त ऐसे सदस्यों के अभिलेख, जिसका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है।

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण के लिए समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।

(2) यदि पदोन्नति समिति में आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर, अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों तो उप–नियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही अपेक्षित नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग के साथ पृथक परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी।

17. **आमेलन द्वारा भर्ती.–** (1) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किये गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ाधिकारी का आमेलन, छानबीन समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण

करने के उपरांत, की गई उनकी अनुशंसा पर किया जाएगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :—

(एक) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य;

(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;

(तीन) आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;

(चार) सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिन्हें शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;

(पांच) यदि उपरोक्त (एक) से (चार) तक में अजा/अजजा वर्ग का कोई सदस्य न हो, तो इस प्रवर्ग से न्यूनतम एक सदस्य, शासन द्वारा नामांकित किया जायेगा।

(2) छानबीन समिति, समुचित पदों पर आमेलन के लिए उसे निर्दिष्ट मामलों के बारे में निम्नलिखित आधारों पर सिफारिश करेगी :—

(एक) वे समस्त व्यक्ति, जिन्हें छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के प्रारंभ के पूर्व, शासन द्वारा कार्य—भार ग्रहण किए गए निजी महाविद्यालयों में संबंधित विश्वविद्यालय की महाविद्यालयीन संहिता में दिए गए उपबंधो के अनुसार नियमित नियुक्ति के रूप में भर्ती किया गया था;

(दो) छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1967 एवं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालय शाखा) भर्ती नियम, 1990 के प्रारंभ होने के पश्चात्, भर्ती किया गया ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त नियमों में विहित न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, आमेलित नहीं किया जाएगा;

(तीन) किसी व्यक्ति को आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसे पूर्व में किसी भी समय शासकीय या किसी अन्य सेवा में साबित हुए अवचार और/या दाण्डिक अपराध के कारण हटाया गया हो या पदच्युत किया गया हो;

(चार) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, यदि उसने आमेलन के समय प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर ली हो;

(पांच) किसी व्यक्ति को, जो राज्य सरकार द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए किसी अशासकीय महाविद्यालय में रजिस्ट्रार या ग्रंथपाल या क्रीड़ाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या उस रूप में पद धारण कर रहा हो, तब तक शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि नियुक्ति के समय ऐसा व्यक्ति न्यूनतम् अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो या ऐसी अर्हताएं धारण न करता हो, जो राज्य शासन द्वारा लिखित आदेश द्वारा अधिकथित की जाए;

(छः) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में आमेलित नहीं किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति को, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित नहीं की गई है।

(3) (एक) किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में उस पद से उच्च पद पर आमेलित नहीं किया जाएगा, जिस पर कि वह शासन द्वारा महाविद्यालय के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व कर कार्य रहा था;

(दो) स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के रुप में आमेलन किये जाने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शासन द्वारा कार्यभार ग्रहण किये गए किसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा है, इस नियम में विहित अन्य शर्तों के अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि उसे न्यूनतम 14 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो जिसमें से तीन वर्ष का अध्यापन का अनुभव स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का हो और दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव प्राध्यापक के रूप में हों, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर आमेलन के लिए, उपरोक्त के अतिरिक्त, दो वर्ष का स्नातक महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।

(4) इस नियम के सुसंगत उपबंधों पर विचार करने के पश्चात्, छानबीन समिति, शासन को उपयुक्त सिफारिश करेगी। समिति की सिफारिश किए जाने के पश्चात्, शासन द्वारा संबंधित व्यक्ति के आमेलन आदेश, समिति की सिफारिश के अनुसार जारी की जाएगी।

(5) किसी विशिष्ट पद पर आमेलित व्यक्ति की वरिष्ठता, उस महाविद्यालय के अधिग्रहण तिथि से होगी।

(6) किसी अशासकीय महाविद्यालय में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा शासकीय सेवा में उसके आमेलन पर कोई अवकाश अग्रणित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, अशासकीय महाविद्यालय में की गई सेवा के संबंध में यदि ऐसा व्यक्ति अवकाश वेतन अभिदाय का भुगतान करता है तो उसे इस प्रकार अर्जित अवकाश को अग्रणित करने हेतु छत्तीसगढ़ अवकाश नियम में विहित निर्बंधनों तथा अधिकतम् सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा।

(7) इस नियम के उपबंधो के अनुसार शासकीय सेवा में आमेलित कोई व्यक्ति, इस तथ्य के आधार पर कि अशासकीय महाविद्यालय द्वारा पूर्व में ही सेवा से उसे स्थायी किया जा चुका था, अधिकार के तौर पर यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे शासकीय सेवा में स्थायी किया जाए, ऐसे व्यक्ति का स्थायीकरण समय–समय पर प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(8) इन नियमों के उपबंधों के बारे में यही और सदैव यही समझा जाएगा कि वे 1 जनवरी 1971 से प्रवृत्त हुए हैं।

(9) शासन द्वारा, कार्यभार ग्रहण किए गए अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल तथा क्रीडाधिकारी, जिसकी नियुक्ति, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति के रूप में अनुमोदित की गई थी, किन्तु जिन्हें छानबीन समिति द्वारा किसी भी कारण से शासकीय सेवा में आमेलित किए जाने हेतु अग्रहीत (अस्वीकार) किया गया था उस पद पर जिसे वे धारित किये थे, तदर्थ और अस्थायी आधार पर समाप्त होने वाली कैडर (डाइंग कैडर) के रूप में बने रहेंगे, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा में उस रूप में वरिष्ठता पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा वेतनमान पुनरीक्षण के लाभ प्राप्त नही होंगे।

18. **चयन सूची.**– (1) आयोग, शासन से प्राप्त दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि उसकी राय हो कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा इस पर विचार करने के पश्चात यदि शासन कोई मत प्रकट करे तो ऐसे मत पर ध्यान देते हुए, ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सिविल सेवाओं के सदस्यों की पदोन्नति के लिये अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से 31 दिसंबर तक विधिमान्य रहेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (एक) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(दो) साधारणतः उस अधिकारी की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

20. **परिवीक्षा.**– (1) (क) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ख) परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(2) सेवा में पदोन्नति से भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।

21. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 4 एवं 5 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01	प्रथम श्रेणी	37,000–67,000 + ए.जी.पी. 10,000
2.	प्राचार्य – स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	58+8	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 3000
3.	प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य सम्पर्क अधिकारी (राष्ट्रीय सेवा योजना)	187+6	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000 + विशेष वेतन 2000
4.	प्राध्यापक एवं उपसंचालक, उच्च शिक्षा	592+6	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000
5.	पदोन्नत प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000
6.	सह–प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	प्रथम श्रेणी	37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000

7.	(क) सहायक प्राध्यापक	3855	द्वितीय श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) सहायक प्राध्यापक (रू. 6000 से अधिक ए.जी.पी.)	—	प्रथम श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600–39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000
8.	(क) क्रीड़ा अधिकारी	116	द्वितीय श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) क्रीड़ा अधिकारी (रू. 6000 से अधिक ए.जी.पी.)	—	प्रथम श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600–39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000
9.	(क) ग्रंथपाल	125	द्वितीय श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 6,000
	(ख) ग्रंथपाल (रू. 6000 से अधिक ए.जी.पी.)	—	प्रथम श्रेणी	15,600–39,100 + ए.जी.पी. 7,000 15,600–39,100 + ए.जी.पी. 8,000 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स.क्र.	सेवा /पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा राजपत्रित)			
1.	आयुक्त, उच्च शिक्षा	01	–	–	100%	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से
2.	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	58+8	–	100%	–	राज्य संपर्क अधिकारी, उपाधि प्राचार्य के काडर में से होगा जिसे राष्ट्रीय सेवा योजना का सात वर्ष के कार्य का अनुभव हो।
3.	प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	187+6	–	100 %	–	25 % सीधी भर्ती प्राध्यापक 75 % पदोन्नत प्राध्यापक
4.	प्राध्यापक और उप संचालक, उच्च शिक्षा	592	100 %	–	–	
5.	पदोन्नत प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	–	100 %		वे पद विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जायेंगे। पदोन्नत प्राध्यापकों के ऐसे पदों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अर्हता वाले सह– प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सह–प्राध्यापक की पदोन्नति अनुसूची चार में वर्णित उपबंधों के अधीन विहित सेवा कालावधि पूरी करने के पश्चात् तथा उसमें विहित अर्हताएं की शर्तें पूर्ण करने पर सेवा अभिलेख के अनुसार की जायेगी।

6.	सह–प्राध्यापक	संख्या निर्धारित नहीं	--	100 %	–	ये पद विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जायेंगे। सह–प्राध्यापकों के ऐसे पदों की कोई निर्धारित संख्या नहीं होगी और इन पदों की संख्या अपेक्षित ज्येष्ठता और अर्हता वाले सहायक प्राध्यापकों की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी। सहायक प्राध्यापक के पद से पदोन्नति अनुसूची चार में वर्णित उपबंधों के अधीन विहित सेवा कालावधि पूरी करने के पश्चात् तथा उसमें विहित अर्हताएं रखने पर सेवा रिकार्ड के आधार पर की जायेगी।
7.	सहायक प्राध्यापक	3855	100 %	--	–	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
8.	क्रीड़ा अधिकारी	116	100 %	--	–	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।
9.	प्राचार्य	125	98 %	2%	–	(1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा। (2) केवल ड्राइंग कैडर के सहायक प्राचार्य के लिये, इन अधिकारियों के पदोन्नति के पश्चात भविष्य में ये पद पदोन्नति से नहीं भरे जायेंगे।

टीप:– अनुक्रमांक 7, 8 एवं 9 में उल्लेखित पदों की 7000, 8000 एवं 9000 एकेडेमिक ग्रेड पे में स्थानन की प्रक्रिया, अनुसूची–चार में दी गई टिप्पणी के अनुसार होगी।

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

स.क्र.	सेवा / पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राध्यापक और उप संचालक, उच्च शिक्षा	31 वर्ष	45 वर्ष	(क) (एक) प्रतिष्ठित विद्वान जिसकी पी.एच.डी. में अर्हता अपने संबंधित / सम्बद्ध / सुसंगत विषय में प्राप्त है, जिनकी प्रकाशित रचना उच्च कोटि की है, जो कि वर्तमान में शोध कार्य में सक्रिय है तथा जिसके प्रकाशित ग्रंथ का साक्ष्य विद्यमान है तथा न्यूनतम रूप से उनकी कम से कम 10 रचनाएँ, पुस्तकों एवं / अथवा शोध / विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र के रूप में प्रकाशित हो। (दो) किसी भी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, एवं / अथवा विश्वविद्यालय / राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में / उद्योगों में अनुभव हो, जिसमें पीएच.डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशानिर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो । (तीन) शैक्षणिक नवोन्मेष, नवीन पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी–माध्यमयुक्त अध्यापन प्रशिक्षण प्रक्रिया में विस्तार। (चार) न्यूनतम समेकित एपीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट है, जिसे शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी । अथवा न. (ख) उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यक्ति, जिसकी अपने सापेक्ष कार्य क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा हो तथा जिसने संबंधित / सम्बद्ध / सुसंगत विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया हो तथा जिसका प्रमाणीकरण प्रत्यायकों द्वारा किया जाए।
2.	सह. प्राध्यापक	29 वर्ष	43 वर्ष	(एक) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ संबंधित विषय में पी. एच.डी. की उपाधि। (दो) किसी भी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो, एवं / अथवा विश्वविद्यालय / राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में / उद्योगों में अनुभव हो, जिसमें पीएच.डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशानिर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो। कम से कम पांच रचनायें, पुस्तकों एवं / अथवा शोध / विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र के रूप में प्रकाशित हो । (तीन) शैक्षणिक नवोन्मेष, नवीन पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी–माध्यमयुक्त अध्यापन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया में विस्तार।

				(चार) न्यूनतम संकेतित एपीआई स्कोर, जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी ।
3.	सहायक प्राध्यापक	21 वर्ष	30 वर्ष	(क) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि स्तर में संबंधित विषय में कम से कम 55% अंक (अथवा/एवं 7 बिन्दु ग्रेडिंग पद्धति में ग्रेड "बी") अथवा किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि । (ख) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के बाद भी, अभ्यर्थी को यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित (मान्यता प्राप्त) समतुल्य परीक्षा जैसे कि स्लेट/सेट उत्तीर्ण करना होगा। (ग) उप–खण्ड (क) तथा (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या जिन्हें प्रदान की गई हो, को सहायक प्राध्यापक या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिये नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी । (घ) ऐसे विषयों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिये नेट/स्लेट /सेट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, के लिये नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।
4.	क्रीड़ा अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	(क) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा खेलकूद विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा समतुल्य डिग्री अथवा यूजीसी 7 पाइंट स्केल में श्रेणी "बी") तथा अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो। (ख) अन्तर–विश्वविद्यालय/अन्तर–महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय और/ या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व का रिकार्ड हो। (ग) राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जो इस उद्देश्य से यू.जी.सी. द्वारा अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित हो, आयोजित की गई हो, में अर्ह हो। (घ) इन नियमों के अनुसार संचालित शारीरिक क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो ।
				(ङ.) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो, को खेल अधिकारी या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(च) शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधी मापदण्ड :-

(एक) उपरोक्त प्रावधानों के अध्यधीन, ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिनके लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होता है, के द्वारा ऐसे परीक्षाओं में उपस्थित होने से पूर्व ऐसी चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा जिससे सत्यापित होगा कि वह चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है।

(दो) उपरोक्त उप-खण्ड (एक) के अंतर्गत ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, नीचे दिये गये मापदण्डों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक सक्षमता परीक्षा देना होगा :-

<table>
<tr><td colspan="4">पुरूषों के लिए मापदण्ड</td></tr>
<tr><td colspan="4">12 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा</td></tr>
<tr><td>30 वर्ष तक</td><td>40 वर्ष तक</td><td>45 वर्ष तक</td><td>50 वर्ष तक</td></tr>
<tr><td>1800 मीटर</td><td>1500 मीटर</td><td>1200 मीटर</td><td>900 मीटर</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="4">महिलाओं के लिए मापदण्ड</td></tr>
<tr><td colspan="4">8 मिनट की दौड़/चाल की परीक्षा</td></tr>
<tr><td>30 वर्ष तक</td><td>40 वर्ष तक</td><td>45 वर्ष तक</td><td>50 वर्ष तक</td></tr>
<tr><td>1000 मीटर</td><td>800 मीटर</td><td>600 मीटर</td><td>400 मीटर</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>टीप:- क्रीड़ा अधिकारी के पद के लिये-

(एक) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्ह अभ्यर्थियों के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षा, छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित/नामांकित विभाग या एजेन्सी द्वारा लिया जायेगा ।

(दो) शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनर्ह अभ्यर्थी चयन प्रकिया के लिये अपात्र होंगे ।</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>ग्रंथपाल</td>
<td>21 वर्ष</td>
<td>30 वर्ष</td>
<td>(1) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/ डाकूमेंटेशन विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ऐसी समतुल्य व्यावसायिक उपाधि (अथवा जहां ग्रेडिंग पद्धति लागू है पाइन्ट स्केल में समतुल्य ग्रेड अथवा यूजीसी अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित समतुल्य व्यवसायिक उपाधि तथा पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का ज्ञान एवं अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो ।
टीप -
(1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ दिव्यांग (शारीरिक एवं दृष्टिबाधित दिव्यांग)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट की प्रदान की जायेगी, 55 या 50 प्रतिशत अंक को पूर्णांकित किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये कृपांक भी छूट हेतु स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।</td>
</tr>
</table>

(2) यूजीसी अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था (एजेंसी) द्वारा इस प्रयोजन हेतु संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अथवा सेट/स्लेट परीक्षा पुस्तकालय विज्ञान में अर्ह हो।

(3) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. उपाधि हो या प्रदान की गई हो, को ग्रंथपाल या उसके समतुल्य पद में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता की शर्तों की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

टीप– सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ाधिकारी/ग्रंथपाल के लिये :–

(1) ये अभ्यर्थी, जो दिनांक 11 जुलाई, 2009 के पूर्व सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ाधिकारी/ ग्रंथपाल पद के लिये एम.फिल./पीएच.डी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत है, उपाधि प्रदान करने वाले संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों द्वारा शासित होंगे। पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन न्यूनतम पात्रता शर्तों से छूट प्राप्त होगी :

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो;

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;

(ङ.) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो ।

उपर्युक्त (क) से (ङ.) को कुलपति/ प्रति–कुलपति/ संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/ संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(2) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड से अभिप्रेत है: –

(एक) स्नातक (अन्डर ग्रेजुएट)– न्यूनतम 50%

(3) यू.जी.सी. की परिवर्तन तालिका के अनुसार, प्रतिशत अंकों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जायेगा:–

श्रेणी	श्रेणी बिन्दु (पाईंट)	समतुल्य प्रतिशत
'O'	5.50 - 6.00	75 - 100
'A'	4.50 - 5.49	65 - 74
'B'	3.50 - 4.49	55 - 64
'C'	2.50 - 3.49	45 - 54
'D'	1.50 - 2.49	35 - 44
'E'	0.50 - 1.49	25 - 34
'F'	0.00 - 0.49	00 - 24

				(4) (एक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन तथा दृष्टिहीन व्यक्ति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी–लेयर) के संवर्ग के व्यक्तियों को, शिक्षण संबंधी पदों पर सीधी भर्ती के दौरान उनके पात्रता एवं अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के निर्धारण के उद्देश्य से स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5% की छूट प्रदान की जा सकेगी । पात्रता के लिए 55% अंक (अथवा जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहां पर 'पाइंट स्केल' की समकक्ष श्रेणी) तथा उपरोक्त उल्लिखित संवर्गों के लिये 5% की छूट, किसी अनुग्रह अंक के सम्मिलित करने की प्रक्रिया के बिना, केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी । (दो) ऐसे पीएच.डी. उपाधि धारक, जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली हो, के अंकों में 5% की छूट प्रदान की जायेगी जो कि 55% से 50% तक होगी। (तीन) जहां पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहां संबंधित श्रेणी, जो 55% के यथा समतुल्य मानी गई हो, पात्रता समझी जायेगी।

टिप्पणी :–

(1) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात् "अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष" के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 3–2/2002/1–3, रायपुर दिनांक 16.09.2008 के निर्बंधन, प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे;

(2) अनुसूची–तीन के कॉलम (5) के अंतर्गत प्राध्यापक/उप संचालक एवं सह प्राध्यापक, उच्च शिक्षा के पदों के लिए उच्चतर आयु सीमा निम्नानुसार होगी :–

स.क्र.	प्रवर्ग	उच्चतर आयु सीमा	
		प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुरुष (अनारक्षित)	45 वर्ष	43 वर्ष
2.	पुरुष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग)	50 वर्ष	48 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित)	55 वर्ष	53 वर्ष
4.	महिला (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग)	60 वर्ष	58 वर्ष
5.	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा (आरक्षित/अनारक्षित प्रवर्ग)	60 वर्ष	58 वर्ष

(3) प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ लेने के पश्चात् उच्चतर आयु सीमा क्रमशः 60 वर्ष एवं 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी है के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी ।

अनुसूची–चार

(नियम 14 एवं 15 देखिये)

स.क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव की न्यूनतम अवधि	चयन समिति / विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय, संयुक्त संचालक तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति, स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्यों में से उन प्राचार्यों की, उपाधि महाविद्यालय संवर्ग की संयुक्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर की जावेगी, जिन्हें प्राचार्य के पद का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। पदोन्नति, योग्यता सह-ज्येष्ठता के आधार पर होगी। परन्तु अनुभव की शर्त उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनके नाम पर ज्येष्ठता होते हुए भी पूर्वतर पदोन्नतियों के समय विचार नहीं हो सका।	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य –अध्यक्ष (2) प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा –सदस्य (3) आयुक्त, उच्च शिक्षा–सदस्य	
2.	प्राध्यापक / पदोन्नत प्राध्यापक तथा उप संचालक, उच्च शिक्षा	प्राचार्य स्नातक महाविद्यालय, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा तथा राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना	स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति, कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले प्राध्यापकों में से योग्यता–सह–ज्येष्ठता के आधार पर की जावेगी। विभागीय पदोन्नति समिति, प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए सीधी भर्ती के प्राध्यापकों तथा पदोन्नत हुए प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूचियां अलग–अलग तैयार करेगी। इन सूचियों में से प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती के प्राध्यापकों का 25 प्रतिशत एवं पदोन्नत प्राध्यापकों का 75 प्रतिशत होगा। पदोन्नत प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूची उनके सहायक प्राध्यापक के पद पर वरिष्ठता के आधार पर बनाई जावेगी। सीधी भर्ती के प्राध्यापकों की ज्येष्ठता सूची लोक सेवा आयोग से जारी चयन सूची में दर्शाये गये ज्येष्ठता क्रम के आधार पर होगी।	तदैव	
3.	सह–प्राध्यापक	पदोन्नत प्राध्यापक / उप संचालक	उन सह–प्राध्यापक को, 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 10,000 के वेतनमान वाले प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी, जिन्होंने :–	तदैव	

			(क) सह प्राध्यापक के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) न्यूनतम समेकित ए.पी.आई. स्कोर जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे कि शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी। (ग) कार्य निष्पादन संबंधी विगत 05 वर्षों का मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर बहुत अच्छी हो।		
4.	सहायक प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	उन सहायक प्राध्यापक को, 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान वाले सह प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी, जिन्होंने– (क) सहायक प्राध्यापक के रूप में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) वेतनमान 37,400–67,000 + ए.जी.पी. 9,000 के वेतनमान में कम से कम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ग) न्यूनतम समेकित ए.पी.आई. स्कोर जैसा कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट हैं, जिसे कि शासन द्वारा पृथक से अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी। (घ) कार्य निष्पादन संबंधी विगत 05 वर्षों का मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर बहुत अच्छी हो।	तदैव	अनुभव एवं योग्यता, जो कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में उल्लेखित है, के आधार पर, सहायक प्राध्यापक की पदोन्नति सह–प्राध्यापक के पद में की जायेगी।

टिप्पणी :–

(1) सहायक ग्रंथपाल के पद, डाइंग काडर के है तथा ये पद समाप्त होने वाले पद है। अत उपर्युक्तानुसार, इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की पदोन्नति के पश्चात्, भविष्य में ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नतियां नहीं होंगी।

(2) सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी तथा ग्रंथपाल को ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी होगी :–

(क) ज्येष्ठ वेतनमान हेतु– सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी को, 15600–39100 के वेतनमान में ग्रेड वेतन 7000 के ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन किया जायेगा, यदि उसने :–

(एक) नियमित नियुक्ति के पश्चात् 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। यदि वह पी.एचडी अथवा एम.फिल धारक हो तो सेवा काल क्रमशः 4 एवं 5 वर्ष पूर्ण कर ली हो;

(दो) यदि वे पीएचडी धारक है तो एक ओरिएन्टेशन एवं अन्य के लिये एक ओरिएन्टेशन एवं एक रिफ्रेशर कोर्स जो गुणवत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट मापदण्डों के समरूप हो,

(तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट निरंतर संतोषजनक हो।

(ख) प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु– ज्येष्ठ वेतनमान में कार्यरत सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी, प्रवरश्रेणी के वेतनमान में रखे जाने हेतु पात्र होंगे, यदि उसने :–

(एक) ज्येष्ठ वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी के रुप में कम से कम 11 वर्ष, पी.एचडी एवं एम.फिल धारक के लिये क्रमशः 9/10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो;

(दो) ज्येष्ठ वेतनमान में पदांकन के उपरांत दो रिफ्रेशर पाठ्यक्रम/ग्रीष्मकालीन संस्थाओं में जो प्रत्येक लगभग 4 सप्ताह की अवधि का हो, भाग लिया हो या वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप समुचित अवतरण शिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हो; और

(तीन) उसकी कार्य निष्पादन संबंधी मूल्यांकन निरंतर अच्छी हो।

(3) ज्येष्ठ वेतनमान तथा प्रवरश्रेणी वेतनमान में पदांकन के लिये छानबीन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(एक) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त संचालक	–	संयोजक
(दो) उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग	–	सदस्य
(तीन) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा नाम निर्दिष्ट)	–	सदस्य
(चार) उच्च शिक्षा से संबंधित एक शिक्षाविद	–	सदस्य

छानबीन समिति, सूची में रखे जाने की उपयुक्तता अवधारित करने हेतु समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार छानबीन का कार्य संपादित करेगी।

नोट :– ज्येष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु यू.जी.सी. एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

अनुसूची–पांच
(नियम 17 (1) देखिये)
आवेदन का प्रपत्र
(सहायक प्राध्यापक/क्रीड़ा अधिकारी/ग्रंथपाल के पद हेतु)

फोटो पासपोर्ट साइज (अनुप्रमाणित)

1. नाम तथा पता : ....
: ....
: ....

विषय : ....

2. राज्य का नाम (जहां जन्म हुआ हो) : ....
3. जन्म तारीख (अंकों में) : ....
(शब्दों में) : ....
4. पद के लिये विज्ञापन दिए जाने वाले वर्ष में 1 जनवरी .... को आयु वर्ष .... माह .... दिन ....
5. शैक्षणिक अर्हताएं :–

मंडल/विश्वविद्यालय	वर्ष	श्रेणी	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) हायर सेकेण्डरी				
(ख) स्नातक				
(ग) स्नातकोत्तर				

प्रत्येक के लिए अंकसूची की अनुप्रमाणित प्रति अपेक्षित है।

6. यदि एम.फिल/पी.एच.डी. उपाधि दी गई है, तो विषय का उल्लेख करें तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें : ....
7. यदि अभ्यर्थी अ.जा./अ.ज.जा. प्रवर्ग का है तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नाम का उल्लेख करें तथा सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें : ....
8. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियोजित हो तो अपना पदनाम, संस्था का नाम तथा विभाग का नाम दर्शित करें : ....
9. अन्य कोई जानकारी, जो अभ्यर्थी देने का इच्छुक हो : ....

....
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख..............................
स्थान..............................

भाग ४ (न)

अन्तिम नियम

म. प्र. शासन, शिक्षा विभाग

क्र. ७४६-बीस-मशिक्षा-स्था. भोपाल, दिनांक २२ अप्रैल, १९७५

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती सम्बन्धित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम

महाविद्यालयीन शिक्षा (अराजपत्रित)

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—

(१) ये नियम मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, १९७४ कहलायेंगे।

(२) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में अधिसूचित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

२. परिभाषायें :—इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा से है या उनके अधीन ऐसे कोई अधिकारी से है, जिसे सेवा में या पद पर नियुक्ति की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है या शासन द्वारा भविष्य में प्रत्यायोजित की जावेगी।

(ख) शासन.—"शासन" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है।

(ग) राज्यपाल.—"राज्यपाल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है।

(घ) राज्य.—"राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है।

(च) अनुसूची.—"अनुसूची" से तात्पर्य इन नियमों में संलग्न अनुसूची से है।

(छ) सेवा.—"सेवा" से तात्पर्य मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) से है।

(ज) समिति.—"समिति" से तात्पर्य पदोन्नति प्रवरण समिति से है, जैसा कि अनुसूची चार में गठित की गई है।

(झ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति.—"अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति" से वही अर्थ होगा जो कि उनके लिये संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खण्ड २४ तथा २५ में क्रमशः दिया है और जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर उस रूप में अनुसूचित किया गया हो (तथा इसका तात्पर्य ऐसी जातियों और जनजातियों से है, जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में घोषित की जावे)।

(ट) संचालक.—"संचालक" से तात्पर्य संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश से है।

(ठ) परीक्षा.—"परीक्षा" से तात्पर्य प्रतियोगिता परीक्षा से है।

३. विस्तार तथा प्रयुक्ति.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, १९६१ में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

४. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे.—

(१) वे व्यक्ति जो इन नियमों के लागू होने के समय अनुसूची १ (अ) एवं (ब) में उल्लिखित पदों को मौलिक रूप से धारण किये हों, तथा

(२) वे व्यक्ति जो इन नियमों के लागू होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(३) वे व्यक्ति जो कि इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती या पदोन्नत किये गये हों।

Scanned by CamScanner

५. वर्गीकरण वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण, उसका वेतनमान और सेवा में शामिल पदों की संख्या संलग्न अनुसूची १ (अ) एवं (ब) में दिये गये उपबन्धों के अनुसार होगी।

परन्तु सेवा में सम्मिलित स्थायी अथवा अस्थायी पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार शासन वृद्धि या कमी कर सकेगा।

६. भर्ती की विधि.—

(१) इन नियमों के लागू होने के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित विधियों से की जायेगी :—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा और/या चयन के द्वारा सीधी भर्ती।

(ख) मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा के सदस्यों की [जैसा कि अनुसूची ४ के कालम (२) में उल्लिखित है] पदोन्नति द्वारा।

(ग) निर्दिष्ट सेवाओं में निर्दिष्ट पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों के स्थानान्तर द्वारा।

(२) उप-नियम (१) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची २ में दर्शाये उल्लिखित पदों की संख्या के साथ अनुसूची २ में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(३) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन भर्ती की किसी भी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष पद या पदों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर समिति के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जावेगी।

(४) उप-नियम (१) में दी गई किसी बात के होते हुये भी यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुये ऐसा करना यदि जरूरी हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी शासन के सामान्य प्रशासन विभाग से पूर्व अनुमति लेकर सेवा भर्ती करने सम्बन्धित उन तरीकों को छोड़, जिनका कि उप-नियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो वह इस सम्बन्ध में जारी किये आदेश निर्धारित करे।

७. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के लागू होने के पश्चात् समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा की जायेंगी जिसके लिये वे अधिकृत हैं और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम (६) में उल्लिखित भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात की जावेगी, अन्यथा नहीं।

८. सीधी भर्ती किये जाने वाले उम्मीदवारों की पात्रता सम्बन्धी शर्तें.—किसी भी उम्मीदवार को चुनाव के पात्र होने के लिये निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(१) आयु.—

(क) चयन होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को उसने (अनुसूची-३ के खाने में निर्दिष्ट) आयु पूरी कर ली हो, किन्तु (अनुसूची ३ के खाने ४ में) निर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो आयु की अधिकतम सीमा में अधिक से अधिक ५ वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ग) उन उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में भी जो कि मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे लिखी सीमा तक तथा शर्तों के अधीन रहते हुये छूट दी जावेगी :—

(१) स्थायी शासकीय कर्मचारी की आयु ३८ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(२) अस्थायी शासकीय कर्मचारियों की आयु सीमा ३८ वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। यही सुविधा कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होगी।

(३) ऐसा उम्मीदवार छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा के अधिक से अधिक ७ वर्ष तक की अवधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी। बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से ३ वर्षों से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण—छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो राज्य अथवा संघटक इकाइयों में से किसी भी इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम ६ माह तक निरन्तर रहा हो और जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक ३ वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

Scanned by CamScanner

(४) जो उम्मीदवार, भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जावेगी बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से ३ वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण.—शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित किसी भी प्रवर्ग में रहा हो और जो भारत सरकार के अधीन कम-से-कम ६ मास की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो और जिसको किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक ३ वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी हो जाने के कारण छटनी की गई हो, अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो :—

(१) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो।

(२) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो और (१) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर (२) भर्ती सम्बन्धित शर्तें पूरी हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो।

(३) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी।

(४) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवा मुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं)।

(५) ऐसे अधिकारी जिन्हें कि अवकाश रिक्तियों पर ६ माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो।

(६) असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किये गये भूतपूर्व सैनिक।

(७) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि वे सक्षम सैनिक बनने के योग्य नहीं रहे।

(८) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने के कारण तथा घाव आदि हो जाने के बाद चिकित्सा मण्डल की सिफारिशों के अनुसार सेवा से अलग कर दिया हो।

टीप.—उपर्युक्त नियम ८ (१) (ग) (१) तथा (२) में उल्लिखित आयु सम्बन्धी रियायतों के अन्तर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के लिये चुना गया हो वे यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद चयन के पहले या बाद में सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन-पत्र भेजने के पश्चात सेवा या पद से उसकी छटनी कर दी जाये तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। किसी भी अन्य मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी।

अन्य विभागों में कार्यरत उम्मीदवारों को चयन हेतु प्रस्तुत होने हेतु अपने नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(२) शैक्षणिक अर्हतायें—उम्मीदवार के पास सेवा के लिये निर्धारित ऐसी शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिये जो कि अनुसूची ३ में दर्शाई गई है, परन्तु —

(क) अपवाद के मामलों में शासन के आदेश से किसी ऐसे उम्मीदवार को, अर्हता प्राप्त उम्मीदवार माना जा सकेगा, जिसके पास भले ही इस खण्ड में निर्धारित अर्हता में से कोई भी अर्हता न हो, किन्तु जिसने किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित परीक्षायें ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जिसके कारण नियुक्ति प्राधिकारी उम्मीदवार को चयन के योग्य समझता हो, और

(ख) ऐसे उम्मीदवारों के सम्बन्ध में भी जो अन्यथा अर्हता प्राप्त हों किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हों जो शासन द्वारा विशिष्ट रूप में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हों, शासन के आदेश से चयन समिति के विवेकानुसार चयन के लिये विचार किया जा सकेगा।

(३) शुल्क.—उम्मीदवार को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

९. अनर्हता.—उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिये किसी भी जरिये से सहायता प्राप्त करने हेतु किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन के सम्बन्ध में अनर्हता माना जावेगा।

१०. उम्मीदवारों की पात्रता के निर्णय के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का अधिकार.—चयन के सम्बन्ध में किसी भी उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

Scanned by CamScanner

११. सीधी भर्ती.—

(१) (क) चयन द्वारा :—

१. सेवा में इन पदों को छोड़कर जिनका उल्लेख खण्ड (ख) में किया गया है भर्ती के लिये चयन ऐसे अन्तरावधियों में किया जायेगा, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित करें।

२. सेवा के लिये उम्मीदवारों का चयन, चयन समिति के द्वारा उनसे प्रत्यक्ष भेंट करने के बाद ही किया जायेगा।

(ख) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा :—

(१) सेवा में प्रयोगशाला सहायक, निम्न श्रेणी लिपिक, सहायक (संचालनालय) एवं शीघ्र लेखकों के पदों में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तर से ली जायेगी जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर निश्चित करें।

(२) प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार ली जायेगी जिन्हें शासन समय-समय पर प्रसारित करे।

(२) (एक) निम्न श्रेणी लिपिक के ९० प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा १० प्रतिशत पद कार्यालयीन चतुर्थ वर्ग के ऐसे कर्मचारियों में से ज्येष्ठता प्रधान योग्यता गौण के आधार पर इस शर्त के साथ नियुक्ति कर भरें जायेंगे कि उम्मीदवार हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो और नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर यदि ये मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते तो उनको मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

(दो) सहायक (संचालनालय) पदों के २५ प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा ७५ प्रतिशत पद अनुसूची ४ (ब) में उल्लेखित संचालनालय के कनिष्ठ लेखा परीक्षक एवं लेखापालों में से योग्यता प्रधान ज्येष्ठता गौण के आधार पर पदोन्नत कर भरे जावेंगे।

(तीन) इन पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक परीक्षा या तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

(चार) सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम योग्यता उपर्युक्त (तीन) पर दर्शाये गये अनुसार ही रहेगी तथा आयु २८ वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। इन्हें निर्धारित परीक्षा देनी होगी तथा पद पर नियुक्ति परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्तांक के आधार पर होगी।

(पांच) अन्य शासकीय कर्मचारी भी सीधी भर्ती के लिये उम्मीदवार के रूप में आवेदन कर सकेंगे तथा परीक्षा में बैठ सकेंगे।

(३) सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध रिक्त स्थानों में से १६ तथा २० प्रतिशत स्थान तथा पिछली बार के अवशिष्ट स्थान, यदि कोई हो, क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सुरक्षित रखे जावेंगे।

(४) इस प्रकार रक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार नियम १२ (२) में निर्दिष्ट सूची में आये उनके नामों के अनुसार किया जावेगा। चाहे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उनका आपेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो।

(५) ऐसे उम्मीदवारों को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों और जिन्हें चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने की दृष्टि से सेवा में नियुक्त करने के लिये योग्य ठहराया गया हो, उप नियम (३) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये रक्षित स्थानों पर नियुक्त किया जावेगा।

(६) यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उनके लिये रक्षित सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में न मिल सकें तो शेष रिक्त स्थान अन्य उम्मीदवारों में से भरे जायेंगे तथा अगले होने वाले चयनों के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्त स्थान उपर्युक्त नियम ११ (३) में दी गई रीति से रक्षित रखे जायेंगे बशर्ते कि इन जातियों के लिये कुल सुरक्षित स्थान किसी भी समय रिक्त पदों के ४५ प्रतिशत से अधिक न हो।

१२. (१) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयन किये गये उम्मीदवारों की सूची.—नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित किये गये मानकों के अनुसार कई उम्मीदवारों की योग्यता क्रम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों की सूची जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है किन्तु जिन्हें चयन समिति/नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुये सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया है, सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रसारित की जावेगी। यह सूची एक वर्ष तक वैध रहेगी।

(२) चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची.—चयन द्वारा नियुक्ति के लिये चयन समिति ऐसे उम्मीदवारों के, जिन्हें वह सर्वाधिक उपयुक्त समझे, सम्यक रूप से अधिमानक्रम में रखे गये नाम तथा अन्य ब्यौरे तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के ऐसे उम्मीदवारों के नाम और अन्य ब्यौरे, जो यद्यपि उस मानक के अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें चयन समिति ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुये सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया है, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगी।

Scanned by CamScanner

(३) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, १९६१ के उप-बन्धों के अधीन उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों के बारे में उसी क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से सूची में नाम दिये गये हों।

(४) जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का उनके द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली जांच पड़ताल से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में सभी प्रकार से उपयुक्त है तब तक केवल सूची में उम्मीदवार का नाम शामिल होने से ही उसे नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा।

१३. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—

(१) योग्य उम्मीदवार की पदोन्नति हेतु प्रारम्भिक चयन के लिये एक समिति गठित की जावेगी, जिसमें अनुसूची ४ में उल्लिखित सदस्य होंगे।

(२) समिति की बैठक ऐसी अन्तरावधियों में होगी जोकि साधारण तौर पर एक वर्ष से अधिक की न हों।

(३) पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां किये जाने हेतु जो विभागीय चयन समिति गठित की जावेगी वह समिति उसके द्वारा पदोन्नति हेतु सिफारिश किये गये कर्मचारियों की सूची निर्धारित क्रमानुसार तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

१४. पदोन्नति के लिये पात्रता सम्बन्धी शर्तें.—समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को इससे संलग्न अनुसूची ४ के कालम (३) में उल्लिखित सेवा पर या किसी अन्य पद पर/पदों पर जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो, स्थानापन्न अथवा मौलिक रूप से तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(अ) परन्तु ऐसे लिपिक वर्गीय पदों, जिन पर, पदोन्नति हेतु लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है निकटतम निम्न पदों पर कार्यरत लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण लिपिक ही पदोन्नत किये जावेंगे। यदि ऐसे पदों पर पदोन्नति हेतु लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण लिपिक उपलब्ध नहीं होते तो निकटतम निम्न पद पर कार्यरत अप्रशिक्षित लिपिक वरिष्ठता क्रमानुसार पदोन्नत किये जावेंगे परन्तु उन्हें पदोन्नति के दिनांक से दो वर्ष की अवधि में लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी।

(ब) नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी कर्मचारी को उसकी पदोन्नति का परित्याग करने की अनुमति दे सकेगा, यदि उसका इस बात से समाधान हो जावे कि वैयक्तिक या अन्य विशेष कारणों से उस कर्मचारी के लिये पदोन्नति स्वीकार करना सम्भव नहीं है। ऐसे मामलों में उक्त पद पर अगले कनिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नत करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी स्वतन्त्र होगा। उस कर्मचारी के मामले का जो पदोन्नति का परित्याग करें, आगामी रिक्ति के लिये अपने आप पुनर्विलोकन नहीं किया जावेगा। जैसे ही सम्बन्धित कर्मचारी पदोन्नति स्वीकार करने के लिये तैयार हो उसे आगामी रिक्त पद पर, अपनी पदोन्नति हेतु अपने मामले के पुनर्विलोकन के लिये आवेदन करना होगा तथा पदोन्नत किये जाने पर वह उन व्यक्तियों से कनिष्ठ माना जायेगा जिन्हें उनसे पहले पदोन्नत किया गया है।

१५. उपयुक्त कर्मचारियों की सूची तैयार करना.—(क) समिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम १४ में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति करने के लिये उपयुक्त समझती हो। यह सूची दो वर्षों तक होने वाले रिक्त स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(२) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये किया जाने वाला चयन वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुये योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्त/उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(३) सूची में सम्मिलित किये गये कर्मचारियों के नाम अनुसूची ४ के कालम (२) में दर्शित सेवा में तथा स्थित वरिष्ठता क्रम के अनुसार रखे जावेंगे। परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी को, जो समिति की राय में विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा।

(४) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।

(५) यदि इस प्रकार चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण के दौरान यह प्रस्तावित किया जावे कि मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग अराजपत्रित सेवा (महाविद्यालयीन शिक्षा) के किसी सदस्य का अतिक्रमण किया जावे तो समिति प्रस्तावित अतिक्रमण के सम्बन्ध में अपने कारण लेखबद्ध करेगी।

१६. चयन सूची.—

(१) नियुक्ति प्राधिकारी समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची पर सम्बन्धित अभिलेख के साथ विचार करेंगे तथा यदि कोई परिवर्तन आवश्यक न समझें तो सूची को अनुमोदित करेंगे।

(२) यदि नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त चयन सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझेंगे तो वे उक्त सूची प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण सहित समिति को वापस लौटा देंगे। समिति प्रस्तावित परिवर्तनों पर विचार कर उनकी राय में जैसा भी न्यायोचित तथा उपयुक्त होगा सूची में संशोधन कर सकेगी।

Scanned by CamScanner

(३) समिति द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित सूची चयन सूची होगी और इस सूची में से ही अनुसूची (४) के कालम (४) में अंकित पदों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति की जावेगी।

(४) चयन सूची सामान्यतः तब तक लागू रहेगी जब तक कि नियम १५ के उप-नियम ४ के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाये। परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गम्भीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा।

१७. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—

(१) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जायेंगी जिस क्रम से ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में हों;

परन्तु यदि प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण जरूरी हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित न किया गया हो, या जिसका नाम चयन सूची में दिये गये क्रम में अगले स्थान पर न हो, सेवा में उस स्थिति में नियुक्त किया जा सकेगा जबकि नियुक्ति प्राधिकारी को इस बात से समाधान हो जाये कि उक्त रिक्त स्थान के ३ माह से अधिक समय तक चालू रहने की सम्भावना नहीं है।

(२) जिस व्यक्ति का नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, उस व्यक्ति को सेवा में नियुक्त करने के पूर्व समिति से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल करने की तारीख की तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख की बीच की अवधि में उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट न आई हो जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो, जिससे सेवा में नियुक्त किया जाना उचित न हो।

१८. परिवीक्षा.—सेवा में सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति को २ वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा बशर्ते कि उसके लिये स्थाई पद उपलब्ध हो, अन्यथा सभी नियुक्तियां अस्थाई रूप से की जायेंगी।

१९. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

२०. छूट.—इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जिस पर यह नियम लागू होते हैं राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो राज्यपाल को उचित और न्याय प्रतीत होती हो, परन्तु मामले पर किसी ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जायेगी जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

२१. निरसन और व्यावृत्ति.—इन नियमों के सभी तत्स्थानीय नियम जो इनके प्रारम्भ होने के ठीक पहले लागू हों, उसके द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में निरसित किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानीय उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

समर सिंह
विशेष सचिव

अनुसूची क्रमांक १ (अ)

(नियम ४ एवं ५ देखिये)

मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी कर्मचारी सेवा महाविद्यालयीन शिक्षा, (अराजपत्रित) संचालनालय

संचालनालय, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक (१)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (२)		पदों की संख्या (३)	वर्गीकरण (४)	वेतनमान (५)	नियुक्ति प्राधिकारी (६)
					रुपये	
१.	अधीक्षक	संचालनालय	५	तृतीय श्रेणी (मिनिस्टीरियल)	४००—६७५	संचालक
२.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक ..	संचालनालय ६ संयुक्त संचा. कार्यालय ३	९	"	२८०—४८०	"

Scanned by CamScanner

(१)	(२)	(३)		(४)	(५)	(६)
३.	सहायक ..	.. संयुक्त संचा. कार्यालय ३ संचालनालय ७	१०	तृतीय श्रेणी (मिनिस्टीरियल)	२४६—४६०	संचालक
	लेखापाल वर्ग-१ ..	" २	४			"
	लेखापाल वर्ग-२ ..	" २				
४.	शीघ्र लिपिक ..	.. " १ संयुक्त संचा. कार्यालय ३	४	"	२८०—४४०	"
५.	लेखापाल ..	.. संचालनालय	२	"	२२०—३७५	"
६.	लेखापाल वर्ग-२ .. कनिष्ठ लेखा परीक्षक ..	" २ " ७	९	"	२०५—३७५	"
७.	मैनेजर कम लेखापाल ..	रवीन्द्र भवन	१	"	२०५—३७५	"
८.	स्टेज टेक्नीशियन ..	रवीन्द्र भवन ..	१	तृतीय श्रेणी (तकनीकी)	२०५—३७५	"
९.	उच्च श्रेणी लिपिक ..	संचालनालय १७ संयुक्त संचा. कार्यालय ३	२०	(मिनिस्टीरियल)	१९५—३३०	"
१०.	निम्न श्रेणी लिपिक ..	संचालनालय १९ संयुक्त संचा. कार्यालय ६ रवीन्द्र भवन १	२६	"	१६९—३००	"
११.	इलेक्ट्रिशियन ..	.. रवीन्द्र भवन ..	१	(तकनीकी)	१६९—३००	"

अनुसूची क्रमांक १ (ब)

(नियम ४ एवं ५ देखिये)

मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी कर्मचारी सेवा महाविद्यालयीन शिक्षा (अराजपत्रित)

शिक्षण संस्थायें--महाविद्यालय

क्रमांक (१)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (२)		पदों की संख्या (३)		वर्गीकरण (४)	वेतनमान (५)	नियुक्ति अधिकारी (६)
						रुपये	
१.	मुख्य लिपिक	महाविद्यालय		६४	(तृतीय श्रेणी) (मिनिस्टीरियल)	२४६—४६०	संचालक
२.	मुख्य लिपिक कम लेखापाल	"		७	"	२४६—४६०	"
३.	लेखापाल	"		६४	"	२०५—३७५	"
४.	उच्च श्रेणी लिपिक .. कैशियर	" "	७१ ४	७५	" "	१९५—३३०	प्राचार्य
५.	निम्न श्रेणी लिपिक ..	"		१७४	"	१६९—३००	"
६.	प्रयोगशाला सहायक ..	"		५३५	"	१६९—३००	"
७.	सहायक ग्रन्थपाल ..	"		३०	"	१६५—३००	"
८.	सहायक भेषज अधिकारी..	"		२	"	(तकनीकी) वैधानिक	संचालक
९.	कम्पाउण्डर	"		२	"	जन स्वास्थ्य विभाग में है।	
१०.	शारीरिक शिक्षा निर्देशक..	"		६४	राजपत्रित अराजपत्रित	३००—६०० २५०—४००	"

Scanned by CamScanner

(१)	(२)	(३)	(४)		(५)	(६)
११.	मुख्य व्याख्याता	महाविद्यालय	१	राजपत्रित	२५०—६००	संचालक
१२.	हस्त कला शिक्षक ..	"	१	अराजपत्रित	२२०—३७५	"
१३.	तबला शिक्षक	"	४	"	२२०—३७५	"
१४.	तबला प्लेयर	"	५	"	१६९—३००	प्राचार्य
१५.	निर्देशक	"	८	"	२०५—३७५	संचालक
१६.	संगीत सहायक ..	"	२	"	१६८—३००	प्राचार्य
१७.	गैस मैकेनिक	"	२	(तकनीकी)	१५५—२५२	"
१८.	ग्लास ब्लोअर	"	६	"	२२०—३७५	संचालक
१९.	मैकेनिक एवं इलेक्ट्रीशियन	"	६	"	२०५—३७५	"
२०.	म्यूजियम कीपर	"	६	"	२२०—३७५	"
२१.	टैक्सीडर्मिस्ट	"	१	"	१६९—३००	प्राचार्य
२२.	मेट्रन	"	६	"	१९५—३३०	"
२३.	बढ़ई	"	२	"	१५५—२५२	"

अनुसूची क्रमांक २ (अ)

(नियम ६ देखिये)

संचालनालय, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक	विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत: सीधी भर्ती द्वारा	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत: सेवा के मूल/स्थायी सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के (स्थानान्तरण) द्वारा
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
१.	शिक्षा विभाग—	—				
	संचालनालय महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश	अधीक्षक (संचालनालय)	५		१०० प्रतिशत	
		वरि. लेखा परीक्षक संचालनालय .. ६ संयुक्त संचा. कार्यालय ३	९	..	१०० प्रतिशत	
		सहायक संचालनालय .. ७ संयुक्त संचा. कार्यालय ३	१०	२५ प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा	७५ प्रतिशत	
	संचालनालय ..	लेखापाल वर्ग-१ .. २ लेखापाल वर्ग-२ .. २	४	..	१०० प्रतिशत	
		शीघ्रलिपिक .. संचालनालय .. १ संयु. संचा. कार्यालय ३	४	१०० प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा		
		लेखापाल (संचालनालय)	२	..	१०० प्रतिशत	
	संचालनालय ..	लेखापाल वर्ग-३ .. २ कनि. लेखा. परीक्षक ७	९	..	१०० प्रतिशत	
		उच्च श्रेणी लिपिक संचालनालय .. १७ संयु. संचा. कार्यालय ३	२०	..	१०० प्रतिशत	

Scanned by CamScanner

(१)	(२)	(३)	(४)		(५)	(६)	(७)
	रवीन्द्र भवन	मैनेजर कम लेखापाल		१	..	१०० प्रतिशत	
		निम्न श्रेणी लिपिक					
		संचालनालय ..	१९				
		संयु. संचा. कार्यालय	६	२६	९० प्रतिशत	१० प्रतिशत अर्ह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा।	
		रवीन्द्र भवन ..	१				
	रवीन्द्र भवन	स्टेज टेक्नीशियन ..		१	१०० प्रतिशत	..	
		इलेक्ट्रीशियन ..		१	१०० प्रतिशत	..	

अनुसूची क्रमांक २ (ब)

(नियम ६ देखिये)

शिक्षण संस्थायें---महाविद्यालय

क्रमांक	विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या		भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत — सीधी भर्ती द्वारा	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत — सेवा में मूल/अस्थाई सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा
(१)	(२)	(३)	(४)		(५)	(६)	(७)
१.	शिक्षा विभाग :—						
	शिक्षण संस्थायें (महाविद्यालय)	मुख्य लिपिक ..	६४				
		मुख्य लिपिक कम लेखापाल	७	७१	..	१०० प्रतिशत	
		लेखापाल ..	६४		..	"	
		उच्च श्रेणी लिपिक	७१	७५	..	"	
		केशियर	४				
		निम्न श्रेणी लिपिक	१३४		९० प्रतिशत	१० प्रतिशत अर्ह चतुर्थ श्रेणी के द्वारा।	
		प्रयोगशाला सहायक	५२५		१०० प्रतिशत	—	
		सहायक ग्रन्थपाल ..	३०		"	..	
		सहायक भेषज अधि.	२		..	..	जन स्वास्थ्य विभाग से नियोजन पर यदि उपलब्ध हो तो।
		कम्पाउण्डर ..	२		१०० प्रतिशत	..	
		शारीरिक शिक्षा निर्देशक	६४		"	..	
		नृत्य व्याख्याता ..	१		"	..	
		हस्तकला शिक्षक ..	२		"	..	
		तबला शिक्षक ..	४		..	१०० प्रतिशत	
		तबला प्लेयर ..	५		"	..	
		निर्देशक	८		"	..	
		संगीत सहायक ..	२		"	—	
		गैस मेकेनिक ..	२		"	..	
		ग्लास ब्लोअर ..	६		"	..	
		मेकेनिक एवं इलेक्ट्रि.	६		"	..	
		म्युजियम कीपर ..	६		"	..	
		टेक्सीडरमिस्ट ..	१		"	..	
		बढ़ई ..	२		"	..	
		मेट्रन	६		"	..	

Scanned by CamScanner

अनुसूची क्रमांक ३ (अ)

(नियम ८ देखिये)

संचालनालय, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक (१)	सेवा का नाम (२)	न्यूनतम आयु सीमा (३)	अधिकतम आयु सीमा (४)	शैक्षणिक अर्हतायें (५)	चयन समिति के सदस्यों के नाम (६)
१.	आशु लिपिक .. (२८०—४८०)	१८	२८	१. उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल अथवा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण।	१. संयुक्त संचालक अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी—अध्यक्ष।
				२. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् द्वारा संचालित हिन्दी शीघ्र-लेखन परीक्षा अथवा इस परिषद द्वारा मान्य अन्य समकक्ष परीक्षा (शीघ्र-लेखन कम-से-कम १०० शब्द प्रति मिनिट की गति से)।	२. उप-संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा-सदस्य। ३. सहायक संचालक, महाविद्यालयीन, शिक्षा-सदस्य।
२.	सहायक .. (२४६—४६०)	१८	२८	१. स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण।	"
				२. हिन्दी भाषा का पर्याप्त ज्ञान।	"
३.	निम्न श्रेणी लिपिक (१६९—३००)	१८	२८	१. उ. मा. अथवा समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल या विश्व-विद्यालय द्वारा संचालित हुई हो, से उत्तीर्ण।	"
				२. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् द्वारा संचालित हिन्दी मुद्र-लेखन परीक्षा अथवा इस परिषद् द्वारा मान्य अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (कम से कम ३० शब्द प्रति मिनिट)।	"
४.	स्टेज टेक्नीशियन) (२०५—३७५)	१८	२८	१. मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हुई हो।	३. सहायक संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा—सदस्य।
				२. स्टेज के कार्य का का पूर्ण अनुभव	
५.	इलेक्ट्रिशियन .. (१६९—३००)	१८	२८	१. मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल लायसेन्स प्राप्त तथा कार्य का कम से कम २ वर्ष का अनुभव।	३. सहायक संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा —सदस्य।

Scanned by CamScanner

अनुसूची क्रमांक ३ (ब)

(नियम ८ देखिये)

शिक्षण संस्थायें—महाविद्यालय

क्रमांक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हतायें	चयन समिति के सदस्यों के नाम
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१.	निम्न श्रेणी लिपिक (१६९—३००)	१८	२८	१. उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हुई हो। २. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद द्वारा संचालित हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा अथवा इस परिषद द्वारा मान्य अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण गति ३० शब्द प्रति मिनिट)। ३. हिन्दी भाषा का पर्याप्त ज्ञान।	१. प्राचार्य—अध्यक्ष २. दो वरिष्ठ प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक जिन्हें प्राचार्य नामांकित करें।
२.	प्रयोगशाला सहायक (१६९—३००)	१८	२८	१. विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो कि किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हुई हो।	१. प्राचार्य—अध्यक्ष २. दो वरिष्ठ प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक जिन्हें प्राचार्य नामांकित करें।
३.	सहायक ग्रन्थपाल (१९५—३३०)	१८	२८	१. उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हुई हो तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।	१. प्राचार्य—अध्यक्ष २. दो वरिष्ठ प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक जिन्हें प्राचार्य नामांकित करें एवं महाविद्यालय का ग्रन्थपाल।
४.	सहायक भेषज अधिकारी	१८	२८	१. जैसा कि जन स्वास्थ्य विभाग में इस पद हेतु निर्धारित है। २. जन स्वास्थ्य विभाग से नियोजन पर यदि उपलब्ध हो तो अन्यथा चयन समिति द्वारा।	१. संयुक्त संचालक—अध्यक्ष। २. जिला सिविल सर्जन—सदस्य। ३. प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सदस्य।
५.	कम्पाउण्डर ..	१८	२८	१. जैसा कि जन स्वास्थ्य विभाग में इस पद हेतु निर्धारित है। २. जन स्वास्थ्य विभाग से नियोजन पर यदि उपलब्ध हो तो अन्यथा चयन समिति द्वारा।	१. संयुक्त संचालक—अध्यक्ष २. जिला सिविल सर्जन—सदस्य ३. प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय सदस्य।
६.	शारीरिक शिक्षा-निर्देशक (१ श्रेणी-३००—६००) (२ श्रेणी-२५०—४००)	१८	२८	श्रेणी—१. व्यायाम शिक्षा स्नातकोत्तर डिप्लोमा या उपाधि या स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र। श्रेणी—२. वर्तमान व्यायाम शिक्षक जिनकी योग्यता श्रेणी-१ के अनुसार न हो।	१. संचालक—अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी-अध्यक्ष। २. संयुक्त संचालक—सदस्य। ३. एक प्राचार्य, संचालक द्वारा नामांकित ४. प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक शारीरिक शिक्षण स्वयं जिसे संस्था के प्राचार्य नामांकित करें। ५. उप-संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा।

Scanned by CamScanner

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
७.	नृत्य व्याख्याता.. (३००—६००)	१८	२८	१. मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हुई हो। २. नृत्य कला में मान्य डिग्री/डिप्लोमा हो.डर।	१. संचालक अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी—अध्यक्ष। २. संयुक्त संचालक। ३. प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक (संबंधित विषय) जिन्हें संचालक नामांकित करें। ४. उप-संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा।
८.	हस्तकला शिक्षक (२२०—३७५)	१८	२८	१. सम्बन्धित शिल्प में डिप्लोमा अथवा अधिक योग्यता जो शासन द्वारा मान्य हो एवं न्यूनतम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो शासन द्वारा मान्य हो।	१. संचालक अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी। २. एक प्राचार्य महाविद्यालय जिसे संचालक नामांकित करें। ३. प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक जिसे प्राचार्य पोलीटेकनिक नामांकित करें।
९.	तबला प्लेयर .. (१६९—३००)	१८	२८	१. संगीत विशारद अथवा उसके समकक्ष मान्य परीक्षा उत्तीर्ण।	१. प्राचार्य अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी। २. दो प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक प्राचार्य द्वारा नाम कित।
१०.	निर्देशक .. (२०५—३७५)	१८	२८	१. सम्बन्धित शिल्प में डिप्लोमा अथवा अधिक योग्यता जो शासन द्वारा मान्य हो एवं न्यूनतम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो शासन द्वारा मान्य हो।	१. संचालक अथवा उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी। २. एक प्राचार्य, संचालक द्वारा नामांकित ३. एक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक जिन्हें प्राचार्य, पोलीटेकनिक नामांकित करें।
११.	संगीत सहायक (१६९—३००)	१८	२८	१. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष मान्य बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण तथा संगीत विशारद अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो शासन द्वारा मान्य हो।	१. प्राचार्य अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी। २. दो प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक प्राचार्य द्वारा नामांकित।
१२.	गैस मेकेनिक .. (१५५—२५२)	१८	२८	१. केरोसिन आइल से गैस निर्माण करने का ५ वर्ष का अनुभव तथा कोल गैस प्लांट को संचालित करने का अनुभव प्रयोगशाला में गैस लाइन में तथा जल प्रदाय लाइन का पूर्ण ज्ञान भी आवश्यक है।	१. प्राचार्य अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी। २. दो प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक (जिनमें से एक सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष हो) जिसे प्राचार्य नामांकित करें।
१३.	ग्लास ब्लोअर .. (२२०—३७५)	१८	२८	१. निम्न तापक्रम कांच को फूंकने का काम तथा सीलिंग करने का ५ वर्ष का अनुभव।	१. संचालक अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी। २. प्राचार्य, विज्ञान महाविद्यालय। ३. एक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक सम्बन्धित विभाग
१४.	मेकेनिक कम इलेक्ट्रिशियन (२०५-३७५)	१८	२८	मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल लायसेन्स प्राप्त तथा कम से कम दो वर्ष का अनुभव।	१. संचालक अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी। २ एक प्राचार्य संचालक द्वारा नामांकित

Scanned by CamScanner

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१५.	म्यूजियम कीपर (२२०—३७५)	१८	२८	बी. एससी. उत्तीर्ण (जीव तथा वनस्पति विज्ञान)।	१. संचालक अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी। २. एक प्राचार्य संचालक द्वारा नामांकित ३. प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक सम्बन्धित विषय।
१६.	टकसीडमिस्ट .. (१६९—३००)	१८	२८	विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो शासन द्वारा मान्य हो एवं कार्य का अनुभव।	१. प्राचार्य अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी। २. दो प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक प्राचार्य द्वारा नामांकित।
१७.	बढ़ई .. (१५५—२५२)	१८	२८	उच्चतर माध्यमिक तकनिक शाला या आई. टी. आई. के बढ़ई के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त या सम्बन्धित शिल्प में रीजनल कालेज अथवा बी. एड. ट्रेनिंग कालेज से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्राप्त।	१. प्राचार्य अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी। २. एक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/प्राचार्य पोलीटेकनिक द्वारा नामांकित। ३. एक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा नामांकित।
१८.	बेट्रन .. (१९५—२३०)	१८	२८	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो शासन द्वारा मान्य हो एवं कार्य का अनुभव।	१. प्राचार्य अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी। २. दो प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/प्राचार्य द्वारा नामांकित।

अनुसूची क्रमांक ४ (अ)

(नियम १३ देखिये)

संचालनालय, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक (१)	विभाग का नाम (२)	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाती है (३)	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाती है (४)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (५)
१.	शिक्षा विभाग— महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश	वरिष्ठ लेखा परीक्षक संचालनालय एवं संयुक्त संचालक कार्यालय।	अधीक्षक संचालनालय	१. संयुक्त संचालक २. उप-संचालक ३. सहायक संचालक
		(i) सहायक (संचालनालय एवं संयुक्त संचालक कार्यालय)।	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	१. संयुक्त संचालक २. उप-संचालक ३. सहायक संचालक
		(ii) लेखापाल वर्ग–१ व २ संचालनालय एवं संयुक्त संचालक कार्यालय।	—	

Scanned by CamScanner

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
	महाविद्यालय शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश	(iii) मुख्य लिपिक तथा मुख्य लिपिक कम लेखापाल महाविद्यालयीन।		
		लेखापाल—२२०—३७५ लेखापाल-वर्ग-३	सहायक (संचालनालय एवं संयुक्त संचालक कार्यालय।	
	रवीन्द्र भवन	कनिष्ठ लेखा परीक्षक (२०५—३७५) संचालनालय मैनेजर कम-लेखापाल (२०५—३७५)	लेखापाल वर्ग-१ व २ (संचालनालय)	१. संयुक्त संचालक २. उप-संचालक ३. सहायक संचालक
		उच्च श्रेणी लिपिक (संचालनालय एवं संयुक्त संचालनालय कार्यालय)	लेखापाल (२२०—३७५) कनिष्ठ लेखा परीक्षक लेखापाल वर्ग-३ (२०५-३७५) संचालनालय मैनेजर कम-लेखापाल रवीन्द्र भवन (२०५-३७५)	तदैव
		निम्न श्रेणी लिपिक (संचालनालय एवं संयुक्त संचालक कार्यालय)।	उच्च श्रेणी लिपिक (संचालनालय एवं संयुक्त संचालक कार्यालय)	१. संयुक्त संचालक अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी २. उप-संचालक ३. सहायक संचालक

टीप :—(१) अधीक्षक के पद पर पदोन्नति योग्यता सह-ज्येष्ठता बोध के आधार पर की जावेगी।

(२) वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के एक वर्ष में होने वाले रिक्त पदों में से ६० प्रतिशत पद महाविद्यालयों के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा तथा ४० प्रतिशत पद संचालनालय एवं संयुक्त संचालक कार्यालयों के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे तथा इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता उनकी पदोन्नति की तारीख से निर्धारित की जावेगी किन्तु यदि दोनों प्रकार के कर्मचारियों की पदोन्नति एक ही तारीख को आदेशित होती है तो संचालनालय के कर्मचारियों को दूसरे कार्यालयों के कर्मचारियों से ऊपर वरिष्ठता दी जावेगी।

(३) वरिष्ठ लेखा परीक्षक, कनिष्ठ लेखा परीक्षक एवं लेखापालों के पदों के लिये निर्धारित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

अनुसूची क्रमांक ४ (ब)

(नियम १३ देखिये)

शिक्षा संस्थाएं महाविद्यालय

क्र. (१)	विभाग का नाम (२)	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है (३)	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है (४)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (५)
	शिक्षा विभाग—महाविद्यालय	लेखापाल महाविद्यालय	मुख्य लिपिक तथा मुख्य लिपिक कम-लेखापाल (महाविद्यालय)	१. संयुक्त संचालक २. उप-संचालक ३. सहायक संचालक
		उच्च श्रेणी लिपिक एवं कैशियर (महाविद्यालय)।	लेखापाल (महाविद्यालय)	"
		तबला प्लेयर (महाविद्यालय)	तबला शिक्षक (महाविद्यालय)	सहायक संचालक एवं एक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक (विषय से सम्बन्धित) महाविद्यालय।

Scanned by CamScanner

(१)	(२)	(३)	(४)
	निम्न श्रेणी लिपिक एवं प्रयोगशाला सहायक (संबंधित महाविद्यालय)।	उच्च श्रेणी लिपिक सम्बन्धित महाविद्यालय।	प्राचार्य द्वारा मनोनीत दो वरिष्ठ प्राध्यापक एवं एक वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक।

नोट :—(१) लेखापाल पद के लिये निर्धारित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(२) तबला शिक्षक के पद हेतु शासन/विश्वविद्यालय द्वारा मान्य परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(३) प्रयोगशाला सहायकों को पदोन्नति की पात्रता हेतु निम्न श्रेणी लिपिक के सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हतायें अनिवार्य होंगी।

क्र. ७४५–बीस–ब–मशिसं–स्था. भोपाल, दिनांक २२ अप्रैल १९७५

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. ७४५–बीस–मशिसं–स्था., दिनांक २२ अप्रैल १९७५ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

समरसिंह

विशेष सचिव

MADHYA PRADESH CLASS III SERVICE RECRUITMENT AND PROMOTION RULES

Collegiate Education (Non-gazetted)

No. 745-XX- Stt. Bhopal, the 22nd April, 1975

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following rules relating to the recruitment to the Madhya Pradesh Non-Gazetted—Class III (Collegiate Branch), Service namely :—

1. **Short title and Commencement.**—These rules may be called the Madhya Pradesh Non-gazetted class III Service (Collegiate Branch), Recruitment and Promotion Rules, 1974.

   These rules shall come into force with effect from the date of their notification in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires—

   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Director of Collegiate Education or any other subordinate officer whom the power to make appointment in the service or to a post has been delegated or may be delegated by the Government in future;

   (b) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

   (c) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

   (d) "State" means the State of Madhya Pradesh;

   (e) "Schedule" means the schedule appended to these rules;

   (f) "Service" means the Madhya Pradesh Non-Gazetted Class III Service (Collegiate Branch);

Scanned by CamScanner

(g) "Committee" means the Select Committee for promotion as constituted under Schedule IV ;

(h) "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" shall have the same meaning as are assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of Article 366 of the Constitution and are notified as such by the State Government from time to time;

(i) "Director" means the Director of Collegiate Education, Madhya Pradesh ;

(j) "Examination" means the competitive examination.

3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule I (A) and (B).

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules ; and

(3) Persons who may be recruited or promoted to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay, etc.**—The classification of the service the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I (A) and (B) hereto annexed.

Provided that the Government may from time to time, add to or reduce the number of posts included the Service either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment** :—

(1) After commencement of these rules recruitment to the service shall be made by the following methods, *Viz* :—

(a) by holding competitive examination and/or by direct recruitment by selection;

(b) by promotion of the members of M. P. Non-Gazetted class III Service (as mentioned in column 3 of Schedule V) ;

(c) by transfer of persons appointed substantively in the specified service or specified posts.

(2) The number of persons recruited under clause (b) and (c) of sub rule (*i*) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of duty posts as specified in Schedule II.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each methods, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Committee.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Government the exigencies of service so requires, the Appointing Authority may, after approval of the Government in General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in the said sub-rule as it may be order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service.**—All appointment to the Service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority empowered to make appointments and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule (6).

8. **Conditions of eligibility for direct recruit.**—In order to be eligible or selection a candidate must satisfy the following conditions, *Viz* :—

(1) *Age.*—(a) He must have attained the age (as in column (3) of Schedule III) and not attained the age (as in column 4 of Schedule III).

Scanned by CamScanner

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if the candidate belongs to any Scheduled Caste or Scheduled Tribe.

(c) The upper age limit may also be relaxable in respect of candidates who are or who have been employees of Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—

(i) A candidate who is a permanent Government servant should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate who is a temporary Government servant should not be more than 38 years of age. The relaxation given in the case of temporary Government servants may also be admissible to the work charged staff and contingency paid staff and persons working in Project Implementation Committees.

(iii) A candidate who is a retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents a total of more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "retrenched Government servant" means a persons who was in temporary Government service of this State or of any of the constitutent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration in the Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age period of all Defence Service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more then 3 years.

Explanation.—The term "ex-serviceman" means a person, who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendations of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service:—

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions.

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short term engagement, (b) fulfilling the conditions of enrolment.

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit.

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including Short Service Regular Commissioned Officers).

(5) Officers discharged after working for more than six months continously against leave vacancies.

(6) Ex-serviceman invalided out of service.

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that now they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-serviceman who on the recommendation of the Medical Board are medically boarded out on account of gun shot, wounds, etc.

Scanned by CamScanner

N. B.—Candidates who are found eligible for selection under the age concessions mentioned in paragraph 8 (1) (c) (i) and (ii) above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resigned from service either before or after selection. They will however, continue to be eligible, if after submitting the applications they are retrenched from the service or post.

In no other case will these age limits be relaxed.

Candidates working in other departments must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for selection.

(1) *Educational qualifications.*—He must possess the educational qualifications prescribed for the service as are shown in Schedule III. Provided that (a) in exceptional cases by the orders of the Government a candidate may be treated as a qualified candidate, who though not possessing any of the qualifications as prescribed in this clause, has passed an examination conducted by any other institution by a standard which, in the opinion of the Appointing Authority justifies the consideration of the candidate for the selection.

(b) Candidate who are otherwise qualified but have obtained degrees from foreign Universities being Universities not specifically recognised by the Government may also be considered for selection at the discretion of the Selection Committee by the order of the Government.

(2) *Fees.*—The Candidate must pay the fees prescribed by the Government.

9. **Disqualification:—**Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for the selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligigility of candidates shall be final:—**The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final.

11. **Direct Recruitment :—**

(a) by selection :—

(1) Selection for recruitment to the service on the posts, other than those specified in clause (b), shall be made at such intervals as the Appointing Authority may from time to time determine.

(2) The Selection of candidates for the service shall be made by the Selection Committee after interviewing them.

(b) *By competative Examination:—*

(1) A competitive examination for recruitment to the service on the posts of laboratory assistant, L. D. C., Assistant (Directorate) and Stenographer shall be held at such intervals as the Appointing Authority may from time to time determine.

(2) A competative examination shall be held according to the orders the Government may, from time to time issue.

(i) 90% posts of the L. D. Cs. shall be filled in by direct recruitment and 10% posts shall be filled in from amongst the Class IV employees of the office on the basis of seniority tempered by merit and subject to the condition that the candidates should have passed the Higher Secondary Examination and they may be reverted to their substantive posts if they do not pass Hindi Typewriting Examination conducted by a recognised Board within one year from the date of the their appointments.

(ii) 25% posts of Assistants (Directorate) shall be filled in by direct recruitment and 75% posts from amongst the Junior Auditors and Accountants of the Directorate as specified in Schedule IV (A) on the basis of merit tempered by seniority by promotion.

(iii) For appointment on these posts the minimum educational qualification will be a bachelor's degree or its equivalent degree.

(iv) The minimum qualification for the candidates for the direct recruitment shall be as specified in (iii) above and the age should not exceed 28 years. They will have to appear at the prescribed examination and appointment on the post shall be on the basis of the numbers obtained in the examination and interview.

Scanned by CamScanner

(v) Other Government employees may also apply and appear at the examination for direct recruitment as candidates.

(3) Out of the vacancies available for direct recruitment 16 percent and 20 percent posts shall be reserved for candidates belonging to the Scheduld Castes and Scheduled Tribes respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 (2) irrespect of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes considered by Selection Committee/Appointing Authority to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintainence of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as the case may be under sub-rule 3.

(6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not available for filling up all the posts reserved for them, the remaining vacancies shall be filled from amongst other candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved as specified in rule 11 (3) above for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for next selection,

Provided that the number of reserved posts for these castes and tribes shall not exceed at any time 45% of the vacancies.

12 (1) **List of candidates selected by Competative Examination:**—A list arranged in order of merit of such candidates who have qualified by the standards as may be determined by the Appointing Authority and also of those candidates belonging to the Sheduled Castes and the Scheduled Tribes who, though not qualified by that standard, have been declared by the Selection Committee/Appointing Authoriy as suitable for appointment in the service having due regard to the maintenance of the efficiency in administration shall be published for general information. This list will remain valid for one year.

(2) **List of Candidates recommended by the Selection Committee:**—For appointment by selection, the Selection Committee shall forward to the Appointing Authority the names and other detailes of candidates whom they consider most suitable duly arranged in order of preference and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who though not qualified by that standard, are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration.

(3) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(4) The inclusion of a candidates name in the list conferes no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidates is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Appointment by Promotion.**—

(1) A committee shall be constituted consisting of the members mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) The Departmental Selection Committee constituted for appointments by promotion, shall prepare a list of candidates recommended by it for promotion in order of merit and forward it to the Appointing Authority.

14. **Conditions of Eligiblility for Promotion.** The Committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed three years of service and whether officiating or substantive in the post mentioned in column 3 of the Schedule IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government;

(A) Provided that the promotion to the clarical posts in which accounts training is compulsory, will be made only from the persons, who are working on the next lower post and are trained in accounts. If trained persons in accounts are not available for promotion on such posts those untrained clerks, who are working on the next lower posts, shall be promoted in order of seniority.

Scanned by CamScanner

Provided that they will have to pass accounts examination within two years from the date of promotion.

(B) The Appointing Authority may allow any employee to forego his promotion, if he is satisfied that due to personal or other special reasons it is not possible for the employee to accept the promotion. Insuch cases the Appointing Authority shall be at liberty to promote the next junior employee. The case of the employee, who has foregone his promotion shall not be automatically reviewed on the next occasion. When the concerned employee is prepared to accept the promotion, he will have to apply for the review of his case for his promotion on the next vacant post and on being premoted he will be considered junior to those persons, who have been promoted earlier.

15. **Preparation of a list of suitable persons.—**

(1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the Service. This list shall be sufficient to cover probable vacancies for two years.

(2) The selection for inclusion of names in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.

(3) The names of the persons included in the list shall be arranged in order of seniority as shown in column 3 of Schedule IV.

Provided that any junior person who, in the opinion of the Committee is of an exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that assigned to persons senior to him.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection or revision it is proposed to supersede any member of the Madhya Pradesh Class III Non-Gazetted (Collegiate Education) Service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. **Select List.—**

(1) The Appointing Authority shall consider the select list perpared by the Committee along with relevant record and unless he considers and any change, approve the list.

(2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the select list received from the Committee, he shall return the said list to the Committee with the reasons for the proposed changes. The Committee may after considering the proposed changes as may in its opinion be just and proper, modify the list.

(3) The list as finally approved by the Committee shall form a select list and the Appointing Authority shall make promotions only from this list on the post specified in column (4) of the Schedul IV.

(4) The select list shall ordinarily remain in force until and unless it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15.

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority.

17. **Appointment to the Service from the select list.**—Appointments of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall be in conformity with the order in which the names of such persons appear in the select list.

Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list or whose name is not next in order in the select list, may be appointed to the service if the Appointing Authority is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person to the service whose name is included in the select list unless during the period intervening between inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

Scanned by CamScanner

18. **Probation.**—Every person directly recruited to the service if the vacancy is of a permanent nature, shall be appointed on probation for a period of two years, otherwise the appointment shall be made on a temporary basis.

19. **Interpretation.**—If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be so construed as to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Repeal and Saving.**—All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matter covered by the rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SAMAR SINGH
Special Secretary

Scanned by CamScanner

SCHEDULE—I (A)

(*Vide* Rule 4 and 5)

MADHYA PRADESH CLASS III EMPLOYEES SERVICE

Collegiate Education (Non-Gazetted)

DIRECTORATE OF COLLEGIATE EDUCATION, MADHYA PRADESH

S. No.	Name of the posts included in the Service		No. of the post		Classification	Scale of pay	Appointing Authority
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent ...	Directorate	...	5	Class III (Ministerial)	400—675	Director
2.	Senior Auditor	Directorate Office of the Joint Director	6 3	9	,,	280—480	Director
3.	Assistant	Office of the Joint Director Directorate	3 7	10	,,	246—460	Director
	Accountant Grade I ... Accountant Grade II ...	... Directorate ... Directorate	2 2	4	,, ,,	280—480	Director
4.	Stenographer	Directorate Office of the Joint Director	1 3	4	,,	220—375	Director
5.	Accountant	Directorate	...	2	,,	205—375	Director
6.	Accountatnt Grade III ... Junior Auditor	... Directorate Directorate	2 7	9	,,	205—375	Director
7.	Manager-cum-Accountatnt ...	Ravindra Bhavan	1	1	,, (Tech.)	205—375	Director
8.	Stage Technician	Ravindra Bhavan	1	1	,, ,,	195—330	Director
9.	Upper Division Clerk	Directorate Office of the Joint Director	17 3	20	,, (Ministerial)	195—330	Director
10.	Lower Division Clerk	Directorate Office of the Jt. Director Ravindra Bhavan	19 6 1	26	,,	169—300	Director
11.	Electrician	Ravindara Bhavan		1	,, (Tecn.)	169—300	Director

Scanned by CamScanner

SCHEDULE—I (B)

(*Vide* Rule 4 and 5)

Madhya Pradesh Class III Employees Service—Collegiate Education Non-Gazetted

EDUCATIONAL INSTITUTIONS—COLLEGE

S. No. (1)	Name of the posts included in the Service (2)		No. of Posts (3)	Classification (4)	Scales of Pay (5)	Appointing Authority (6)
1.	Head Clerk ...	College	64	Class III Ministerial	246—460	Director
2.	Head Clerk-cum-Accountant	"	7	"	246—460	Director
3.	Accountant ...	"	64	"	205—375	Director
4.	Upper Division Clerk 71 Cashier 4	"	75	"	195—330	Principal
5.	Lower Division Clerk ...	"	174	"	169—300	Principal
6.	Laboratory Assistant ...	"	525	"	169—300	Principal
7.	Assistant Librarian ...	"	30	"	195—330	Principal
8.	Assistant Drug Officer ...	"	2	"	(Technical As in Public Health Deptt.)	Director
9.	Compounder ...	"	2	"		
10.	Physical Training Instructor	College	64	Gazetted	300—600	Director
				Non-Gazetted	250—400	
11.	Dance Teacher ...	"	1	"	350—600	Director
12.	Craft Teacher ...	"	2	"	220—375	Director
13.	Tabla Teacher ...	"	4	"	220—375	Director
14.	Tabla Player ...	"	5	"	169—300	Principal
15.	Director ...	"	8	"	205—375	Director
16.	Music Assistant ...	"	2	Non-Gazetted	169—300	Principal
17.	Gas Mechanic ...	"	2	" (Tech.)	155—252	Principal
18.	Glass Blower ...	"	6	"	220—375	Director
19.	Mechanic-cum-Electrician ...	"	6	"	205—375	Director
20.	Museum Keeper ...	"	6	"	220—375	Director
21.	Texi dermist ...	"	1	"	169—300	Principal
22.	Matr ई ...	"	6	"	195—330	Principal
23.	Carpenter ...	"	2	"	155—252	Principal

Scanned by CamScanner

SCHEDULE—II-(A)

(*Vide* Rule 6)

Directorate of Collegiate Education, Madhya Pradesh

S. No.	Name of the Department	Name of the service	Total No. of the Duty posts		Percentage of the duty posts to be filled in		By tranfer of persons from other service
					By Direct recruitment	By promotion of substantive/ temporary members of the service	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1.	**Education Department—** Directotate of Collegiate Education, Madhya Pradesh	Superintendent (Directorate)	5		...	100 per cent	
		Senior Auditor— Directorate ... ... Office of the Joint Director	6 3	9	...	100 per cent	
		Assistant— Directorate ... ... Office of the Joint Director	7 3	10	25 per cent by Competitive Examination	75 per cent	
		Diretorate— Accountatnt Grade I ... Accountant Grade II ...	2 2	4	...	100 per cent	
		Stenographer— Directorate ... ... Office of the Joint Director	1 3	4	100 per cent by competitive Examination		
		Accountant—Directorate	2	2	...	100 per cent	

Scanned by CamScanner

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
	Directorate	Accountant Grade III ...	2	9	...	100 per cent	
		Junior Auditor ...	7				
		Upper Division Clerk—					
		Directorate	17	20	...	100 per cent	
		Office of the Joint Director	3				
		Manager-cum-Accountant—					
		Ravindra Bhavan		1	...	100 per cent	
		Lower Division Clerk ...					
		Directorate ...	19	26	90 per cent	10 per cent by qualified class IV employees.	
		Office of the Joint Director	6				
		Ravindra Bhavan ...	1				
		Ravindra Bhavan—					
		Stage—					
		Technician		1	100 per cent		
		Electrician		1	100 per cent		

Scanned by CamScanner

SCHEDULE—II (B)

(*Vide* Rule 6)

Educational Institutions—College

S. No.	Name of the Department	Name of the service	Total No. of Duty posts		Percentage of duty posts to be filled in		By transfer of persons from other services
					By direct recruitments	By promotion of substantive/ temporary members of the service	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1.	**Education Department.—** Educational Institutions (College)	Head Clerk	64	71	...	100 per cent	
		Head Clerk-cum-Accountant	7				
		Accountant	64		...	100 per cent ...	
		Upper Division Clerk ...	71	75			
		Cashier	4		...	100 per cent	
		Lower Division Clerk ...	174		90 per cent	10 per cent	By qualified class IV employees.
		Laboratory Assistant ...	525		100 per cent	...	
		Assistant Librarian ...	30		100 per cent	...	
		Assistant Drug Officer ...	2		...	...	If available from Public Health Department on deputation.
		Compounder	2		100 per cent	...	...
		Physical Training Instructor	64		100 per cent	...	...

Scanned by CamScanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Dance Teacher ...	1	100 per cent	...	...
		Craft Teacher	2	100 per cent	...	...
		Tabla Teacher	4	100 per cent	...	...
		Tabla Player	5	100 per cent	...	...
		Director	8	100 per cent	...	...
		Music Assistant ...	2	100 per cent	...	...
		Gas Mechanic ...	2	100 per cent	...	...
		Glass Blower	6	100 per cent	...	...
		Mechanic-cum-Electrician	6	100 per cent	...	...
		Museum Keeper ...	6	100 per cent	...	...
		Taxidermist	1	100 per cent	...	...
		Carpenter	2	100 per cent	...	...
		Matron	6	100 per cent	...	...

Scanned by CamScanner

SCHEDULE—III-(A)

(*Vide* Rule 8)

Directorate of Collegiate Education, Madhya Pradesh

S. No.	Name of the Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualifications	Name of the members of Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Stenographer (280—480)	18	28	1. Must have passed Higher Secondary or its equivalent examination from any recognised Board of Education or University. 2. Must have passed Hindi Shorthand Examination conducted by Madhya Pradesh Board of Shorthand and Type-writing or any other equivalent examination recognised by the Board (minimum speed in Shorthand 100 words per minute).	1. Joint Director or any other officer nominated by him—Chairman. 2. Deputy Director, Collegiate Education—Member. 3. Assistant Director Colleggiate Education—Member.
2.	Assistant (246—460)	18	28	1. A Graduate or must have passed equivalent examination from any recognised University. 2. Sufficient knowledge of Hindi Language.	Assistant Director, Collegiate Education—Member.
3.	Lower Division Clerks (169—300)	18	28	1. Must have passed Higher Secondary or its equivalent examination conducted by any recognised Board of Education or University. 2. Must have passed, Hindi type writing examination conducted by Madhya Pradeesh Board of Shorthand and Typewriting or any other equivalent examination recognised by the Boad (Minimum speed 30 words per minute)	Assistant Director, Collegiate Education—Member.
4.	Stage Technician (205—375)	18	28	1. Must have passed Matric or its equivalent examination conducted by any recognised Board of Education or University. 2. Considerable experience of Stage work.	Assistant Director, Collegiate Education—Member.
5.	Electrician (169—300)	18	28	1. Electrical licence holder from any recognsied Institution and at least 2 years experience of the work.	Assistant Director, Collegiate Education—Member.

Scanned by CamScanner

SCHEDULE—III-(B)

(*Vide* Rule 8)

Educational Institutions—College

S. No. (1)	Name of the Service (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Educational Qualification (5)	Name of the members of the Selection Committee (6)
1.	Lower Division Clerk (169—300)	18	28	1. Must have passed Higher Secondary or its equivalent examination conducted by any recognised Board of Eduction or University. 2. Must have passed Hindi Typewriting Examination conducted by M. P. Board of Shorthand and Typewriting or any other equivalent examination recognised by the Board (Speed 30 words per minute) 3. Sufficient knowledge of Hindi.	1. Principal—Chairman. 2. Two Senior Professors/Assistant Professors nominated by the Principal.
2.	Laboratory Assistant (169—300)	18	28	1. Must have passed Higher Secondary or its equivalent examination with Science, conducted by any recognised Board of Education or University.	do.
3.	Assistant Librarian (195—330)	18	28	1. Must have passed Higher Secondary or its equivalent examination conducted by any recognised Board of Education or University and a Diploma/Certificate in Library Science. 2. Interview.	do. and Librarian of the College.
4.	Assistant Drug Officer	18	28	1. As prescribed by the Public Health Department for this post. 2. If available from Public Health Department otherwise by Selection Committee.	1. Joint Director-Chairman. 2. District Civil Surgeon—Member. 3. Principal, Post Graduate College—Member.
5.	Compounder	18	28	1. As prescribed in the Pubulic Health Department for this post. 2. If available from Public Health Department otherwise by Selection Committee.	1. Joint Director-Chairman 2. District Civil Surgeon-Member. 3. Principal, Post Graduate College—Member.

Scanned by CamScanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Physical Training Instructor. (Grade I-300-600) (Grade II-250-400)	18	28	1. Grade I-Post Graduate Diploma in Physical Training or Degree or Post Graduate Certificate. Grade II-Present P. T. Instructor whose qualifications are not according to Grade I.	1. Director or any officer nominated by him Chairman. 2. Joint Director-Member. 3. One Principal nominated by the Director. 4. Professor/Assistant Professor, Physical Training Institute nominated by the Principal of the Institute. 5. Deputy Director, Collegiate Education.
7.	Dance Lecturer (300—600)	18	28	1. Must have passed Matric or its equivalent examination conducted by any recognised Board of Education or University. 2. Recognised Degree/Diploma holder in Dancing.	1. Director or any officer nominated by him Chairman. 2. Joint Director. 3. Professor/Assistant Professor (in subject concerned) nominated by the Director. 4. Deputy Director, Collegiate Education.
8.	Craft Teacher ... (220—375)	18	28	1. Diploma in the concerned trade or higher qualifications as may be recognised by the Government and must have passed atleast Higher Secondary or its equivalent examination recognised by the Government.	1. Director or any Officer nominated by him. 2. One Principal, Collegiste Education nominated by the Director. 3. Professor/Assistant Professor nominated by the Principal of the Polytechnic.
9.	Tabla Player ... (169—300)	18	28	1. Must have passed Sangeet Visharad or its equivalent recognised examination.	1. Principal or an officer nominated by him. 2. Two Professors/Assistant Professors nominated by the Principal.
10.	Director ... (205—375)	18	28	1. Diploma in the concenred trade or higher qualifications recognised by the Government and must have passed at least Higher Secondary Examination or any other equivalent examination recognised by the Government.	1. Director or an officer nominated by him. 2. One Principal nominated by the Director. 3. One Professor/Assistant Professor nominated by the Principal of the Polytechnic.

Scanned by CamScanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Music Assistant... (169—300)	18	28	1. Must have passed Higher Secondary Examination or its equivalent examination of any recognised Board/ University and a pass in Sangeet Visharad or its equivalent examination recognised by the Government.	1. Principal or an officer nominated by him. 2. Two Professors/ Assistant Professors nominated by the Principal.
12.	Gas Mechanic ... (155—252)	18	28	1. Five years experience of making gas from Kerosene Oil and experience of operating Coal Gas Plant Thorough knowledge of gas line and water supply line in laboratory is also essential.	1. Principal or an officer nominated by him. 2. Professors/Assistant Professors (one of them should be the Head of the Department of the concerned subject nominated by the Principal.
13.	Glass Blower ... (220—375)	18	28	1. Five years experience in blowing glass at low temperature and scaling it.	1. Director or an officer nominated by him. 2. Principal, Science College. 3. One Professor/Assistant Professor of the Department concerned.
14.	Mechanic-cum-Electrician (205—375)	18	28	Electrical licence holder from recognised institution and at least two years experience.	1. Director or an officer nominated by him. 2. One Principal nominated by the Director.
15.	Museum Keeper... (220—375)	18	28	B. Sc. (Zoology and Botany).	1. Director or an officer nominated by him. 2. One Principal, Nominated by the Director. 3. Professor/Assistant Professor of subject concerned.
16.	Taxidermist ...	18	28	Must have passed Higher Secondary Examination with Science subjects or its equivalent Examination as recognised by the Government and practical experience.	1. Principal or an officer nominated by him. 2. Two Professors/Assistant Professors nominated by the Principal.
17.	Carpenter ... (155—252)	18	28	A training in carpentry from Higher Secondary Technical School or I. T. I. or a	1. Principal or an officer nominated by him.

Scanned by CamScanner

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Diploma or a Certificate in the trade concerned from Regional College or B. Ed. Training College.	2. One Professor/Assistant Professor nominated by the Principal, Polytechnic. 3. One Professor/Assistant Professor nominated by the Principal of the College.
18.	Matron (195—330) ...	18	28	Must have passed Higher Secondary or its equivalent examination as recognised by the Government and must have practical experience.	1. Principal or an officer nominated by him. 2. Two Professors/Assistant Professors nominated by the Principal.

Scanned by CamScanner

SCHEDULE—IV-(A)

(*Vide* Rule 13)

Directorate of Collegiate Educations, Madhya Pradesh

S. No.	Name of the Department	Name of the Service or post from which promotion is to be made	Name of the Service or post to which promotion is to be made	Name of members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Education Department** Directorate of Collegiate Education, Madhya Pradesh.	Senior Auditor Directorate and Office of the Joint Director.	Superintendent Directorate	1. Joint Director 2. Deputy Director 3. Assistant Director
		(i) Assistant (Directorate and Office of the Joint Director).	Senior Auditor	do.
		(ii) Accountant Grade I and II Directorate	Directorate and Office of the Joint Director.	
		(iii) Head Clerk and Head Clerk-cum-Accountant-College.		
		Accountant 220—375 Accountant Grade III	Assistant. (Directorate and Office of the Joint Director).	do.
		Junior Auditor (205-375) Directorate	Accountant Grade I and II	
		Manager-cum-Accountant (205—375) Ravindra Bhavan.	Directorate	
		Upper Division Clerk (Directorate and Office of the Joint Director).	Accountant (220—375) Junior Auditor Accountant Grade III (205—375) Direcorate, Manager-cum-Accountant, Ravindra Bhavan (205—375).	do.

Scanned by CamScanner

	Lower Division Clerks (Directorate and the Office of the Joint Director).	Upper Division Clerks (Directorate and Office of the Joint Director).	1. Joint Director or an officer nominated by him. 2. Deputy Director. 3. Assistant Director.

Notes.—(1) Promotion on the post of Superintendent shall be made on the basis of merit tempered by Seniority.

(2) From the vacancies of Senior Auditors occurring within one year, 60 per cent posts shall be filled in by promotions of the employees of Colleges and 40 per cent posts shall be filled in by promotion of the employees of Direcorate and Office of the Joint Director and the inter-se-seniority of the persons so promoted shall be counted from the date of their promotion but in case of the date of promotion being the same, the employees of the Directorate shall be considered senior the employees of other offices.

(3) For the post of Senior Auditors, Junior Auditors, and Accountant passing of the prescribed Accounts Examination would be compulsory.

SCHEDULE—IV-(B)

(*Vide* Rule 13)

Educational Institutions (College)

S. No.	Name of the Department	Name of the Service or post from which promotion is to be made	Name of the Service or post to which promotion is to be made	Name of members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Education Department				
	College	Accountant, College	Head Clerk and Head Clerk-cum-Accountant (College).	1. Joint Director. 2. Deputy Director. 3. Assistant Director.
		Upper Division Clerk and Cashier (College).	Accountant (College)	do.
		Tabla Player (College)	Tabla Teacher(College)	do. and one Professor/Assistant Professor of the Department concerned (College).
		Lower Division Clerk and Laboratory Assistant of College concerned.	Upper Division (Clerk College concerned.)	Two Senior Professors and one Senior Asstt. Professor nominated by the Principal.

Notes.—(1) For the post of Accountant passing of prescribed accounts examination would be compulsory.

(2) For the post of Tabla Teacher passing of the examination recognised by the Government/University would be comppulsory.

(3) For eligibility to promotion as the Laboratory Assistants, the educational qualifications prescribed for direct recruitment to Lower Division Clerks would be complulsory.

Scanned by CamScanner

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, EDUCATION DEPARTMENT

No. 1270/1138/DCE/Estt./80 Bhopal, dated 15 April, 1982

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Non-Gazetted Class III Service (Collegiate Branch) Recruitment and Promotion Rules, 1974, namely:—

AMENDMENTS

(1) In Rule 14, the following sub-rule (C) may be added below sub-rule (B), namely :—

"(C) Upper Division Clerks may be promoted directly on the post of Assistant/Head Clerks without passing the accounts examination. Six years experience and accounts training will be essential for them."

(2) In Column (3) of Schedule IV (A) the words "Upper Division Clerks" may be inserted above the words "Accountant 220-375".

(3) In Column (3) of Schedule IV (B) the words "Upper Division Clerk" may be inserted above the words "Accountant, College" and in column (4) of the said Schedule the words "Head Clerk" may be inserted opposite the words "Upper Division Clerk."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

A. V. Kaveeshwar
Special Secretary to Govt. of Madhya Pradesh
Education Department

Endt. No. 1271/1133/DCE/Estt./80 Bhopal, dated 15 April, 1982

Copy forwarded to:—

1. Director, Collegiate Education, M. P., Bhopal.
2. Joint Director, 1, 2, and 3 Collegiate Education, M. P., Bhopal.
3. All Principals, Govt. Colleges, Madhya Pradesh.
4. Controller, Govt., Central Press, M. P. Bhopal, for publication in M. P. Gazette.

Under Secretary to Govt. of
M. P., Education Deptt.

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

क्रमांक १२७०/११३८/मशिसं/स्था./८०

भोपाल, दिनांक १५-४-८२

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, १९७४ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

१. नियम १४ के उप-नियम (ब) के नीचे एक अतिरिक्त उप-नियम (ए) जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(स) उच्च श्रेणी लिपिकों को लेखा परीक्षा पास किये बिना ही सीधे सहायक/मुख्य लिपिकों के पद पर पदोन्नत किया जा सकेगा। इसके लिये ६ वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा और इन्हें लेखा प्रशिक्षण प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा।"

२. अनुसूची क्रमांक ४ (अ) में खाना (२) में उल्लिखित "लेखापाल २२०—३७५" के "ऊपर उच्च श्रेणी" लिपिक शब्द जोड़ा जाये।

३. अनुसूची क्रमांक ४ (ब) में खाना (२) में "लेखापाल महाविद्यालय" के ऊपर "उच्च श्रेणी लिपिक" तथा उसके समक्ष खाना (३) में "मुख्य लिपिक" शब्द स्थापित किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. व्ही. कवीश्वर
विशेष सचिव
मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

पृष्ठांकित क्रमांक १२७१/११३८/मशिस/स्था./८०

भोपाल, दिनांक १५-४-८२

प्रतिलिपि :—

१. संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
२. संयुक्त संचालक (१), (२) एवं (३) महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
३. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
४. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

क्रमांक ४६२/१८०३/२०/मशिसं/स्था.

भोपाल, दिनांक १५-२-८२

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, १९७४ में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में

१. नियम ११ में—

(१) उप-नियम (२) (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(२) निम्न श्रेणी लिपिक के १० प्रतिशत रिक्त पदों में वही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नियुक्ति की पात्रता रखेगा जिसने मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा चतुर्थ श्रेणी के पद पर कम-से-कम पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी की हो। यह नियुक्ति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जावेगी।

Scanned by CamScanner

(२) उप-नियम (चार) में अंक "२८" के स्थान पर अंक ३० स्थापित किया जावे ।

(३) उप-नियम (६) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जावे, अर्थात् :—
"परन्तु यदि सीधी भर्ती चयन के द्वारा की गई है तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये रक्षित सभी रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं होने की दशा में रिक्त स्थानों को उपर्युक्त प्रकार अग्रनीत (केरी फारवर्ड) करने के पूर्व एक बार उन्हीं उम्मीदवारों के लिये पुनः विज्ञापित किये जायेंगे और रिक्त स्थानों को तदनुसार भरे जायेंगे ।

२. नियम १३ के उप-नियम (३) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किये जावें, अर्थात् :—

(४) ऐसे पदों में, जिनमें अनसूची दो यथाविनिर्दिष्ट पदोन्नति की प्रतिशतता 33⅓ प्रतिशत या उससे अधिक हो, पदोन्नति के लिये उपलब्ध रिक्त स्थानों के १६ प्रतिशत तथा २० प्रतिशत रिक्त स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अधिकारियों के लिये रक्षित रखे जायेंगे जो नियम १४ के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति के लिये पात्र होंगे ।

(५) रक्षित रिक्त स्थानों में पदोन्नतियों के लिये प्रक्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार होगी ।

३. वर्तमान नियम १४ [उप-नियम (अ), (अ-१) और (ब), को छोड़कर] के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जावे, अर्थात् :—

(१४) (१) उप-नियम (२) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की १ जनवरी को उन पदों पर, जिनसे कि पदोन्नति की जानी है या किसी अन्य पद या पदों पर जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो स्थानापन्न या मौलिक रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो उप-नियम (२) के उपबन्धों के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हों :

परन्तु इस नियम के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ व्यक्ति को प्रवर श्रेणी पदोन्नति के लिये केवल उसकी निर्धारित सेवा की अवधि पूरी करने के आधार पर अपने से वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं किया जावेगा ।

(२) चयन के लिये विचारार्थ क्षेत्र "गुण व वरिष्ठता" के आधार पर भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या में सामान्यतया सात गुना अधिक व्यक्तियों तक और "वरिष्ठता व गुण" के आधार पर भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या सामान्यतया पांच गुणा अधिक अधिकारियों तक सीमित होगा ।

परन्तु यदि इस प्रकार अवधारित किये गये क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो तो उसे समिति उस विस्तार तक, जहां तक कि वह आवश्यक समझे, लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुये बढ़ा सकेगी ।

४. नियम १५ में—

(१) उप-नियम (१) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जावे, अर्थात् :—

(१) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम १४ में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति/स्थानान्तर के उपयुक्त समझे । यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्तियां तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी । उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के २५ प्रतिशत व्यक्तियों की एक रक्षित सूची भी उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये तैयार की जायेगी ।

(२) उप-नियम (३) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जावे, अर्थात् :—

(३) प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नाम, अनुसूची चार के कालम (२) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे ।

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, सूची में उससे वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण.—ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से उन लोगों के ऊपर जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का दावा नहीं रहेगा ।

Scanned by CamScanner

५. नियम १६ में :—

(१) इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ३२९४/२६२/२०/मशिसं/स्था., दिनांक १५—११—७५ के अनुसार उप नियम (१) तथा उप-नियम (२) में किये गये संशोधन निरस्त किये जायें तथा संशोधन के पूर्व जो उप-नियम थे, वे ही कायम माने जायें।

(२) उप-नियम (४) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(४) प्रवर सूची सामान्यतया तब तक लागू रहेगी जब तक कि नियम १५ के उप-नियम (४) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण न किया जाये, किन्तु उसकी विधि मान्यता उसके तैयार करने की तारीख से १८ मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जायेगी।

परन्तु प्रवर सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गम्भीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर प्रवर सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे तो प्रवर सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

६. नियम १८ के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"१८ परिवीक्षा :—सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को २ वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।"

७. नियम २० के पश्चात् निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"२०-अ-व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबन्ध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी। "

८. अनुसूची क्रमांक १ (अ) एवं अनुसूची (१) (ब) दोनों के नीचे निम्नलिखित टीप अंकित की जाये, अर्थात :—

टीप.—"निम्न श्रेणी लिपिक" के लिये निर्धारित वेतनमान उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा, जो इस नियम के साथ संलग्न अनुसूची तीन में इस पद के लिये निर्धारित सभी अर्हतायें रखता हो। ऐसे व्यक्ति को,जो हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण है और जिसे शासन के सामान्य आदेश के अन्तर्गत हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट की पात्रता है उसे भी यह वेतनमान मिलेगा।

९. अनुसूची ३ (अ) तथा (ब) में खाना (४) के अन्तर्गत जहां-जहां अंक "२८" अंकित है उसके स्थान पर अंक "३०" स्थापित किये जायें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विशेष सचिव
मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

पृ. क्र. ५६३/१८०३/२०/मशिसं./स्था.   भोपाल, दिनांक १५-२-८२

प्रतिलिपि : –

१. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
२. संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
३. संयुक्त संचालक १, २ एवं ३ महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
४. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन- शिक्षा विभाग

Scanned by CamScanner

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, EDUCATION DEPARTMENT

No. 562/1803/20/DCE/Estt. Bhopal, dated 15-2-82

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the follwoing amendments in the Madhya Pradesh Non-Gazetted Class III Service (Collegiate Branch) Recruitment and Promotion Rules, 1974, namely :—

Amendments

In the said Rules :—

1. In Rule 11—

(1) The following sub-rule may be substituted for sub-rule (2) (i), namely :—

"(2) On 10 percent of the total vacancies of the posts of the Lower Division Clerks, only those class IV employees shall be eligible for appointment who have passed Higher Secondary Examination and have completed at least five years continuous service on a class IV post. These appointments shall be made on seniority-cum-merit basis".

(2) In sub-rule(iv), figure "30" may be subrituted for the figure "28".

(3) The following proviso may be added at the end of sub-rule (6), namely :—

"Provided that if direct recruitment has been made through selection and the vacancies reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have not been filled from amongst them those vacancies shall be re-advertised for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes before carrying them forward in the aforesaid manner and the vacancies shall be filled accordingly.

2. The following sub-rule may be inserted after sub-rule (3) of Rule 13, namely :—

(4) Out of such posts, in which the percentage of promotion is 33⅓ or more as specified in Schedule II respectiviely, 16 percent and 20 percent of the available vacancies shall be reserved for the officials of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are eligbie for promotion according to the provisions contained in Rule 14.

(5) The procedure for promotions on the reserved vacancies shall be according to the instructions issued by the General Administration Department of the Govt. from time to time.

3. The following may be substituted for the existing Rule 14 (excepting sub-rule (A), (A-1) and (B), namely :—

(14) (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the Committee shall take in to consideration the cases of all such persons who on the 1st of January of that year had completed three years service in on officiating or substantive capacity on the posts from which promotions are to be made or on such other posts or posts declared equivalent there to by the Government and are within the zone of consideration according to the provisions of Sub-Rule (2).

Provided that under this rule no junior person shall be taken in to consideration on the basis of his having completed the prescribed period of service alone for select grade/promotion in preference to a person already senior to him.

(2) The field of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of officials included in the select list, in case of posts to be filled on the basis of "Merit-cum-Seniority" and shall be generally limited to five times the number of officials included in the select list in case of posts to be filled on the basis of "Seniority-cum-Merit".

Provided that if the required number of suitable officials are not available in the field so determined the field may be enlarged to the extent considered necessary by the Committee by mentioning the reasons in writing.

Scanned by CamScanner

4. In Rule 15—

(1) The following sub-rule may be substituted for sub-rule (1) namely :—

"(1) The committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in the rule 14 above and who have been considered suitable by the Committee for promotion transfer in the service. This list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotions during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unexpected vacancies occuring during the coors of the aforesaid period".

(2) The following sub-rule may be substituted for sub-rule (3) namely :—

(3) The names of the officials included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts at the time of preparation of each list as in Column (2) of Schedule IV.

Provided that any junior official who in the opinion of the Committee is of an exceptional and suitablity, may be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him.

Explanation :—A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection, merely by the fact of his earlier selection.

5. In Rule 16 :—

(1) The amendments made in sub-rule (1) and sub-rule (3) in accordance with this Departments Notification No. 3294/562/20/DCE/Estt., dated 15-11-75 may be repeated and the sub-rules, which existed before the amendments, may be deemed to remain in effect.

(2) The following sub-rule may be substituted for sub-rule (4), namely :—

(4) The select list shall ordinarily be inforce until it is reviewd or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation.

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person whose name has been included in the select list a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Appointing Authority may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

6. The following rule may be substituted for Rule 18, namely :—

"18. *Probation* :—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

7. The following rule may be inserted after rule 20, namely :—

"20-A—Repeal—Nothing contained in these Rules shall effect the reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders of the State Govt. issued from time to time in this regard.

8. The following note may be inserted below Schedule No. 1 (A) and Schedule 6 No. 1 (B), namely:-

Note :—The pay scale prescribed for Lower Division Clerks shall be given only to such person who possesses the qualifications prescribed for the post in the Schedule (iii) enclosed with the Rules. Any person who has passed the Higher Secondary Examination and who is eligible for exemption from passing the Hindi Typing Examination under the orders of the Government, shall also get this scale.

Scanned by CamScanner

9. In Column (4) of Schedule 3 (A) and (B), figure 30 may be substituted for the figure "28" wherever it occurs.

By order and in the name of the Governer of Madhya Pradesh,

Special Secretary
Government of Madhya Pradesh
Education Department

End. No. 563/1803/20/DCE/ Estt. Bhopal, dated 15-2-82

Copy forwarded to :—

1. The Controller, Govt. Central Printing, M. P., Bhopal for favour of publication in the next issue of the M. P. Gazette,
2. The Director, Collegiate Education, M. P., Bhopal.
3. Joint Director 1, 2 and 3, Collegiate Education, Madhya Pradesh, Bhopal.
4. All Principals of Govt. Colleges, Madhya Pradesh.

Under Secretary
Govt. of M. P., Education Department

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

अधिसूचना

क्रमांक ३२९२/५६२/२०/मशित/स्था./७५.

राज्य शासन मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, १९७४ में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

(१) नियम १६ के उप-नियम (१) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(१) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम १५ में निर्धारित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे। सूची में उतने नाम सम्मिलित किये जायें, जितने सूची बनाने की तारीख से १ वर्ष के भीतर सेवा-निवृत्त तथा पदोन्नति के कारण, रिक्त स्थान सम्भावित हों। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि में होने वाले अप्रत्याशित रिक्त स्थानों को भरने के लिये सुरक्षित सूची तैयार की जाये, जिसमें चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के २५ प्रतिशत नाम हों"।

(२) नियम १६ के उप-नियम (३) के स्थान निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(३) सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम (अनुसूची चार के कालम दो में दर्शित) सेवा में प्रत्येक सूची बनाने के समय यथास्थिति वरिष्ठता क्रम के अनुसार रखे जायेंगे। परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा"।

स्पष्टीकरण :—यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, किन्तु उस सूची के प्रभावशील रहने तक की अवधि में उसकी पदोन्नति नहीं हुई हो, तो बाद की बनाई गई सूची में केवल अपने पूर्व में चयन होने के आधार पर उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होने का दावा नहीं कर सकेगा, जिन्हें बाद के चयन में लिया गया है।

(३) नियम १६ के उप-नियम (४) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(४) प्रवर सूची सामान्यतः तब तक लागू रहेगी, जब तक नियम १६ के उप-नियम (४) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण न किये जायें, किन्तु इस सूची की वैधता उसके बनाने की तारीख से १८ महीने की अवधि के बाद नहीं बढ़ाई जा सकेगी"।

परन्तु प्रवर सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गम्भीर चूक होने की स्थिति में शासन के कहने पर प्रवर सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे, तो प्रवर सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक ३२९३/५६२/२०/मशित/स्था.

भोपाल, दिनांक १५-१०-७५

प्रतिलिपि :—

१. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
२. समस्त संयुक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश।
३. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

Scanned by CamScanner

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, EDUCATION DEPARTMENT

Notification

No. 3294/562/XX/DCE-Estt.

The State Government of Madhya Pradesh are pleased to make the following amendment in the Madhya Pradesh Non-Gazetted Class III (Collegiate Branch) Recruitment and Promotion Rules, 1974.

Amendment

1. For the existing Sub-rule (1) of Rule 16, the following Sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 above and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25% of the number of persons included in the said (select) list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occuring during the course of the aforesaid period".

2. (2) For the existing Sub-rule (3) of rule 16, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the (as in column II, Schedule IV) service, at the time of preparation of each select list, provided that any Junior Officer, who, in the opinion of the Committee, is of an exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him".

Explanation.—A person, whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those candidates in a subsequent selection merely by the fact that his earlier selection".

3. For the existing Sub-rule (4) of rule 16, the following Sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with Sub-rule (4) of rule 16, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation".

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any persons included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission may, if it thinks fit remove the name of such persons from the select list.

By order and in the name of the Governor of M. P.,

Ramayan Prasad
Under Secretary
to the Govt. of M. P., Education Deptt.

Bhopal, dated 15-10-75

Endt. No. 3295/562/XX/DCE/Estt.

Copy to :—

1. All Principals, Government Colleges, Madhya Pradesh.
2. All Joint Directors, Collegiate Edn. M. P.
3. General Administration Department, M. P., Bhopal.

Ramayan Prasad
Under Secretary
to the Govt., of M. P., Education Deptt.

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक ७ मार्च, १९७९

क्रमांक ७२२/१४०/२०/मशिसं/स्था./७८

भारत के संविधान के अनुच्छेद, ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश के "राज्यपाल" मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, १९७४ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात् :—

संशोधन

१. नियम १४ के उप-नियम (अ) के नीचे एक अतिरिक्त उप-नियम (अ-१) जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(अ-१) शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत उच्च श्रेणी लिपिकों को भी इस संशोधन जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, अन्यथा उन्हें निम्न श्रेणी लिपिक/प्रयोगशाला सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा"।

२. अनुसूची-१ (ब) में क्रमांक ४ में उल्लिखित "उच्च श्रेणी लिपिक" के समक्ष खाना-६ में उल्लिखित "नियुक्ति प्राधिकारी" "प्राचार्य" के स्थान पर "प्रभारी संयुक्त संचालक" स्थापित किया जाये।

३. अनुसूची -४ (ब) में नोट (१) में शब्द "लेखापाल पद" के स्थान पर शब्द "उच्च श्रेणी लिपिक एवं लेखापाल पदों" स्थापित किये जायें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक वाजपेयी
विशेष सचिव
मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

पृ. क्र. ७२३/१४०/२०/मशिसं/स्था./७८

भोपाल, दिनांक ७ मार्च, १९७९

प्रतिलिपि :—

१. संचालक तथा संयुक्त संचालक (१), (२), (३) महाविद्यालयीन शिक्षा, म. प्र., भोपाल।

२. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

Scanned by CamScanner

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, EDUCATION DEPARTMENT

No. 722/140/20/DCE/Estt./78. Bhopal, dated 7 March, 1979

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Non-Gazetted Class III Service (Collegiate Branch), Recruitment and Promotion Rules, 1974 namely :—

Amendments

1. In rule 14, below Sub-rule (A), the following additional Sub-rule (A-1) shall be inserted, namely:—

   "(A-1) Upper Division Clerks working in the Government Colleges shall be required to pass Accounts Training within a period of three years from the date of issue of this amendment otherwise they shall be reverted to the post of Lower Division Clerk/Lab. Assistant."

2. In Schedule 1 (B), against "Item 4 Upper Division Clerk" for the appointing authority "Principal" mentioned in Column 6, the "Incharge Joint Director" shall be susbstituted;

3. In Schedule 4 (B), in Note-1 for the words "Post of Accountant" the words "Posts of Upper Division Clerk and Accountant" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of M. P.,

Ashok Vajpai
Special Secretary
Govt. of M. P., Education Deptt.

Endt. No. 723/140/20/DCE/Estt. Bhopal, dated 7 March, 1979

Copy forwarded to :—

1. The Director and Joint Director 1, 2 & 3 of Collegiate Education, M. P., Bhopal.
2. The Principal, All Govt. Colleges, M. P. for information and necessary action.

Under Secretary
Govt. of M. P., Education Deptt.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, EDUCATION DEPARTMENT

No. 1539/1283/20/DCE/Estt. Bhopal, Dated 22 May, 1979

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Non-Gazetted Class III Service (Collegiate Branch) Recruitment and Promotion Rules, 1974, namely :—

Amendments

In the said rules,

1. In rule 4 :—
   (a) In clause (2), the word 'and' shall be omitted.
   (b) In clause (3), the word 'and' shall be added at the end; &
   (c) After clause (3), the following clause shall be added, namely :—

Scanned by CamScanner

"(4) persons recruited to the service by absorption under the rule 18-A."

2. After rule 18, the following rule shall be inserted, namely :—

"18-A. Absorption of members of Non-teaching staff viz. clerical and non-clerical staff of Non-Government Colleges:—Members of Non-teaching staff viz. clerical and Non-clerical staff of Non-Government Colleges taken over by Government shall be absorbed in the service in a temporary capacity by the appointing authority in the manner prescribed in Schedule V and the officer passing the order of absorption shall be deemed to be appointing authority in respect of them" and

3. After Schedule IV (B), the following Schedule shall be added namely :—

SCHEDULE—V

(*See* rule 18-A)

Absorption of members of Non-teaching staff viz-Clerical and Non-clerical staff of Non-Government Colleges taken over by the Government.

1. **Definitions** :—In this Schedule, unless the context otherwise required :—

(a) 'College' means and includes any educational institution what-so-ever named which is admitted to the previlege of an University established by Law in the State and is taken over by Government;

(b) 'Member' of Non-teaching staff viz. Clerical and Non-clerical staff means a person holding any of posts mentioned in the Appendix to this Schedule in permanent, temporary or contract service of non- Government college at the time when the college is taken over by the Government ;

(c) 'Screening Committee' means a committee consisting of Joint Director of Collegiate Education to be nominated by the Director.

2. Jurisdicton of Screening Committee :—The Screening Committee shall consider the cases of members of Non-teaching staff viz. clerical and Non-clerical staff for absorption in the service.

3. Consideration for absorption in the service :—No member of the Non-teaching staff viz. Clerical and Non-clerical staff shall be absorbed in the service :

(1) Who does not fulfil minimum requirements/qualifications prescribed in these Rules.

(2) Who at any time in the past was removed or dismissed from Government service or any other service for proved misconduct and/or criminal offence.

(3) If a member of non-teaching staff is otherwise eligible for absorption to a post but has not passed the accounts examination/typing examinatoin, which is necessary for the post of Head Clerk/Accountant and Upper Division Clerk/Lower Division Clerk respectively and if he has put in one year continuous service on the date of taking over of the college by the Government, may be allowed to work on the post for which he is otherwise eligible. Such person will be required to pass the accounts examination/typing examination within a period of two years from the date of publication of these rules in the M. P. Gazette, otherwise, if he is a Head Clerk or Accountant, he will be absorbed on the post of U. D. C. and, if he is an U.D.C. he will be absorbed on the post of L. D. C. A person so allowed to work on the higher post shall count his seniority in the higher post with effect from the date from which he passes the requisite examination.

A Lower Division Clerk who has not passed the typing examination but is otherwise eligible for absorption as L. D. C. will be allowed to continue as L. D. C. at fixed pay which he was getting on the date of taking over of the College by the Government but he shall count his seniority with effect from the date he passes the typing examination and will be eligible for annual increment from date of passing the said examination.

Scanned by CamScanner

4. Post of Absorption :—No member of Non-teaching staff, viz., Clerical and Non-clerical, shall be absorbed in the service on a post which carries scales of pay higher than the scale of pay of the post on which such member was working immediately before the taking over of the Non-Government college concerned by Government.

5. Subject to the provisions of paragraph 3, no member of non-teaching staff, viz., Clerical and Non-Clerical staff, shall be absorbed on a post of Head Clerk, Head Clerk cum Accountant, Accountant or Upper Division Clerk unless such member has minimum experience of clerical service of.

(a) Nine years in the case of Head Clerk, and Head Clerk-cum-Accountant,

(b) Six years in the case of Accountant; and

(c) Three years in the case of Upper Division Clerk, on the date of taking over of the non-government College by the Government.

6. Determination of seniority :—

Subject to the provisions of para 3 (3) :

(1) Seniority of a member of non-teaching staff viz., Clerical and Non-Clerical staff, shall count from the date of taking over of the non-Government college concerned by the Government.

(2) Subject to the provisions of clause (I), the members of Non-teaching staff, viz., clerical and non-clerical staff of a Non-Government college taken over by the Government earlier shall be placed in the gradation list above the members of the Non-teaching staff, viz., Clerical and Non-clerical staff of the Non-Government Colleges taken over by Government at a later date, and as amongst the members of Non-teaching staff, viz., Clerical and Non-clerical staff of a Non-Government college taken over by Government interse seniority shall be determined according to their interse seniority in the college immediately before taking over of the college concerned by the Government.

7. Leave benefits.—No leave shall be permitted to be carried forward by a person working in a Non-Government College on his absorption in Government service.

Exception :

However, if such persons pay the leave salary contribution in respect of the service rendered in a Non-Government College, he shall be permitted to carry forward the leave so earned subject to the restrictions and maximum limit prescribed in the Madhya Pradesh Civil Service (Leave) Rules 1977.

8. *No confirmation as of right :—*

No person absorbed into Government service under the provisions of this Schedule shall, by virtue of the fact that he was earlier confirmed in service by the Non-Government college, claim as of right to the confirmed in Government service. Confirmation of such persons shall be made in accordance with the Government rules in force from time to time.

9. Recommendation of Screening Committee:—The Screening Committee shall, after taking into consideration the relevant provisions of this Schedule, make suitable recommendation to the appointing authority for orders under Rule 18-A.

10. Pay Fixation :—Pay of members of Non-teaching staff, viz., Clerical and Non-Clerical staff, shall be fixed, on absorption, at the minimum of the scale of pay of the post on which he is absorbed and if the pay so fixed is lower than the pay being drawn by him in the Non-Government College immediately before its taking over by the Govt., the difference between the pay fixed on absorption and the pay being drawn in the Non-Government College immediately before its taking over by Government shall be treated as personal pay to be merged in future increments in the scale of the post on which he is absorbed.

11. These rules shall apply to the Non-teaching staff of colleges taken over in the year 1971 and thereafter.

Scanned by CamScanner

APPENDIX

(See Para 1 (b) of the Schedule V)

POSTS

Posts mentioned in the Schedule 1 (B) of the M. P. Non-Gazetted Class III Service (Collegiate Branch) Recruitment and Promotion Rules, 1974.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Special Secretary
Government of Madhya Pradesh
Education Department

मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

क्रमांक १५३९/१२८२/२०/मशिस/स्था. भोपाल, दिनांक २२-५-१९८१

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, १९७४ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

१. नियम-४ में,

(क) खण्ड (२) में शब्द "और" का लोप किया जाये।

(ख) खण्ड (३) में शब्द "और" अन्त में जोड़ा जाये, और

(ग) खण्ड (३) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात्

"(४) वे व्यक्ति जो नियम १८-क के अधीन संविलियन द्वारा सेवा में भर्ती किये गये हों"।

२. नियम १८ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

१८-क प्रशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकेतर कर्मचारी वृन्द (नान टीचिंग स्टाफ) के सदस्यों का संविलियन:—शासन द्वारा ले लिये गये प्रशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकेतर कर्मचारी वृंद (नान टीचिंग स्टाफ) के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूची ५ में विहित की गई रीति में अस्थायी रूप में सेवा में संविलियित किये जायेंगे और संविलियन का आदेश पारित करने वाला अधिकारी उनके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी समझा जायेगा, और

३. अनुसूची ४ (ब) के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाये, अर्थात् :—

अनुसूची ५

(नियम १८-क देखिये)

शासन द्वारा लिये गये प्रशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकेतर कर्मचारी वृन्द के सदस्यों का संविलियन :—

१. परिभाषायें :—इस अनुसूची में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है तथा उसके अन्तर्गत आती है किसी भी नाम की कोई ऐसी शैक्षिक संस्था, जिसे राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों और जो शासन द्वारा ले ली गई हो।

Scanned by CamScanner

(ख) "अध्यापकेतर कर्मचारीवृन्द का सदस्य" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी अशासकीय महाविद्यालय को शासन द्वारा ले लिये जाने के समय ऐसे महाविद्यालयों की स्थायी, अस्थायी या संविदा सेवा के उन पदों में से जो इस अनुसूची के परिशिष्ट में उल्लेखित हैं, कोई पद धारण करता है ।

(ग) "अनुवीक्षण समिति" से आशय उस समिति से है जिसमें संचालक द्वारा मनोनीत संयुक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा होंगे ।

२. अनुवीक्षण समिति की अधिकारिता :—समिति अध्यापकेतर कर्मचारी वृन्द के सदस्यों को सेवा में संविलियत किये जाने के प्रकरणों पर विचार करेगी ।

३. सेवा में संविलियन के लिये विचार :—अध्यापकेतर कर्मचारीवृन्द का ऐसा कोई सदस्य सेवा में संविलियत नहीं किया जायेगा :—

(१) जो संविलियन के पद के लिये इन नियमों में विहित न्यूनतम अर्हतायें न रखता हो ।

(२) जो साबित कदाचार तथा या दाण्डिक अपराध के लिये पूर्व में शासकीय सेवा या किसी अन्य सेवा से किसी भी समय हटाया गया था या पदच्युत किया गया था ।

(३) यदि अशैक्षणिक स्टाफ का कोई सदस्य, किसी पद पर संविलियन के लिये अन्यथा पात्रता रखता है परन्तु लेखा परीक्षा/टंकन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है जो कि क्रमशः मुख्य लिपिक/लेखापाल एवं उच्च श्रेणी/निम्न श्रेणी लिपिक के पद हेतु आवश्यक है और यदि उसने शासन द्वारा महाविद्यालय शासनाधीन लेने के समय एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो उसे उक्त पद पर, जिसके लिये वह अन्यथा पात्रता रखता है, कार्य करने दिया जा सकेगा । ऐसे व्यक्ति को इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो साल के भीतर लेखा प्रशिक्षण परीक्षा/टंकन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना होगा अन्यथा वह यदि मुख्य लिपिक या लेखापाल है तो उसे उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर संविलियन किया जायेगा और यदि वह उच्च श्रेणी लिपिक है तो निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर संविलियत किया जायेगा । वह व्यक्ति जिसे इस प्रकार उच्च पद पर कार्य करने की अनुमति दी जायेगी उसकी वरिष्ठता उच्च पद पर उसके द्वारा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के दिनांक से गिनी जावेगी ।

निम्न श्रेणी लिपिक, जो टाईपिंग परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, परन्तु निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर संविलियन की पात्रता रखते हैं, शासन द्वारा महाविद्यालय शासनाधीन लेने के समय जो वेतन प्राप्त कर रहे थे उस नियत वेतन पर उन्हें निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर कार्य करने की अनुमति दी जावेगी, परन्तु उनकी वरिष्ठता उसके द्वारा टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनांक से गिनी जावेगी तथा वार्षिक वेतनवृद्धि विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनांक से प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

४. संविलियन का पद :—अध्यापकेतर कर्मचारीवृन्द का कोई भी सदस्य सेवा में किसी ऐसे पद पर संविलयित नहीं किया जावेगा जिसका वेतनमान उस पद के वेतनमान से उच्चतर हो, जिस पद पर ऐसा सदस्य शासन द्वारा सम्बन्धित अशासकीय महाविद्यालय को ले लिये जाने के अव्यवहित पूर्व कार्य कर रहा था ।

५. पैरा ३ के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये अध्यापकेतर कर्मचारीवृन्द के किसी भी सदस्य को मुख्य लिपिक, मुख्य लिपिक-कम-लेखापाल, लेखापाल या उच्च श्रेणी लिपिक पद पर तब तक संविलयित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे सदस्य को अशासकीय महाविद्यालयों को शासन द्वारा ले लिये जाने की तारीख को लिपिक वर्गीय सेवा का :—

(क) मुख्य लिपिक और मुख्य लिपिक-कम-लेखापाल के मामले में न्यूनतम अनुभव नौ वर्ष का न हो ।

(ख) लेखापाल के मामले में न्यूनतम अनुभव छः वर्ष का न हो, और

(ग) उच्च श्रेणी लिपिक के मामले में न्यूनतम अनुभव तीन वर्ष का न हो ।

६. ज्येष्ठता का अवधारण :—(१) खण्ड ३ (३) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, अध्यापकेतर कर्मचारीवृन्द के सदस्य की ज्येष्ठता की गणना सम्बन्धित अशासकीय महाविद्यालय को शासन द्वारा ले लिये जाने की तारीख से की जावेगी । (२) खण्ड (१) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये ऐसे किसी अशासकीय महाविद्यालय के जो शासन द्वारा पहिले लिया गया हो, अध्यापकेतर कर्मचारीवृन्द के सदस्यों को पदक्रम सूची में ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों के जो शासन द्वारा बाद की तारीख में ले लिये गये हों, लिपिक वर्गीय कर्मचारीवृन्द के सदस्यों से ऊपर रखा जायेगा और शासन द्वारा ले लिये गये किसी अशासकीय महाविद्यालय के लिपिक वर्गीय कर्मचारीवृन्द के सदस्यों के बीच परस्पर ज्येष्ठता, सम्बन्धित महाविद्यालय को शासन द्वारा ले लिये जाने से अव्यवहित पूर्व उस महाविद्यालय में उनकी परस्पर ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

७. अवकाश लाभ :—अशासकीय महाविद्यालय के किसी कर्मचारी को, उसका शासकीय सेवा में संविलियन होने पर, अवकाश आगे ले जाने की (Carry forward) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।

अपवाद—

किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा अशासकीय महाविद्यालय में की गई सेवा अवधि का अवकाश-वेतन-अंशदान (Leave salary contribution) का भुगतान करता है तो उसको उसके द्वारा अर्जित अवकाश आगे ले जाने की अनुमति प्रदान की जावेगी । किन्तु ऐसी अनुमति मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम, १९७७ द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तथा प्रतिबन्ध के अधीन होगी ।

Scanned by CamScanner

८. स्थायीकरण अधिकार के रूप में नहीं होगा :—शासकीय सेवा में इस अनुसूची के उपबन्धों के अधीन संविलियित कोई भी व्यक्ति, इस तथ्य के आधार पर कि वह अशासकीय महाविद्यालय द्वारा सेवा में पूर्व में ही स्थायी किया गया था, शासकीय सेवा में स्थायी किये जाने के लिये अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं करेगा। ऐसे व्यक्तियों का स्थायीकरण शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अनुसार किया जायेगा।

९. अनुवीक्षण समिति की सिफारिश :—अनुवीक्षण समिति इस अनुसूची के सुसंगत उपबन्धों पर विचार करने के पश्चात् नियम १८-क के अधीन आदेश के लिये नियुक्ति प्राधिकारी को उपयुक्त सिफारिश करेगी।

१०. वेतन निर्धारण :—अध्यापकेतर कर्मचारीवृन्द के सदस्यों का संविलयन होने पर वेतन, उस पद के जिस पर कि वह संविलियित किया गया है, न्यूनतम वेतनमान पर निर्धारित किया जायेगा और यदि इस प्रकार नियत किया गया वेतन उस वेतन से जो कि अशासकीय महाविद्यालय को शासन द्वारा ले लिये जाने के अव्यवहित पूर्व उसके द्वारा (सदस्य द्वारा) अशासकीय महाविद्यालय में लिया जा रहा था, कम है तो संविलियन पर नियत किये गये वेतन तथा शासन द्वारा अशासकीय महाविद्यालय को ले लिये जाने के अव्यवहित पूर्व वहां लिये जा रहे वेतन के बीच के अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में माना जायेगा, जिसका विलयन उस पद के, जिसमें कि वह सदस्य संविलियित किया गया हो, वेतनमान की भावी वेतनवृद्धि में किया जायेगा।

११. उपर्युक्त नियम सन् १९७१ एवं उसके पश्चात् शासनाधीन लिये गये महाविद्यालयों के अध्यापकेतर कर्मचारियों पर लागू होंगे।

परिशिष्ट

(अनुसूची पांच का पैरा १ (ख) देखिये)

मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती तथा पदोन्नति नियम, १९७४ की अनुसूची की अनुसूची क्रमांक-१ (अ) में उल्लिखित पद।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक वाजपेयी
विशेष सचिव
मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

क्रमांक २६५०/१५२१/२०/मशिसं/स्था.

भोपाल, दिनांक १८-९-७६

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, १९७४ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

१. अनुसूची क्रमांक ३ (ब) में प्रयोगशाला सहायक के लिये कालम ५ में अंकित १०० प्रतिशत विलुप्त किया जाकर "५० प्रतिशत" स्थापित किया जावे तथा कालम ६ में "५० प्रतिशत" (प्रयोगशाला परिचालकों के द्वारा) स्थापित किया जावे।

२. अनुसूची क्रमांक ४ (ब) के कालम २ के अन्त में अंकित नोट के ऊपर :—

(क) कालम (२) में "प्रयोगशाला परिचारक (सम्बन्धित महाविद्यालय)" कालम (३) में "प्रयोगशाला सहायक सम्बन्धित महाविद्यालय" तथा कालम ४ में "तदैव" शब्द अंतःस्थापित किये जावें, तथा

(ख) निम्नलिखित एक और टिप्पणी अंकित की जाये, अर्थात्–४ "प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति के लिये प्रयोगशाला परिचारक के पास प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति के लिये अनुसूची ३ (ब) में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता, होना अनिवार्य है।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विशेष सचिव
मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

Scanned by CamScanner

पृ. क्रमांक ३६५१/१५२१/२०/मशिसं/स्था.

भोपाल, दिनांक १८-९-७९

प्रतिलिपि :—

१. संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।

२. संयुक्त संचालक, १, २ एवं ३ महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश।

३. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष सचिव
मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, EDUCATION DEPARTMENT

No. 3650/1521/XX/DCE/Estt.

Bhopal, dated 18 September, 1979

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following amendment in Madhya Pradesh Non-Gazetted Class III (Collegiate Branch) Recruitment and Promotion Rules, 1974 viz.—

Amendment

1. In column 5 of Schedule 2 (B), as far as it relates to Laboratory Assistants, "100%" be deleted and "50%" be substituted and in Col. 6 of the said Schedule "50%" by promotion of Laboratory Attendants be substituted.

2. Insert following in Schedule IV (B) :—

   (a) In column 2 of the schedule "Laboratory Attendant (Concerning college)", in column 3 "Laboratory Assistant (Concerning college)", and in column 4 "Do" and

   (b) One more note may be added, viz, :—

   4—For promotion to the post of Laboratory Assistant, the Laboratory Attendant must possess requisite qualifications for appointment prescribed for Laboratory Assistants as mentioned in schedule 3 (B).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Special Secretary
Government of Madhya Pradesh
Education Department

Endt. No. 3651/1521/XX/DCE/Estt.

Bhopal, dated 18 September, 1979

Copy forwarded to :—

1. The Director of Collegiate Education, M. P., Bhopal.
2. All the Joint Directors of Collegiate Education, M. P.
3. All the Principals, Govt. Colleges of M. P. for information and necessary action.

Special Secretary
Government of Madhya Pradesh
Education Department

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक /१७९ मशिनं स्था./२२. भोपाल, दिनांक

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, १९७४ में निम्नलिखित, संशोधन करते हैं:—

संशोधन

उक्त नियमों में,

अनुसूची ४ के नियम ३ (३) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये—परन्तु यह और की दिनांक २८-८-७१ के पूर्व शासनाधीन लिये गये महाविद्यालयों में निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों के संविलियन के लिये हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग

क्र. ६३६०/५०६६/७७/बीस/मशिनं/स्था. भोपाल, दिनांक ६ दिसम्बर, १९७९

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, १९७४ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में:—

१. नियम ४ (१) की प्रथम पंक्ति में अनुसूची—१ (अ) एवं (ब) के पश्चात् (स) जोड़ी जाये।
२. नियम ५ मे की द्वितीय पंक्ति में अनुसूची—१ (अ) एवं (ब) के बाद (स) जोड़ी जाये।
३. नियम ६ (१) (ख) में उल्लिखित अनुसूचियों, अर्थात् (अ) तथा (ब) में (स) और जोड़ी जाये। नियम ६ (२) में उल्लिखित अनुसूची-२ अर्थात् (अ) एवं (ब) में (स) और जोड़ी जाये।
४. नियम ८ (१) (क) में उल्लिखित अनुसूची-३ अर्थात् (अ) एवं (ब) में अनुसूची (स) और जोड़ी जाये। नियम ८ (२) में उल्लिखित अनुसूची (३) अर्थात् (अ) एवं (ब) में (स) और जोड़ी जाये।
५. नियम ११ (१) (ख) (१) की द्वितीय पंक्ति में शीघ्रलेखकों के पश्चात् निम्नलिखित पद और जोड़े जावे:—

   (१) प्राध्यापक (व्याख्याता)
   (२) अध्यापक
   (३) तबला शिक्षक
   (४) सहायक (संगीत)
   (५) असिस्टेन्ट बैण्ड मास्टर
   (६) म्युजीशियन।

   नियम ११ (२) (दो) के अन्त में निम्न प्रावधान जोड़ा जाये:—

   (१) प्राध्यापक के २५ प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा ७५ प्रतिशत पद अनुसूची-४ (स) में उल्लिखित अध्यापकों में से या प्रधान ज्येष्ठता गौण के आधार पर पदोन्नत कर भरे जावेंगे।
   (२) अध्यापक पदों के २५ प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा ७५ प्रतिशत पद अनुसूची-४ (स) में उल्लिखित उपाध्यापक/तबला शिक्षक/सहायक संगीतकार, जो १६९—३०० के वेतनमान में कार्यरत हों, में से योग्यता प्रधान ज्येष्ठता गौण के आधार पर पदोन्नत कर भरे जावेंगे।
   (३) इन पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नतम शैक्षणिक योग्यता अनुसूची-३ (स) में प्रत्येक पद के समक्ष दर्शाये अनुसार होना चाहिये।
६. नियम १३ की तृतीय पंक्ति में उल्लिखित अनुसूची-४ अर्थात् (अ) एवं (ब) में (स) जोड़ी जाये।
७. नियम ८ की अनुसूची III (अ) के कालम (४) में अधिकतम आयु सीमा २८ वर्ष के स्थान पर ३० वर्ष प्रतिस्थापित की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विनय शंकर
विशेष सचिव

Scanned by CamScanner

अनुसूची क्रमांक १ (स)

[नियम ४ एवं ५ देखिये]

मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी कर्मचारी सेवा महाविद्यालयीन शिक्षा (अराजपत्रित)

शिक्षण संस्थायें संगीत महाविद्यालय

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या स्थायी	अस्थायी	योग	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति अधिकारी
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
१.	प्राध्यापक (व्याख्याता)	६	२	८	तृतीय श्रेणी	२५०—६००	संचालक
२.	अध्यापक	९	९	१८	,,	२२०—३७५	,,
३.	उपाध्यापक	१७	९	२६	,,	१६९—३००	,,
४.	तबला शिक्षक	७	५	१२	,,	१६९—३००	,,
५.	सहायक	..	..	१०	,,	१५५—२५२	,,
६.	असिस्टेन्ट बैण्ड मास्टर	..	१२	१२	,,	१६९—३००	,,
७.	म्युजिशियन	..	..	११	,,	१६९—३००	,,

अनुसूची क्रमांक २ (स)

[नियम ६ (२) देखिये]

मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी कर्मचारी सेवा महाविद्यालयीन शिक्षा (अराजपत्रित)

शिक्षण संस्थायें--संगीत महाविद्यालय

क्रमांक	विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत — सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में मूल सदस्यों की पदोन्नतियों द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
१.	शिक्षा विभाग शिक्षण संस्थायें, संगीत महाविद्यालय	प्राध्यापक (व्याख्याता)	८	२५ प्रतिशत	७५ प्रतिशत	
		अध्यापक ..	१८	,,	,,	
		उपाध्यापक ..	२६	१०० प्रतिशत	..	
		तबला शिक्षक ..	१२	,,	..	
		सहायक ..	१०	,,	..	
		असिस्टेन्ट बैण्ड मास्टर	१२	,,	..	
		म्यूजिशियन	११	,,	..	

Scanned by CamScanner

अनुसूची क्रमांक ३ (स)
(नियम ८ देखिये)

मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी कर्मचारी सेवा महाविद्यालयीन शिक्षा (अराजपत्रित)

शिक्षण संस्थायें—संगीत महाविद्यालय

क्रमांक (१)	सेवा का नाम (२)	न्यूनतम आयु सीमा (३)	अधिकतम आयु सीमा (४)	शैक्षणिक अर्हतायें (५)	चयन समिति के सदस्यों के नाम (६)
१.	उपाध्यापक	१८	३५	मान्यता प्राप्त संस्था से संगीत के सम्बन्धित विषय में स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	१. संयुक्त संचालक अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी अध्यक्ष। २. संगीत महाविद्यालय का एक प्राचार्य—सदस्य ३. सहायक संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा—सदस्य।
२.	तबला शिक्षक ..	१८	३०	हायर सेकेन्डरी तथा मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित विषय में मध्यमा/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	
३.	सहायक	१८	३०	तदैव	
४.	म्यूजीशियन	१८	३०	हायर सेकेन्डरी तथा सम्बन्धित वाद्य यन्त्र में प्रवीणता।	
५.	अध्यापक	१८	३५	मान्यता प्राप्त संस्था से द्वितीय श्रेणी की सम्बन्धित विषय की उपाधि, साथ ही कम से कम ३ वर्ष का संगीत शिक्षण का अनुभव यदि तृतीय श्रेणी प्राप्त हो, तो ५ वर्ष का संगीत शिक्षण का अनुभव।	
६.	व्याख्याता	१८	३५	हायर सेकेन्डरी तथा भातखण्डे कालेज आफ म्यूजिक, लखनऊ का सम्बन्धित विषय में संगीत निपुण अथवा माधव संगीत महाविद्यालय, ग्वालियर से संगीत रत्न अथवा गंधर्व महाविद्यालय मण्डल, बम्बई का संगीत प्रवीण अथवा प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद का संगीत प्रभाकर अथवा खैरागढ़ विश्वविद्यालय का कोविद या एम. ए. संगीत या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगीत की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण और सम्बन्धित विषय के संगीत शिक्षण का कम से कम ३ वर्ष का अनुभव।	

Scanned by CamScanner

अनुसूची क्रमांक ४ (ज)

(नियम ६ देखिये)

संचालनालय महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक	विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जाना है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१.	शिक्षा विभाग, शिक्षण संस्थायें, संगीत महाविद्यालय	अध्यापक	प्राध्यापक (व्याख्याता)	१. संयुक्त संचालक २. सहायक संचालक ३. संगीत महाविद्यालय का एक प्राचार्य ।
		उपाध्यापक, तबला शिक्षक, सहायक, जो रुपये १६९—३०० के वेतनमान में कार्यरत हों ।	अध्यापक	

नोट :—प्राध्यापक एवं अध्यापक के पद, जिस विषय में रिक्त होंगे, उसी विषय की अनुसूची २ (ख) में वांछित अर्हता प्राप्त निम्न वर्ग के कर्मचारी को ही पदोन्नति हेतु विचार में लिया जायेगा, चाहे वरिष्ठता में वह भले ही कनिष्ठ हो ।

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

क्र. ५७४४/बीस/मशिस/स्था/७७ भोपाल, दिनांक १८ अक्टूबर, १९७८

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा, शिक्षा विभाग (महाविद्यालयीन शाखा) में चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती की पद्धति तथा क्षेत्र को विनियमित करते हुये, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

(१) संक्षिप्त नाम.—ये नियम मध्यप्रदेश चतुर्थ श्रेणी सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, १९७७ कहलायेंगे।

(२) प्रयुक्ति.—ये नियम इससे संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (१) में उल्लेखित पदों के सम्बन्ध में इस सेवा के प्रत्येक कर्मचारी पर नियम जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

(३) वर्गीकरण तथा वेतनमान आदि.—उक्त पदों का वर्गीकरण, उनसे सम्बन्धित वेतनमान, उक्त पदों के लिये भर्ती की पद्धति, आयु सीमा (न्यूनतम) और उक्त पदों से सम्बन्धित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तम्भ ३ से १० में उल्लिखित होंगी।

(४) शासनाधीन लिये गये अशासकीय महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का संविलियन.—सन् १९७० अथवा उसके बाद शासनाधीन लिये गये महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का संविलियन अनुसूची (१) (स) में विनिर्दिष्ट प्रावधान अनुसार किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

अनुसूची क्रमांक १ (अ)

संचालनालय, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानांतर द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का प्रतिशत	केवल सीधी भर्ती के लिये: आयु सीमा (न्यूनतम)	केवल सीधी भर्ती के लिये: आवश्यक शैक्षणिक अर्हता	केवल सीधी भर्ती के लिये: परिवीक्षा प्रशिक्षण यदि कोई हो, अवधि	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता लागू होगी	पदोन्नति/स्थानान्तर, नियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वह पदक्रम जिसमें पदोन्नति स्थानान्तरण किया जायेगा	विवरण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
१.	जमादार	१	चतुर्थ श्रेणी	रु. १२१—१६४	१०० प्रतिशत पदोन्नति	..	..	..	नहीं	भृत्य/फर्राश	
२.	दफ्तरी ..	१	,,	रु. १२१—१६४	,,	..	..	..	,,	,,	
३.	भृत्य ..	१८	,,	रु. १२५—१५०	१०० प्रतिशत सीधी भर्ती	१८ वर्ष	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण	..	,,	..	
४.	फर्राश ..	३	,,	रु. १२५—१५०	,,	,,	,,	..	,,	..	

चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम

अनुसूची क्रमांक १ (अ)

संचालनालय, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानांतर द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का प्रतिशत	केवल सीधी भर्ती के लिये: आयु सीमा (न्यूनतम)	केवल सीधी भर्ती के लिये: आवश्यक शैक्षणिक अर्हता	केवल सीधी भर्ती के लिये: परिवीक्षा प्रशिक्षण यदि कोई हो, अवधि	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता लागू होगी	पदोन्नति/स्थानान्तर, नियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वह पदक्रम जिससे पदोन्नति स्थानान्तरण किया जायेगा	विवरण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
१.	जमादार	१	चतुर्थ श्रेणी	रु. १२१—१६४	१०० प्रतिशत पदोन्नति	..	..	..	नहीं	भृत्य/फर्राश	
२.	दफ्तरी ..	१	”	रु. १३१—१६४	”	..	..	..	”	”	
३.	भृत्य ..	१८	”	रु. १२५—१५०	१०० प्रतिशत सीधी भर्ती	१८ वर्ष	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण	..	”	..	
४.	फर्राश ..	३	”	रु. १२५—१५०	”	”	”	..	”	..	

चतुर्थ श्रेणी भर्ती नियम

अनुसूची क्रमांक-१ (ब)

शिक्षण संस्थायें—महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तर द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का प्रतिशत	केवल सीधी भर्ती के लिये: आयु सीमा (न्यूनतम)	आवश्यक शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा परिवेक्षन यदि कोई हो, की अवधि	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता लागू होगी	पदोन्नति/स्थानान्तर/नियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वह पदक्रम जिसमें पदोन्नति/स्थानान्तरण किया जायेगा	विवरण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
१.	प्रयोगशाला परि.	६५६	चतुर्थ श्रेणी	रुपये १३६—२००	९० प्रतिशत सीधी भर्ती १० प्रतिशत पदोन्नति	१८ वर्ष	दसवीं कक्षा सम्बन्धित विषय से उत्तीर्ण।	नहीं	केवल शैक्षणिक अर्हता आवश्यक होगी	क्रमांक ४ से २६ तक के समस्त कर्मचारियों को उसी क्रम से।	
२.	मेट्रन	३	"	१३६—२००	१०० प्रतिशत सीधी भर्ती	"	हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण।	नहीं	..	..	
३.	ड्रायवर	२	"	१२६—२५२	१०० प्रतिशत सीधी भर्ती	..	पांचवी कक्षा	नहीं	..	..	
४.	दफ्तरी	१६	"	१३१—१६४	१०० प्रतिशत पदोन्नति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	क्रमांक ७ से २९ तक के कर्मचारी उसी क्रम से क्रमांक ७ से २९ तक।	
५.	जमादार	१४	"	१३१—१६४	१०० प्रतिशत पदोन्नति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	"	
६.	बुक लिफ्टर	३८	"	१२५—१५० १३१—१६४ १३१—१३२	९० प्रतिशत सीधी भर्ती १० प्रतिशत पदोन्नति	१८ वर्ष	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण	नहीं	केवल शैक्षणिक अर्हता पांचवी कक्षा उत्तीर्ण आवश्यक.	क्रमांक ७ से २९ तक के समस्त कर्मचारी उसी क्रम से।	
७.	भृत्य	४३४	"	१२५—१५०		..	..	..	..	..	
८.	चौकीदार	७५	"	१२५—१५०							
९.	वाटर मेन	१	"	१२५—१५०							
१०.	एनीमल कीपर	१	"	१२५—१५०		..	..	..	..	..	

Scanned by CamScanner

११. माली	५८	चतुर्थ श्रेणी	१२५—१५०			माली पद के लिये पद के कार्य का अनुभव आवश्यक	
१२. फर्राश	१११	"	१२५—१५०				
१३. मैसमैन	४२	"	१२५—१५०				
१४. सेक्शन कटर	२	"	१२५—१५०				
१५. क्लीनर	५	"	१२५—१५०				
१६. स्वीपर	७२	"	१२५—१५०				
१७. पुस्तकालय परिचारक	१९	"	१२५—१५०				
१८. लेब सर्वेन्ट	११८	"	१२५—१५०				
१९. खलासी	३२	"	१२५—१५०				
२०. मैकेनिक	२	"	१२५—१५०				
२१. फोरमैन	१	"	१२५—१५०				
२२. मिस्त्री	१	"	१२५—१५०	१०० प्रतिशत सीधी भर्ती	१८ वर्ष	पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण	नहीं
२३. वायलर वर्कमैन	३	"	१२५—१५०				
२४. मोमकरची	४	"	१२५—१५०				
२५. केयर टेकर	१	"	१२५—१५०				
२६. कार्टमैन	२	"	१२५—१५०				
२७. चौकरी	१	"	१२५—१५०				
२८. हॉस्टल सर्वेन्ट	१	"	१२५—१५०				
२९. भिश्ती	३	"	१२५—१५०				

अनुसूची १ (ग)

शासनाधीन लिये गये अशासकीय महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संविलियन :—

१. परिभाषा :—इस अनुसूची में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(१) "महाविद्यालय" से तात्पर्य है, और इसमें सम्मिलित है, किसी भी नाम की ऐसी कोई भी शैक्षणिक संस्था, जिसे अशासकीय सम्बन्ध या संघटक महाविद्यालय के रूप में किसी भी विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों और जिसे शासन द्वारा ले लिया गया हो।

(२) "कर्मचारीवृन्द" से तात्पर्य है, किसी अशासकीय महाविद्यालय को शासनाधीन लिये जाने के तुरन्त पूर्व, ऐसे महाविद्यालय की स्थायी या अस्थायी या संविदा सेवा में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वृन्द।

(३) "अनुवीक्षण समिति" से तात्पर्य, उस समिति से है, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :—

(एक) संयुक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश—अध्यक्ष।

(दो) उप-संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश—सदस्य।

(तीन) सहायक संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश—सदस्य।

२. "अनुवीक्षण समिति" की अधिकारिता :—अनुवीक्षण समिति, महाविद्यालय के कर्मचारी वृन्द को शासकीय सेवा में संविलयित किये जाने के मामलों पर विचार करेगी।

३. शासकीय सेवा के अधीन संविलियन के लिये विचार विमर्श :—अनुवीक्षण समिति, समुचित पदों पर संविलियन किये जाने के लिये उसे निर्दिष्ट मामलों पर विचार करेगी, और वह निम्नलिखित तथ्यों द्वारा मार्ग दर्शित होगी :—

(१) ऐसा कोई व्यक्ति जो मध्यप्रदेश चतुर्थ श्रेणी सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, १९७७ में निहित अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो, उसका संविलियन नहीं किया जायेगा।

(२) ऐसा कोई भी व्यक्ति संविलयित नहीं किया जायेगा, यदि उसे कदाचार या, तथा/या दाण्डिक अपराध के लिये पूर्व में शासकीय या किसी अन्य सेवा से किसी भी समय हटाया गया हो, या पदच्युत किया गया हो।

(३) ऐसा कोई भी व्यक्ति, शासकीय सेवा में संविलयित नहीं किया जायेगा, यदि उसने तत्समय प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त कर ली हो।

४. समतुल्य पदों पर संविलियन के लिये विचार विमर्श :—कोई भी व्यक्ति शासकीय सेवा में ऐसे पद पर संविलियत नहीं किया जायेगा, जिसका वेतनमान उस पद के वेतनमान से उच्चतर हो, जिस पर वह शासन द्वारा महाविद्यालय शासनाधीन लिये जाने के पूर्व कार्य कर रहा था।

५. संविलयन आदेशों का जारी किया जाना :—अनुवीक्षण समिति इस अनुसूची के सुसंगत उपबन्धों पर विचार करने के पश्चात्, संचालक महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश को समुचित सिफारिश करेगी, समिति की सिफारिश संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् शासन द्वारा संविलयन आदेश जारी किये जायेंगे।

६. वरिष्ठता का निर्धारण :—किसी विशिष्ट पद पर संविलयित व्यक्ति की वरिष्ठता महाविद्यालय के शासनाधीन लिये जाने के दिनांक से होगी। सम्बन्धित महाविद्यालय में एक ही संवर्ग एवं वेतनमान में सम्बन्धित कर्मचारियों की आपसी वरिष्ठता वही होगी, जो महाविद्यालय के शासनाधीन लिये जाने के तुरन्त पूर्व थी।

७. अवकाश के फायदे :—किसी अशासकीय महाविद्यालय में कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा उसके संविलयित किये जाने पर किसी अवकाश को आगे ले जाने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

अपवाद :—तथापि, यदि ऐसा व्यक्ति, अशासकीय महाविद्यालय में की गई सेवा के सम्बन्ध में अवकाश, वेतन अभिदाय (लीवसेलरी कन्ट्रीब्यूशन) का भुगतान कर दे, तो उसे इस प्रकार अर्जित अवकाश को, मध्यप्रदेश रिवाईज्ड रूल्स, १९३४ में निहित निर्बन्धनों तथा अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुये आगे ले जाने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा।

८. स्थायीकरण अधिकार के रूप में नहीं होगा :—इस अनुसूची के उपबन्धों के अधीन शासकीय सेवा में संविलयित कोई भी व्यक्ति ऐसे तथ्य के आधार पर कि वह पूर्व में ही महाविद्यालय द्वारा सेवा में स्थायी किया गया था, शासकीय सेवा में स्थायी किये जाने हेतु अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं करेगा। ऐसे व्यक्तियों का स्थायीकरण समय-समय पर प्रवृत्त शासकीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

९. वेतन निर्धारण :—इस अनुसूची के उपबन्धों के अधीन शासकीय सेवा में संविलयित व्यक्ति का वेतन, उस पद के वेतनमान, जिस पर कि वह संविलयित किया गया है, के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा; तथा संविलयन के दिनांक को उसके द्वारा प्राप्त किये जा रहे वेतन एवं उस वेतन के जिस पर कि उसका निर्धारण किया गया है, अन्तर को, यदि कोई हो, भविष्यकालीन वेतन वृद्धियों में समायोजित किये जाने वाले वैयक्तिक वेतन के रूप में उसे दिया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विनय शंकर
विशेष सचिव

Scanned by CamScanner

म. प्र. शासन, शिक्षा विभाग

क्रमांक ६०२४/४८४६-बीस-मजिसं.स्था., ७८. भोपाल, दिनांक ८-११-७८

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग (महाविद्यालयीन शिक्षा) के आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—

(१) ये नियम मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग (महाविद्यालयीन शिक्षा) आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, १९७८ कहलायेंगे।

(२) ये नियम १ जनवरी, १९७४ से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

२. परिभाषायें :—

इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अनुसूची के कालम (४) में यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी।

(ख) "आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी" से अभिप्रेत है, ऐसे कर्मचारियों को अपवर्जित करते हुये जो कि वर्ष में कतिपय कालावधियों के लिये ही नियुक्त किये जाते है, किसी कार्यालय या स्थापना में पूर्णकाल के लिये नियुक्त व्यक्ति और जिसे मासिक आधार पर भुगतान किया जाता हो तथा जिसका वेतन "कार्यालय आकस्मिकतायें" पर प्रभारित किया जाता है।

(ग) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी।

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य का शासन।

(एक) "अनुसूचित जाति का सदस्य" से अभिप्रेत है, किसी जाति, मूल, वंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूल, वंश या जनजाति के भाग या किसी जाति, मूल, वंश या जनजाति के भीतर के समूह का, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य।

(दो) "अनुसूचित जनजाति का सदस्य" से अभिप्रेत है, किसी जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भीतर के समूह का जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य।

(ङ) "राज्य शासन के अधीन नियमित कर्मचारियों" से अभिप्रेत है, ऐसे शासकीय कर्मचारी जो नियमित नियोजन में है और जो शासन के अधीन ऐसे स्थायी या अस्थायी पद धारण कर रहे हों, जो आकस्मिकता से वेतन पाने वाले पदों से भिन्न हों।

(च) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा।

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची।

३. विस्तार तथा प्रवृत्ति :—

इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित किये गये के सिवाय, मध्यप्रदेश सेवा की सामान्य शर्तें नियम, १९६१ इस सेवा के सदस्यों को लागू होंगे।

४. सेवा का गठन :—

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(१) वे व्यक्ति जो दिनांक १-१-७४ को आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रूप में कम-से-कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों और जो उस दिनांक को, अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद धारण कर रहे थे और जिन्होंने उस दिनांक को अधिवार्षिकी की वह आयु पूरी न कर ली हो, जो कि राज्य शासन के अधीन नियमित नियोजन में समतुल्य वर्ग के पद धारण करने वाले कर्मचारियों के लिये विहित है।

(२) वे व्यक्ति :—

(क) जो १ जनवरी, १९७३ के पश्चात् किन्तु इन नियमों के प्रारम्भ के पूर्व, सेवा में भर्ती किये गये हों।

Scanned by CamScanner

(ख) जो इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों, पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर।

५. वर्गीकरण, पद संख्या आदि :—

सेवा का वर्गीकरण तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी।

६. प्रवर्गीकरण :—

(१) आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी, इन नियमों के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित दो प्रवर्गों में विभाजित किये जायेंगे:—

(एक) स्थायी, तथा

(दो) अस्थायी।

(२) वह कर्मचारी :—

३. (क) जिसने १ जनवरी, १९७४ को ऐसी सेवा पूरी कर ली हो जो पन्द्रह वर्ष से कम न हो।

(ख) जो उक्त तारीख के पूर्व नियुक्त किया गया हो, किन्तु जिसने १ जनवरी, १९७४ को पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी।

(ग) जो उक्त तारीख के पश्चात् नियुक्त किया गया हो।

उपरोक्त (क) की स्थिति में १ जनवरी, १९७४ और (ख) तथा (ग) की स्थिति में पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्थायी आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की प्रास्थिति के लिये पात्र होगा।

७. भर्ती :—

(१) अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन स्थापना, भर्ती तथा ज्येष्ठता को सम्मिलित करते हुये समस्त प्रयोजनों के लिये एक इकाई गठित करेगी।

(२) आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

(२-क) प्रत्येक जिलों में एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) संचालक/प्राचार्य द्वारा नाम निर्दिष्ट एक राजपत्रित अधिकारी—सभापति।

(ख) यथास्थिति, जिला जनजाति कल्याण अधिकारी या जिला संगठक, जनकल्याण—सदस्य।

(ग) सम्बन्धित जिले का रोजगार अधिकारी—सदस्य।

(२-ख) सेवा के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति उप-नियम (२-क) के अधीन गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार की जायेगी।

(२-ग) इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिये राज्य सरकार द्वारा इस बारे में समय-समय पर जारी किये आदेशों के अनुसार उपबन्धित किये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

(२-घ) सेवा के अधीन पदों में सीधी भर्ती सम्बन्धी स्थापना द्वारा इस प्रयोजन के लिये मांग किये जाने पर रोजगार कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गयी सूची में से, की जायेगी और जहां रोजगार कार्यालय में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों, वहां भर्ती विज्ञापन के जरिये आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने के पश्चात् की जायेगी।

(२-ङ) पदों को भरने के लिये शैक्षणिक अर्हतायें ऐसी होंगी जो कि तत्स्थानी पदों पर राज्य सरकार के अधीन नियमित कर्मचारियों के लिये विहित हैं। जहां तत्स्थानी पद न हों, वहां अर्हतायें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की जायेगी।

(२-च) जहां प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अपेक्षित अर्हतायें रखने वाले उम्मीदवार उपलब्ध न हों वहां अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की भर्ती इस शर्त के अध्यधीन रहते हुये की जा सकेगी कि वे सम्बन्धित स्थापना द्वारा इस प्रयोजन में उपबन्धित किये जाने वाले प्रशिक्षण के लिये अवसर का लाभ उठाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर स्वयं को अर्हित कर लें।

Scanned by CamScanner

८. प्रवेश करने वाले नवीन व्यक्तियों की आयु, उनकी शारीरिक योग्यता तथा अधिवार्षिकी आयु :—

भर्ती तथा अधिवार्षिकी के लिये आयु तथा शारीरिक योग्यता के विषय में सेवा में प्रवेश करने वाले नवीन व्यक्तियों को वे नियम तथा वे नीतियां लागू होंगी जो कि नियमित नियोजन में के समतुल्य प्रवर्गों के शासकीय सेवकों को लागू हैं।

९. ज्येष्ठता सूची :—

छटनी के प्रयोजनों के लिये, प्रत्येक प्रवर्ग की ज्येष्ठता सूची प्रत्येक इकाई में या सम्पूर्ण राज्य के आधार पर, जैसा कि शासन द्वारा विनिश्चय किया जाय, बनाये रखी जायेगी। जब कोई कर्मचारी, शासकीय कार्य के हित में एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानान्तरित किया जाय, तो यथास्थिति, छटनी के विषय में, मूल इकाई में उसकी ज्येष्ठता पर ध्यान दिया जायगा।

१०. सेवा अभिलेख :—

स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों के समुचित सेवा अभिलेख, प्रत्येक इकाई स्तर पर सम्यक रूप से सत्यापित किये जाकर उस प्रारूप में रखे जावेंगे, जिसमें शासन के अराजपत्रित कर्मचारी वृन्द के सेवा अभिलेख रखे जाते हैं।

११. सेवामुक्ति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र :—

उस मामले में जब कोई कर्मचारी छटनी के परिणाम स्वरूप या अन्यथा सेवा छोड़ दे तो उसे, मांग की जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक प्रमाण-पत्र निम्नलिखित प्रारूप में दिया जा सकेगा, अर्थात् :—

(१) नाम

(२) पिता का नाम/पति का नाम

(३) पहचान का चिन्ह (यदि कोई हो)

(४) ....से........तक कुल सेवा

(५) सेवा छोड़ते समय धारित नियुक्ति

(६) वेतनमान की दर (यदि कोई हो)

(७) सेवा छोड़ने का कारण

कर्मचारी के हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान

नियुक्ति प्राधिकारी की मुद्रा
तथा पदाभिधान

१२. आचरण :—

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, १९६५ के उपबन्ध सेवा के सदस्यों को लागू होंगे, परन्तु यह कि "कदाचार" में, कर्मचारी की ओर से किये गये निम्नलिखित कार्य तथा लोप भी सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(क) शासन के कारबार या सम्पत्ति के सम्बन्ध में चोरी, कपट या बेईमानी।

(ख) किसी वरिष्ठ के विधिपूर्ण या युक्तियुक्त आदेश की जानबूझ कर अनधीनता या अवज्ञा, चाहे वह अकेले द्वारा या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर की गयी हो।

(ग) शासकीय माल या सम्पत्ति को जानबूझकर नुकसान या हानि।

(घ) रिश्वत या अवैध परितोषण लेना या देना।

(ङ) बिना अवकाश के आभ्यासिक अनुपस्थिति या बिना अवकाश के दस दिन से अधिक की अनुपस्थिति।

(च) आभ्यासिक विलम्ब से उपस्थिति।

(छ) स्थापना या विभाग को लागू किसी विधि का आभ्यासिक भंग।

(ज) स्थापना या विभाग में कार्य घंटों के दौरान कलहात्मक या विश्रृंखल आचरण या ऐसा कोई कार्य जिससे अनुशासन भंग होता हो।

(झ) आभ्यासिक उपेक्षा या कार्य की उपेक्षा जिसके अन्तर्गत कार्य के घण्टों के दौरान सोना आता है।

(ट) किसी कार्य की बार-बार पुनरावृत्ति या उसका लोप।

(ठ) कार्य का पालन करने में जानबूझकर गति धीमी करना।

Scanned by CamScanner

(ड) स्थापना या विभाग की प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी कोई जानकारी प्रकट करना जो कि कर्मचारी को उसके कार्य के अनुक्रम में प्राप्त हो।

(ढ) स्थापना या विभाग के परिसरों में जुआ तथा सट्टा खेलना।

(ण) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के या ऐसे नियम के जो विधि का प्रभाव रखती हो, उपबन्धों का उल्लंघन करते हुये हड़ताल करना या अन्य व्यक्तियों को हड़ताल करने के लिये उद्दीप्त करना।

(त) कार्य के घण्टों के दौरान मद्यपान करना या नशे की हालत में पाया जाना।

(थ) राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध कोई कार्य करना।

१३. शास्तियां :—

किसी कर्मचारी पर, निम्नलिखित शास्तियां, अच्छे तथा पर्याप्त कारणों से अधिरोपित की जा सकेंगी, अर्थात् :—

(एक) परिनिन्दा।

(दो) जुर्माना जो एक समय में एक दिन की उपलब्धियों से अधिक न हो।

(तीन) वेतन वृद्धियों या पदोन्नतियों का रोका जाना।

(चार) उपेक्षा से अथवा किसी विधि के भंग द्वारा शासन को उसके द्वारा पहुंचाई किसी आर्थिक हानि की पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग की वेतन से वसूली।

(पांच) किसी एक समय में १५ दिन से अनधिक कालावधि के लिये निलम्बन (किसी मजदूरी के लिये हकदार हुये बिना)।

(छः) निम्नतर पद या ग्रेड में अवनत किया जाना।

(सात) सेवा से हटाया जाना जो भावी नियोजन के लिये अनर्हता न होगी।

(आठ) सेवा से पदच्युत किया जाना जो कि भावी नियोजन के लिये अनर्हता होगी।

१४. शास्तियों को अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया :—

(१) नियम १३ के खण्ड (छः), (सात) तथा (आठ) में विनिर्दिष्ट की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश :—

(एक) कर्मचारी को, उसके विरुद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव की तथा उन अभिकथनों की, जिनके कि आधार पर वह कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है, लिखित में सूचना, जब ऐसा करना सम्भव हो, देने।

(दो) कर्मचारी को उसके विरुद्ध लगाये गये अभिकथनों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का यथा साध्य शीघ्र अवसर देने,

(तीन) ऐसे स्पष्टीकरण पर, यदि कोई है, विचार करने के पश्चात् ही दिया जायेगा, अन्यथा नहीं परन्तु यह और कि :—

(१) किसी भी व्यक्ति को, सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना सेवा से पदच्युत नहीं किया जायेगा, और

(२) जहां विभागाध्यक्ष, राज्य की सुरक्षा के आधार पर किसी कर्मचारी को सेवा से हटाना आवश्यक समझें ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा।

(२) उप-नियम (१) में निर्दिष्ट लिखित आदेश कर्मचारी को परिदत्त किये जाने पर तत्काल प्रभावी होगा और कर्मचारी द्वारा उसका परिदान स्वीकार करने से इन्कार करने की दशा में, वह आदेश उस स्थापना के, जिसमें कि वह है, सूचना फलक पर चिपका दिया जायेगा और सूचना फलक पर उसके इस प्रकार चिपका दिये जाने से यही समझा जायेगा कि वह आदेश उस पर तामील कर दिया गया है।

१५. अपील :—

(१) कोई भी कर्मचारी नियम १३ के खण्ड (एक) तथा (दो) के अधीन अधिरोपित शास्ति को छोड़कर, ऊपर दिये गये नियम १३ के अधीन उस पर अधिरोपित किसी भी शास्ति के विरुद्ध ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाले प्राधिकारी के ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को शास्ति अधिरोपित करने से एक माह के भीतर अपील कर सकेगा। ऐसे अपीली प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(२) उप-नियम (१) के अधीन कोई अपील, अपीली प्राधिकारी को सीधे प्रस्तुत की जा सकेगी।

१६. निर्वचन :—

यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका कि उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

१७. इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसको ये नियम लागू होते हैं, शासन की ऐसी रीति में कार्यवाही करने की शक्ति को, जो उसे (शासन को) न्यायसंगत तथा उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :—

परन्तु मामले में ऐसी किसी रीति में कार्यवाही नहीं की जावेगी जो कि उसके लिये इन नियमों में उपबन्धित रीति से कम अनुकूल हो।

Scanned by CamScanner

अनुसूची क्रमांक १ (अ)

(नियम ५ देखिये)

संचालनालय महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	नियुक्ति प्राधिकारी
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१.	ड्रायवर	३	तृतीय श्रेणी	संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा
२.	चौकीदार	३	चतुर्थ श्रेणी	"
३.	स्वीपर	३	"	"
४.	स्वीपर कम फर्राश	२	"	"
५.	वाटर मैन	१	"	"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

Scanned by CamScanner

अनुसूची क्रमांक-१ (ब)

(नियम ५ देखिये)

शिक्षण-संस्थायें महाविद्यालय

अनु. क्रमांक (१)	सेवा में सम्मिलित पद का नाम (२)	पदों की संख्या (३)	वर्गीकरण (४)	नियुक्ति प्राधिकारी (५)
१.	इलेक्ट्रिक वायर मैन	१	तृतीय श्रेणी	प्राचार्य
२.	ड्रायवर	१५	"	"
३.	माली	३१	चतुर्थ श्रेणी	"
४.	खल्लासी	२	"	"
५.	चौकीदार	१०९	"	"
६.	स्वीपर	८४	"	"
७.	वाटर मैन	२६	"	"
८.	भृत्य	२२	"	"
९.	फराश	६	"	"
१०.	कान्टीन्जेन्सी पेड सर्वेन्ट	१५	"	"
११.	होस्टल सर्वेन्ट	२८	"	"
१२.	स्वीपर कम गार्डनर	१	"	"
१३.	लैब सर्वेन्ट	४	"	"
१४.	गैस मैन	४	"	"
१५.	वार्ड ब्वाय	१	"	"
१६.	ग्राउण्ड मैन	५	"	"
१७.	माली मजदूर	१३	"	"
१८.	वाटर कैरियर	२	"	"
१९.	मजदूर	३	"	"
२०.	लायब्रेरी सर्वेन्ट	१	"	"
२१.	बुक लिफ्टर	१	"	"
२२.	मेड सर्वेन्ट	१	"	"
२३.	जीयोलाजी मजदूर	१	"	"
२४.	वर्क शाप कुली	१	"	"
२५.	पम्प अटेन्डेन्ट	२	"	"
२६.	बरोनी	२	"	"
२७.	किचन अटेन्डेन्ट	२	"	"
२८.	गेम्स अटेन्डेन्ट	१	"	"
२९.	क्लीनर	७	"	"
३०.	होस्टल बरुआ	१	"	"
३१.	ज्योलाजी सर्वेन्ट	४	"	"
३२.	होस्टल अटेन्डेन्ट	१	"	"
३३.	कुक	६	"	"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

Scanned by CamScanner

इसी प्रकार विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों का समावेश 'बुक आफ फाइनेन्शियल पावर्स' 1995, भाग-दो, पृष्ठ 208—211 में संशोधित रूप से हुआ है (प्रति, यथास्थान दी गयी है)।

(3) नीचे कण्डिका (4) में उल्लिखित व्ययों को छोड़ समस्त आकस्मिक व्यय विभागाध्यक्ष के प्राधिकार पर किया जा सकेगा।

(4) (क) सभी मामलों में निम्नलिखित खर्च के संबंध में शासन की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है:—

(एक) टेलीफोन लगाने का खर्च।

(दो) आकस्मिकता निधि से वेतन पानेवाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों का निर्माण।

(ख) निम्नलिखित खर्च के लिए प्रत्येक के सामने उल्लिखित नियम के अधीनस्थ प्राधिकारी को अधिकार सौंपे जाने की स्थिति को छोड़ शासन की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है—

(एक) रुपये 500 से अधिक मूल्य के प्रत्येक फर्नीचर उपकरण तथा सर्वेक्षण उपकरणों की खरीद।

(दो) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए दखल में लिए गए भवनों का किराया।

(तीन) तम्बुओं की खरीद।

(5) पूर्वोक्त के अधीन कार्यालय प्रमुख उस प्रयोजन के लिए उसके अधिकार में रखी गयी विनियोजन रकम के भीतर आकस्मिक व्यय कर सकेगा या उसकी मंजूरी दे सकेगा : परन्तु—

(एक) ऐसे मामलों में जहां आकस्मिक व्यय की विशिष्ट मद या प्रकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई विरोध नियम, प्रतिबंध सीमा या मान निर्धारित किया गया हो, इसका वहां कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।

टीप.—आकस्मिक व्यय की वैयक्तिक मदों के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित विशेष नियम, प्रतिबंध आदि का उल्लेख मध्यप्रदेश वित्त संहिता, जिल्द दो के परिशिष्ट 6 में किया गया है।

(दो) असाधारण स्वरूप का या ऐसा आकस्मिक व्यय जो शासन द्वारा निर्मित किन्हीं सामान्य या विशेष नियम या आदेश से हटकर हो, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना न तो किया जाना चाहिये और न ही उससे संबंधित दायित्व लेना चाहिये।

(6) ऐसे नियमित आकस्मिक व्यय के संबंध में जिसके लिए वितरण अधिकारी के अधिकार में प्रतिवर्ष एकमुश्त रकम रखी जाती है नियत आवंटन करने वाले प्राधिकारी द्वारा विपरीत निर्देश दिये जाने की स्थिति को छोड़ वार्षिक आवंटन की सीमा के भीतर खर्च की गई रकम के लिए औपचारिक मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होगा।

(7) कार्यालय प्रमुख उपरोक्त उप-कण्डिका (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश कोषागार संहिता, जिल्द एक के सहायक नियम 125 में उल्लिखित शर्तों के अधीन अपने कार्य करने वाले किसी राजपत्रित शासकीय कर्मचारी को व्यय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(8) ऐसे विशेष आकस्मिक व्यय के संबंध में जिसे खर्च करने के लिए वरिष्ठ प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक हो, यदि मंजूर करने वाला प्राधिकारी, व्यय मंजूर करने वाले अपने आदेशों की प्रति महालेखापाल को भेजने की बजाय उस बिल पर जिसमें संबंधित खर्च शामिल किया गया हो, प्रतिहस्ताक्षर करके अपनी मंजूरी देना अधिक सुविधाजनक समझे तो उसके द्वारा ऐसा किया जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और महालेखापाल ऐसे मामले में अलग से मंजूरी नहीं मांगेगा।

विषय.— आकस्मिक व्ययों का वर्गीकरण: (एक) सभी विभागों के लिए सर्वनिष्ठ लागू शीर्ष, (दो) शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के लिए लागू शीर्ष।

[स्रोत: (i) **मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता,** *1987, भाग 1 नियम 98 तथा भाग **II** में परिशिष्ट— सात पृ. 81—82;*

(ii) **मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता,** *1973 कंडिका 132]*

आकस्मिकतायें तथा आकस्मिक व्यय

आकस्मिक व्यय का वर्गीकरण

[शिक्षा संहिता की मूल कंडिका 132]

"(1) आकस्मिक व्यय का वर्गीकरण निम्नानुसार है :—

(एक) सभी विभागों के लिए सामान्य प्रवर्गीकरण

प्रतिहस्ताक्षरित (1)	नियत आकस्मिकतायें (2)	पूर्ण प्रमाणित आकस्मिकताएं (3)
(1) छोटे-मोटे निर्माण कार्य तथा मरम्मत	(1) कार्यालयीन व्यय विधि	(1) टंकणयंत्र, अनुलिपिन्न की खरीद।
(2) दौरा खर्च	(2) सरकारी डाक टिकिट तार खर्च तथा टेलीफोन खर्च।	(2) किराया दर और कर।
(3) भृत्यों का वेतन	(3) प्रत्येक मामले में अधिक से अधिक रु. 10 तक के मूल्य के फर्नीचर तथा उपकरणों की मरम्मत और खरीद लेखन सामग्री की स्थानीय खरीद।	(3) फर्नीचर, यंत्रों और पंखों की मरम्मत और खरीद जो कि प्रत्येक मामले में रुपये 10 से अधिक हो।
(4) आयातित सामग्री पर सीमा शुल्क।	(4) ग्रीष्मकालीन व्यय	(4) तम्बुओं की खरीद।
(5)	(5) पुस्तकों तथा नियतकालिक पत्रिकाओं की खरीद	(5) साइकिल, मोटर, ट्रैक्टर और जीप गाड़ियों की खरीद।
	(6) निश्चित आकस्मिकताएँ	(6) टोपियां हुड तथा छाते।
	(7) विद्युत् तथा अन्य शुल्क	(7) छात्रवृत्तियां।
	(8) मुद्रलेखन यंत्रों का संधारण तथा मरम्मत।	(8) तमगे तथा वर्दियां।
	(9) रेल भाड़ा, मनीआर्डर कमीशन	(9) पेमेन्ट ऑन मॅस्टर रोल।
	(10) कार्यालयों की वार्षिक सफाई	
	(11) तालों, लेम्पों तथा लालटेनों, की खरीद और मरम्मत,	
	(12) लेखन सामग्री का लाना, ले जाना	

विषय.— आकस्मिक व्ययों का वर्गीकरण: (एक) सभी विभागों के लिए सर्वनिष्ठ लागू शीर्ष, (दो) शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के लिए लागू शीर्ष।

[स्रोत: (i) **मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता**, *1987, भाग 1 नियम 98 तथा भाग II में परिशिष्ट— सात पृ. 81—82;*

(ii) **मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता**, *1973 कंडिका 132]*

आकस्मिकतायें तथा आकस्मिक व्यय

आकस्मिक व्यय का वर्गीकरण

[शिक्षा संहिता की मूल कंडिका 132]

"(1) आकस्मिक व्यय का वर्गीकरण निम्नानुसार है :—

(एक) सभी विभागों के लिए सामान्य प्रवर्गीकरण

प्रतिहस्ताक्षरित (1)	नियत आकस्मिकतायें (2)	पूर्ण प्रमाणित आकस्मिकताएं (3)
(1) छोटे-मोटे निर्माण कार्य तथा मरम्मत	(1) कार्यालयीन व्यय विधि	(1) टंकणयंत्र, अनुलिपिन्न की खरीद।
(2) दौरा खर्च	(2) सरकारी डाक टिकिट तार खर्च तथा टेलीफोन खर्च।	(2) किराया दर और कर।
(3) भृत्यों का वेतन	(3) प्रत्येक मामले में अधिक से अधिक रु. 10 तक के मूल्य के फर्नीचर तथा उपकरणों की मरम्मत और खरीद लेखन सामग्री की स्थानीय खरीद।	(3) फर्नीचर, यंत्रों और पंखों की मरम्मत और खरीद जो कि प्रत्येक मामले में रुपये 10 से अधिक हो।
(4) आयातित सामग्री पर सीमा शुल्क।	(4) ग्रीष्मकालीन व्यय	(4) तम्बुओं की खरीद।
(5)	(5) पुस्तकों तथा नियतकालिक पत्रिकाओं की खरीद	(5) साइकिल, मोटर, ट्रैक्टर और जीप गाड़ियों की खरीद।
	(6) निश्चित आकस्मिकताएँ	(6) टोपियां हुड तथा छाते।
	(7) विद्युत् तथा अन्य शुल्क	(7) छात्रवृत्तियां।
	(8) मुद्रलेखन यंत्रों का संधारण तथा मरम्मत।	(8) तमगे तथा वर्दियां।
	(9) रेल भाड़ा, मनीआर्डर कमीशन	(9) पेमेन्ट ऑन मॅस्टर रोल।
	(10) कार्यालयों की वार्षिक सफाई	
	(11) तालों, लेम्पों तथा लालटेनों, की खरीद और मरम्मत,	
	(12) लेखन सामग्री का लाना, ले जाना	

(दो) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों का निर्माण।

(ख) निम्नलिखित खर्च के लिए प्रत्येक के सामने उल्लिखित नियम में अधीनस्थ प्राधिकारी को अधिकार सौंपे जाने की स्थिति को छोड़ शासन की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है :—

(एक)	रुपये 500 से अधिक मूल्य के प्रत्येक फर्नीचर उपकरण तथा सर्वेक्षण उपकरणों की खरीद।	मध्यप्रदेश वित्त संहिता, जिल्द दो के परिशिष्ट 6 की कण्डिका 31।
(दो)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए दखल में लिए गए भवनों का किराया।	मध्यप्रदेश वित्त संहिता, जिल्द दो के परिशिष्ट 6 की कण्डिका 67।
(तीन)	तम्बुओं की खरीद	मध्यप्रदेश वित्त संहिता, जिल्द दो के परिशिष्ट 6 की कण्डिका 87।

(5) पूर्वोक्त के अधीन कार्यालय प्रमुख उस प्रयोजन के लिए उसके अधिकार में रखी गयी विनियोजन रकम के भीतर आकस्मिक व्यय कर सकेगा या उसकी मंजूरी दे सकेगा : परन्तु—

(एक) ऐसे मामलों में जहां आकस्मिक व्यय की विशिष्ट मद या प्रकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई विरोध नियम, प्रतिबंध सीमा या मान निर्धारित किया गया हो, इसका वहां कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।

टीप.—आकस्मिक व्यय की वैयक्तिक मदों के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित विशेष नियम, प्रतिबंध आदि का उल्लेख मध्यप्रदेश वित्त संहिता, जिल्द दो के परिशिष्ट 6 में किया गया है।

(दो) असाधारण स्वरूप का या ऐसा आकस्मिक व्यय जो शासन द्वारा निर्मित किन्हीं सामान्य या विशेष नियम या आदेश से हटकर हो, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना न तो किया जाना चाहिये और न ही उससे संबंधित दायित्व लेना चाहिये।

(6) ऐसे नियमित आकस्मिक व्यय के संबंध में जिसके लिए वितरण अधिकारी के अधिकार में प्रतिवर्ष एकमुश्त रकम रखी जाती है नियत आवंटन करने वाले प्राधिकारी द्वारा विपरीत निर्देश दिये जाने की स्थिति को छोड़ वार्षिक आवंटन की सीमा के भीतर खर्च की गई रकम के लिए औपचारिक मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होगा।

(7) कार्यालय प्रमुख उपरोक्त उप-कण्डिका (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश कोषागार संहिता, जिल्द एक के सहायक नियम 125 में उल्लिखित शर्तों के अधीन अपने कार्य करने वाले किसी राजपत्रित शासकीय कर्मचारी को व्यय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(8) ऐसे विशेष आकस्मिक व्यय के संबंध में जिसे खर्च करने के लिए वरिष्ठ प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक हो, यदि मंजूर करने वाला प्राधिकारी, व्यय मंजूर करने वाले अपने आदेशों की प्रति महालेखापाल को भेजने की बजाय उस बिल पर जिसमें संबंधित खर्च शामिल किया गया हो, प्रतिहस्ताक्षर करके अपनी मंजूरी देना अधिक सुविधाजनक समझे तो उसके द्वारा ऐसा किया जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और महालेखापाल ऐसे मामले में अलग से मंजूरी नहीं मांगेगा।

''आकस्मिक व्यय पर नियंत्रण —

[शिक्षा संहिता की मूल कण्डिका 133]

(1) किसी वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकताओं के रूप में वर्गीकृत कार्यों पर किये गये व्यय पर ऐसे विभागाध्यक्ष या नियंत्रण अधिकारी द्वारा सीधा पर्यवेक्षण या उसकी सूक्ष्म जांच की जानी चाहिये, जो उससे संबंधित विस्तृत बिलों पर हस्ताक्षर करता हो। प्रत्येक अधिकारी

द्वारा किये गये प्रतिहस्ताक्षरित व्यय के संबंध में मासिक विस्तृत बिल संबंधित नियंत्रण अधिकारी को विस्तृत सूक्ष्म जांच तथा प्रतिहस्ताक्षर के बाद महालेखापाल को भेजे जाने के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए। भुगतान के लिए कोषागार में प्रस्तुत किए गए संक्षिप्त बिलों में से ऐसे खर्च के पूरे ब्यौरे दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) सक्षम प्राधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय का उल्लिखित मदों के संबंध में संक्षिप्त बिलों को कोषागार में भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से पहले सूक्ष्म जांच तथा प्रतिहस्ताक्षर के लिए नियंत्रण प्राधिकारी के पास भेजने के लिए कह सकेगा।

(3) ऐसे आकस्मिक व्यय के लिए विस्तृत बिलों का उच्च प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा, जिन्हें कि प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकताओं के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो। इसलिए कोषागार में प्रस्तुत किये गये प्रत्येक बिल में व्यय के पूरे ब्यौरे दिये जाने चाहिये तथा उनकी पुष्टि के लिए बिल में शामिल किये गये, अलग-अलग भुगतानों के संबंध में आवश्यक उप-प्रमाणक (सब-वाउचर) भी संलग्न किये जाने चाहिये।

(4) सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में किये गये आकस्मिक व्यय से संबंधित वितरण तथा नियंत्रण अधिकारियों के कर्तव्यों की तथा उत्तरदायित्वों की परिभाषा मध्यप्रदेश कोषागार संहिता, जिल्द एक के सहायक नियम, 290 से 293 में दी गई है। प्रत्येक विभागाध्यक्ष को ऐसी सहायक हिदायतें जारी करना चाहिये, जो उसके अधीनस्थ नियंत्रण तथा वितरण अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक हों।"

विषय :— आकस्मिक व्यय सम्बन्धी विविध नियम :
शैक्षणिक भ्रमण में होने वाले व्यय के सम्बन्ध में।

स्रोत : *मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता 1987*, भाग दो, परिशिष्ट 6, बिन्दु—2, पृष्ठ 43।

APPENDIX 6

[See Rule 96][1]

Miscellaneous rules relating to contingent charges for Education Dept. Page– 43

2. Art and Science Colleges—Excursion trips of students of—for Botany, Geology, Geography and Zoology.—Students of Arts and Science Colleges undertaking excursion trips in subjects like Botany, Zoology, Geography and Geology, to any part of India may draw a third* class railway fare for railway journeys to and fro and actual motor fare for journeys by a motor vehicle plying for the conveyance of passengers. This is limited to one excursion trip in each subject in each College during each session of the College. The expenditure is debitable to contingencies of the respective Colleges under 'Countersigned Contingencies'.

(Education Department Memo No. 4868-5400-C-XXI, dated the 18th October 1949).

1. Described in back page.

* अब रेल की द्वितीय श्रेणी के लिये

विषय.— महाविद्यालय (एवं स्कूलों) में फर्नीचर क्रय करने के सम्बन्ध में।

स्त्रोत : *मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता, 1987,* भाग दो, परिशिष्ट 6, बिन्दु 28, क्रमांक (3), पृष्ठ 52।

(3) The following officers are delegated with powers as shown below for purchase of furniture for colleges and schools :—

The Secretary to Government, Madhya Pradesh, Education Department as Head of Department for collegiate education—

** Up to Rs. 10,000 for any one indent.

The Principals of Colleges—

** (a) up to Rs. 200 in respect of a single article; and

** (b) up to Rs. 1,000 for any one indent.

The Director of Public Instruction—

up to Rs. 10,000 for any one indent.

The exercise of these powers is subject to the condition that the allotment on this account in the budget is not exceeded. (Education Department Memo. No. 6962-C.R.-147-C-XVIII-54, dated the 22nd August 1955).

(4) The Collectors are delegated with powers to purchase furniture and instruments not exceeding Rs. 500 in aggregate value at a time.

Note.—Purchases are not to be split up for by passing the words 'at a time'. The sprit of the words 'at a time' should be observed strictly.

The exercise of the power is subject to the condition that the allotment on this account in the budget is not exceeded

महाविद्यालय के विभिन्न विभागों (विज्ञान, ग्रंथालय, कार्यालय, स्टोर) को आकस्मिक राशि से आवंटन

[स्त्रोत: प्राचार्य दिग्दर्शिका, 1987, पृ. 129, 130]

इसके अतिरिक्त विभागों के लिए आवश्यक सामग्रियों के क्रय हेतु सत्र के आरंभ में ही, जब शासन से आवंटन प्राप्त होता है, सभी विभागाध्यक्षों की एक बैठक बुलाएं और उनके विभागों के लिए सत्र में आवश्यकता की जानकारी लेकर एक व्यय विवरण पत्रक तैयार कर लें। विभाग के लिए आवंटन देते समय विभिन्न विभागों द्वारा क्रय किये जानेवाले उपकरण एवं अन्य सामग्रियां, ग्रन्थालय में पुस्तकों आदि का ध्यान रखते हुए समुचित राशि की व्यवस्था करें।

प्राचार्य को चाहिए कि आकस्मिक निधि से किया जानेवाला व्यय योजनाबद्ध तरीके से सम्पूर्ण सत्र में करें। प्रायः यह देखा जाता है कि फरवरी, मार्च महीने में अधिकाधिक सामग्री का क्रय किया जाता है और कभी-कभी तो प्राचार्य आवंटित राशि से अधिक भी खर्च कर बैठते हैं। यह उचित नहीं है। प्राचार्य यदि सत्रारंभ से ही आकस्मिक निधि के सुनिश्चित ढंग से व्यय करने के लिए व्यय-पत्रक बना लें तो उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आकस्मिक व्यय पर कड़ाई से नियंत्रण रखना प्राचार्य का कर्त्तव्य है।

स्वीकृतियां —

प्रायः आवश्यकता होने पर कुछ विशेष कार्य के लिए प्राचार्यों को अलग से राशि आवंटित कर व्यय करने की अनुमति दी जाती है। इन्हें **स्वीकृतियां** कहते हैं। इन स्वीकृतियों के अन्तर्गत धनराशि

को खर्च करने की अनुमति दी जाती है वह भी शासकीय निधि से होती है। अतः इस धनराशि का उपयोग उसी निश्चित कार्य के लिए किया जाना चाहिए, जिसके लिए अनुमति दी गयी हो।

छात्रवृत्ति –

छात्रों को दी जानेवाली राशि भी शासकीय निधि ही है। प्राचार्यों को चाहिए कि जब यह राशि प्राप्त हो उसे प्रथमतः बैंक में जमा करें और तत्पश्चात् राशि प्राप्ति की सूचना, सूचनापटल पर लगाते हुए उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान करें। यह प्राचार्य के हित में होगा यदि वे छात्रवृत्तियां पानेवाले छात्र-छात्राओं को बैंक में बचत खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उनकी छात्रवृत्ति राशि को उनके बैंक खाते में ही जमा करें।

66(2) आकस्मिक व्यय-पंजी (Contingent Register)

[स्रोत: (i) *प्राचार्य दिग्दर्शिका, 1987, पृष्ठ 110–111*

(ii) *मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता, 1974, कंडिका 141, 142, पृष्ठ 59, 60*

(iii) *प्राचार्य संदर्शिका, 1992, पृ. 29, क्रमांक 21]*

शासकीय कान्टिन्जेन्ट रजिस्टर का रखरखाव, मध्यप्रदेश कोष संहिता जिल्द—I के सहायक नियम 297–300, पृष्ठ 140 तथा फार्म MPTC–32 (म.प्र.को.सं. खण्ड II पृष्ठ 229) के अनुरूप होगा। (आगे उद्धरित)

"(1) प्रत्येक कार्यालय में मध्यप्रदेश कोषागार संहिता, जिल्द दो के फार्म 32 में एक आकस्मिक व्यय पंजी रखी जाएगी और कार्यालय प्रमुख या उस राजपत्रित अधिकारी के लिए जिसे उसके द्वारा वह कर्त्तव्य सौंपा गया हो, नियंत्रण के तौर पर प्रत्येक मद की चुकान तारीख के सामने संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे। आकस्मिक व्यय पंजी रखी जाने के पीछे उद्देश्य यह है कि संबंधित आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा आकस्मिक व्यय पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जाये और आकस्मिक व्यय के लिए उपलब्ध विनियोजन में से प्रत्येक विस्तृत शीर्ष के अधीन होने वाले व्यय की प्रगति पर उसकी सतर्क दृष्टि रहे। (मध्यप्रदेश को.सं. जिल्द एक के सहायक नियम 297–300)।" (विवरण आगे के पृष्ठों में)।

आकस्मिक व्यय पंजी का रखा जाना :

[शिक्षा संहिता की मूल कण्डिका 142 पर आधारित]

"(1) पंजी के खाने में वास्तविक भुगतान की तारीखें दर्शायी जानी चाहिये और रोकड़ बही में दर्शायी गई तारीखों से मिलनी चाहिए।"

(2) खाने 2 में किसे चुकाया गया में पानेवाले का नाम दर्शाया जाना चाहिये।

(3) खाने 5 में संपूर्ण वित्तीय वर्ष के उप-प्रमाणक (सब-वाउचर) क्रमांक दर्शाये जाने चाहिए।

(4) बाद के खाने में एकदम ऊपर लिखे हुए विनियोजन के साथ सामान्य उपशीर्ष या विस्तृत शीर्ष दर्शाए जाना चाहिए। जब प्रत्येक पृथक् मद का पृथक् रूप से हिसाब रखना या उस पर नजर रखना आवश्यक न हो, तब कम महत्वपूर्ण या मामूली मदें एक ही खाने में इकट्ठी रखी जा सकती है।

(5) वर्णन वाले खाने में भुगतान के पूरे ब्यौरे दिये जाने चाहिए। इस खाने में उस अवधि का माह जिससे आवर्ती खर्च (जैसे किराया, वसूली, मजदूरी आदि) संबंधित है दर्ज किया जाना चाहिए।

(6) प्रत्येक देयक (बिल) का भुगतान पृथक् रूप से दर्शाया जाना चाहिए और रकम वाले खाने में वर्णन के सामने रकम लिखी जानी चाहिये। देयकों (बिलों) का भुगतान मिला-जुलाकर एक साथ दर्शाया जाना चाहिये।

(7) प्रत्येक वर्ग के आकस्मिक व्यय लेखाओं की उप-प्रमाणकों के साथ ही रोकड़ बही की प्रविष्टियों के उनकी जांच करते हुये सूक्ष्म जांच की जानी चाहिये और उसके बाद प्रमुख या ऐसा करने के लिये प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा उनको अभिप्रमाणित किया जाना चाहिये।

(8) प्रत्येक खाने के व्यय के प्रत्येक शीर्ष के अधीन होने वाले व्यय पर नजर रखने की दृष्टि से प्रतिमाह योग और प्रगामी योग लगाया जाना चाहिये।

(9) वर्ष के अन्त में विनियोग की रकम से हुआ व्यय या उसमें हुई बचत निकाली जानी चाहिये।''

(10) कार्यालयीन व्यय के लिए कन्टेन्जेसी आवंटित की जाती है। इस मद से स्टेशनरी, पोस्टेज, फर्नीचर मरम्मत आदि पर व्यय होता है। यह सब कन्टेन्जेसी रजिस्टर में मदवार अंकित किया जाए और इसका बैलेन्स निकालते जाना चाहिए। व्यय से संबंधित सभी रसीदें, वाउचर फाइल में चस्पा करके रखी जाएं। इसी रजिस्टर पर प्राचार्य का प्रमाणीकरण आवश्यक है। **प्राचार्य अपनी डायरी में हर माह यह लिख लें कि अमुक मद में कितनी राशि शेष है ताकि सीमा से बाहर व्यय न हो।**

(11) कान्टिजेंट रजिस्टर पर अंकित कॉलमों में, कान्टिजेंसी से भुगतान किए जानेवाले विभिन्न मद अंकित किये जाएं, जैसे— (क) कन्टिजेंट कर्मचारियों का वेतन, (ख) कार्यालयीन व्यय, (ग) डाक-तार पर व्यय, (घ) टेलीफोन पर व्यय, (च) पुस्तकों की खरीदी पर व्यय, (छ) स्टेशनरी, (ज) उपकरण, (झ) विश्वविद्यालय संबद्धता शुल्क, (ट) वर्दियां आदि।

(12) बजट आवंटन एवं शीर्ष स्पष्ट अंकित किये गये हों।

(13) पहले स्तंभ में भुगतान की तिथि नोट हो।

(14) भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, वाउचर की संख्या, दिनांक एवं धनराशि की प्रविष्टि संबंधित स्तंभ में हो।

(15) प्रत्येक देयक के उपरांत प्रोग्रेसिव योग दिया जाये।

(16) प्रत्येक **फुल्ली वाउच्ड बिल** की प्रविष्टि इस रजिस्टर में की जानी अनिवार्य है।

(17) आवंटन में अधिक आहरण न हो, अतः प्रत्येक बिल की प्रविष्टि के बाद शेष राशि निकाल कर रजिस्टर में अंकित की जाये। इसी प्रकार प्रत्येक माह में व्यय तथा शेष राशि निकालकर अंकित की जाये।

(18) व्यय की गति वर्ष भर समान गति से चले। वित्त वर्ष के अन्त में एकाएक क्रय गति का बढ़ जाना उचित नहीं माना जायेगा। क्रय विधिवत हुआ है इस संबंध में सप्लायर्स को भेजे गये मांग-पत्रों की कार्यालयीन प्रतियों की जावक रजिस्टर में प्रविष्टि, भेजे गये कोटेशन या दर सूचियां, तुलनात्मक चार्ट, क्रय समिति की अनुशंसा, आर्डर की कार्यालयीन प्रति, बिल वाउचर, भुगतान की तिथि तथा भुगतान के बाद प्राप्ति की रसीद भी क्रमवार उपलब्ध होना आवश्यक है।

(19) वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने अर्थात् एक अप्रैल से क्रमानुसार इस रजिस्टर में सब-वाउचर नम्बर अंकित किए जाएं तथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने अर्थात् 31 मार्च तक लगातार उसी क्रम में सब-वाउचर नम्बर सप्लायर्स/भुगतान प्राप्तकर्ता के देयकों पर अलग से डाला जाये। कैश बुक का वाउचर नंबर अलग होगा।

67 अशासकीय निधियाँ

[स्रोत: प्राचार्य दिग्दर्शिका, 1987, पृ. 130-134]

अशासकीय निधियां वे धनराशियाँ है जो शासकीय निधियों से भिन्न होती हैं और प्राचार्य द्वारा एकत्रित की गयी अशासकीय निधियों को नियमानुसार खर्च करने का अधिकार प्राचार्य को होता है। यह निधियां अशासकीय होती हैं फिर भी इसका ऑडिट अन्य शासकीय निधियों के समान ही किया जाता है।

- **प्राचार्य की भूमिका :—**

अशासकीय निधियों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में प्राचार्य की अनेक प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। कुछ निधियों के लिए वह **कस्टोडियन**, कुछ के लिए **एजेंट**, कुछ के लिए **ट्रस्टी** तथा कुछ के लिए वह **प्रशासक** की भूमिका निभाता है।

महाविद्यालय द्वारा निम्न मदों के अन्तर्गत प्राप्त की जाने वाली निधियां **अशासकीय निधियां** कहलाती है :—

(1) विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क, (2) वाचनालय शुल्क,	कस्टोडियन
(3) विश्वविद्यालय नामांकनांक शुल्क, (4) माईग्रेशन शुल्क, (5) फिजिकल वेलफेयर शुल्क, (6) विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, (7) विश्वविद्यालय यूनियन शुल्क,	एजेन्ट
(8) साइकल स्टेण्ड शुल्क, (9) परिपत्र शुल्क, (10) विभागीय पुस्तकालय शुल्क, (11) छात्र कॉमन-रूम शुल्क,	प्रशासक
(12) सम्मिलित निधि— (अ) यूनियन गतिविधियां (ब) क्रीड़ा (13) सोशल गेदरिंग शुल्क, (14) विकास शुल्क (15) रजत/स्वर्ण जयन्ती वर्ष शुल्क, (16) छात्र सहायता निधि, (17) अवधान राशि, (18) जनभागीदारी के तहत व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा महाविद्यालय के हित और विकास के लिए दान और अनुदान	ट्रस्टी

उपर्युक्त अशासकीय निधियों में से प्रथम दो के लिए प्राचार्य को कस्टोडियन की भूमिका निभानी चाहिए। तीन से सात तक की मदों के लिए उसकी भूमिका एक एजेण्ट की होती है जहां एक ओर वह विश्वविद्यालय के लिए छात्रों से शुल्क जमा करवाता है वहीं दूसरी ओर वह जमा किये हुए शुल्क को कुछ समयोपरान्त विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करता है। क्रमांक 8 से 11 तक की मदों के लिए प्राचार्य की भूमिका 'प्रशासक' की होती है जहां वह छात्रों और शिक्षकों के सहयोग से क्रमांक 8 से 11 तक की मदों के अन्तर्गत एकत्रित की गयी निधियों को इस प्रकार खर्च करता है जिससे अधिकाधिक छात्रों का कल्याण हो। क्रमांक 12 से 18 की मदों के अन्तर्गत एकत्रित की हुई निधियों के लिए प्राचार्य ट्रस्टी का कार्य करता है। इन राशियों का व्यय वह सम्मिलित कोष समिति के माध्यम से करता है।

इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य मद हैं जैसे परीक्षा फार्म अग्रेषण शुल्क, परीक्षा संचालन हेतु विश्वविद्यालय से प्राप्त राशि, यू.जी.सी. द्वारा प्राप्त अनुदान राशि आदि जो अशासकीय निधियां ही मानी जाती हैं।

विभिन्न अशासकीय निधियां

- **यू.जी.सी. द्वारा प्राप्त अनुदान :—**

यू.जी.सी. द्वारा महाविद्यालयों को अनेक योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है। यू.जी.सी. द्वारा प्राप्त अनुदान राशि को लेखा पुस्तकों में लिखा जाना चाहिए और उनका विवरण किस प्रकार से रखा जाना चाहिए इसकी सम्पूर्ण जानकारी पूर्व में दी गयी हैं।

- **विकास शुल्क :—**

प्रायः यह देखा जाता है कि **विकास समिति** के गठन के बाद प्राचार्य विकास शुल्क और **जिला विकास समिति** में भेद नहीं कर पा रहे हैं। जिला विकास समिति का गठन अभी-अभी हुआ है जिसमें जिलाध्यक्ष, सांसद, विधायक, गणमान्य नागरिक, भूतपूर्व छात्र आदि होते हैं। यह समिति महाविद्यालय के विकास हेतु कार्य करने के लिए गठित की गयी है। जनभागीदारी के तहत, महाविद्यालय स्थानीय प्रबन्ध समिति के गठन के बाद जिला विकास समिति स्वतः ही प्रभावहीन हो जायेगी। विकास शुल्क छात्रों द्वारा दिया जानेवाला वह शुल्क है जिससे महाविद्यालय को फर्नीचर एवं उपकरण सम्बन्धी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। विकास शुल्क से फर्नीचर एवं उपकरण क्रय करने हेतु प्राचार्य पूर्णतः सक्षम हैं। प्राचार्य को इस सम्बन्ध में संचालनालय से पत्र-व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्राचार्य को केवल इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किया जाने वाला समस्त क्रय नियमानुसार और उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित कोष समिति के माध्यम से ही किया जा रहा है।

- **छात्र सहायता निधि :—**

छात्र सहायता निधि का मुख्य उद्देश्य निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता देना है। शासन ने छात्र सहायता निधि के नियम बनाये हैं (देखिये-विस्तार छात्रवृत्ति शाखा में)। प्राचार्य को चाहिए कि वह इन नियमों के अंतर्गत ही समिति का गठन करते हुए छात्र सहायता निधि में एकत्रित की गयी धनराशि को निर्धन छात्रों में वितरित करें। यह समुचित होगा यदि यह राशि परीक्षा फार्म भरते समय वितरित की जाये क्योंकि इस समय ही निर्धन छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क देने की समस्या होती है।

छात्र सहायता निधि के अन्तर्गत निर्धन छात्रों को वितरित की जाने वाली धनराशि का निर्धारण छात्र सहायता समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाता है। इस समिति की कार्यवाही तथा अनुशंसा एक रजिस्टर में अंकित की जानी चाहिए। जिन छात्र-छात्राओं को यह राशि वितरित की जानी हो उनके नाम सूचना पटल पर प्रदर्शित किये जाना चाहिए। राशि का भुगतान किसी अधिकारी के सामने किया जाना चाहिए। भुगतान के बाद चुकायी गयी राशि की प्रविष्टि अशासकीय कैश बुक में की जानी चाहिए।

- **सम्मिलित कोष : —**

उपर्युक्त अशासकीय निधियों में सम्मिलित कोष के अन्तर्गत एकत्रित की जाने वाली निधियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। सम्मिलित कोष के नियम 4 के अन्तर्गत आय के स्रोत एवं वितरण व्यवस्था विस्तृत रूप में बतलायी गयी है (देखिये विस्तार, आगे के पृष्ठों में)।

- **अशासकीय निधियों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु :—**

(1) शासकीय निधियों की भांति, अशासकीय निधियां भी आडिट योग्य होती हैं।

(2) पूर्व स्वीकृत अशासकीय राशियों के अतिरिक्त, बिना शासन की पूर्वानुमति के कोई भी अशासकीय राशि वसूल न की जाये।

(3) प्राचार्य को सभी अशासकीय राशि को पहले कोषालय में अपने पी.डी. एकाउण्ट में (843 सिविल डिपाजिट में) जमा करना चाहिए।

(4) विश्वविद्यालय की सम्बद्धता राशि का भुगतान इन अशासकीय निधियों से नहीं करना चाहिए।

(5) सम्मिलित कोष से दिये गये अग्रिमों के लिए एक अलग 'अशासकीय अग्रिमों का रजिस्टर' रखना चाहिए। सम्मिलित निधि के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों के लिए इस राशि से अग्रिम देना चाहिए।

(6) जहां तक हो सके पहले अग्रिम का हिसाब प्रस्तुत करने के उपरांत ही दूसरा अग्रिम स्वीकार किया जाए।

(7) सम्मिलित कोष के एक मद की राशि को दूसरे मद में खर्च नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो खर्च करने के पूर्व कार्यकारिणी परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित कर राशि का उपयोग किया जाये और उसका विधिवत समायोजन हो।

(8) पिछले सत्र के देयकों का भुगतान चालू सत्र की राशि से नहीं करना चाहिए।

(9) आकस्मिक राशि से खरीदी गयी वस्तुओं (सायकल, घड़ी, फर्नीचर, डुप्लीकेटर आदि) की मरम्मत अशासकीय निधि से कराना नियमानुकूल नहीं होता है।

(10) प्राचार्य सुनिश्चित करें कि रिजर्व फण्ड एवं सत्र में अवशेष राशि को 30 जून तक एफ.डी. आदि में जमा कर दिया गया है। भविष्य में इस राशि के उपयोग के लिए छात्र कल्याण के कार्यों के विधिवत प्रस्ताव शासन को भेजे जायें और शासन से अनुमति प्राप्त होने पर उनका उपयोग किया जा सकता है।

(इस प्रकार के प्रस्ताव की एक रूपरेखा आगे इसी अध्याय में दी गई है।)

(11) प्राचार्य इस बात का सदैव ध्यान रखें कि वे स्वयं अपने नाम से इस प्रकार का कोई अग्रिम न लें। जन-भागीदारी के तहत स्थानीय व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा महाविद्यालयों के हित और विकास के लिए प्राप्त दान और अनुदानों को प्राचार्य 'वित्त समिति' के माध्यम से नियमानुसार उपयोग करना सुनिश्चित करें।

(12) सम्मिलित कोष समिति की ओर से इस राशि का बजट बनाना चाहिए और बनाए हुए बजट के अनुसार राशि को व्यय करना चाहिए।

(13) प्राचार्य, इस निधि से किसी छात्र को कोई अग्रिम न दें अग्रिम केवल प्रभारी प्राध्यापक को देना चाहिए। प्रभारी प्राध्यापक को दिए गए अग्रिम का समायोजन प्रत्येक वर्ष में 30 जून तक अवश्य किया जाना चाहिए।

(14) प्रभारी प्राध्यापक द्वारा लिए गये अग्रिम का हिसाब, निर्धारित समय-सीमा में न प्रस्तुत करने पर उस राशि का समायोजन उसके वेतन से किया जा सकता है।

(15) 30 जून को पी.डी. कैश बुक में प्राचार्य द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाना चाहिए कि सम्मिलित निधि की अवशिष्ट राशि को रिजर्व फन्ड में जमा कर दिया गया है। इसी प्रमाण पत्र के साथ जिन एफ.डी. रसीदों/रसीद के अन्तर्गत राशियां जमा की गयी हों, उनका नम्बर भी वहीं प्रमाण पत्र के नीचे सुलभ संदर्भ के लिए अंकित किया जाना चाहिए।

सम्मिलित निधि (अमलगमेटेड फण्ड या ए.एफ.)

संदर्भ.—(i) ***मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग (मंत्रालय) ज्ञाप क्र.*** *एफ. 73/41/75/ई-5 बीस, दिनांक 21 अक्टूबर 1975 ।*

(ii) *ज्ञाप क्र. 1927/अड़तीस/ डी.सी.ई./बजट/83, दिनांक 18 अगस्त 1983।*

- **आय के स्रोत और व्यय के शीर्ष तथा विवरण :**

(क) विद्यार्थियों द्वारा ए.एफ. (अशासकीय शुल्क) के तहत जमा राशि, वर्तमान में यह पाठ्येतर गतिविधियों के लिए रु. 20 और क्रीड़ा गतिविधियों के लिए रु. 12 प्रति छात्र (प्रति सत्र) कुल रु. 32 मात्र है।

(ख) किसी निश्छल दानदाता से दानराशि या किसी प्रदर्शन आदि के माध्यम से हुई आमदनी, जिसकी शासन से पूर्वानुमति ले ली गयी हो।

(ग) 'महाविद्यालय विकास शुल्क' की राशि, वर्तमान में यह राशि रु. 25 प्रति विद्यार्थी/प्रति सत्र है।

(घ) यह आवश्यक है कि अन्य शासकीय एवं अन्य अशासकीय निधियों की तरह सम्मिलित निधि का भी विधिवत लेखा रखा जाएगा। इस शुल्क की प्रविष्टि भी अशासकीय डी.एफ.सी. रजिस्टर, जी.एफ.सी. रजिस्टर, ए.एफ. तथा पी.डी. कैश बुकों आदि लेखा रजिस्टरों में की जायेगी एवं आलेखों में नियमानुसार संधारण/रख-रखाव किया जायेगा। यहां पुनः इस बिन्दु पर बल दिया जाना आवश्यक है कि सम्मिलित निधि सदृश अशासकीय फण्ड के लिए किये जा रहे क्रय एवं कार्यों और शासकीय क्रय नियमों में कोई अन्तर नहीं किया गया है। सभी अशासकीय निधियों के व्यय भी शासकीय फण्डों की तरह ही लेखा एवं आडिट नियमों के अन्तर्गत होते हैं।

- **सम्मिलित निधि के व्यय का वर्गीकरण एवं विभक्तीकरण :**

विद्यार्थियों द्वारा जमा सम्मिलित निधि के अशासकीय शुल्क को व्यय करने के लिए निम्नानुसार विभक्त किया गया है :—

क्र.	शुल्क का नाम तथा व्यय के शीर्ष	धनराशि	प्रतिशत	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	**सम्मिलित निधि (पाठ्येतर गतिविधि खण्ड)**	रु.		
(क)	छात्रसंघ चुनाव, शपथ समारोह, स्नेह सम्मेलन के पुरस्कार आदि।	8	40%	
(ख)	साहित्यिक गतिविधियां तथा विभागों के शैक्षणिक कार्यक्रम।	4	20%	
(ग)	वाचनालय, महाविद्यालयीन पत्रिका तथा बुक लिफ्टर/ग्रन्थालय सहायक की अस्थायी व्यवस्था।	6	30%	
(घ)	प्राचार्य के विवेकानुसार	1	5 %	
(च)	रिजर्व फण्ड में जमा (30 जून तक एफ.डी. में जमा किया जाये)	1	5 %	
	कुल :	20	100%	

	(2)	(3)	(4)	(5)
(2)	**खेल-कूद (क्रीड़ा फण्ड) :**	रु.		
(क)	क्रीड़ा गतिविधियाँ, खेल मैदान का रख-रखाव, ग्राउण्ड मैन की वैकल्पिक व्यवस्था तथा खेल सामग्री क्रय करने हेतु।	11.40	95 %	
(ख)	रिजर्व फण्ड में जमा	00.60	5 %	
	कुल :	12.00	100%	
(3)	**दान राशि** (दानदाता द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए)	प्रस्ताव के अनु- सार कार्य पर	95 %	
(क)	जितनी दान राशि प्राप्त हो, उसका 95% भाग जिस कार्य के लिए दान राशि दी गयी है उसके लिए या सम्मिलित निधि समिति के प्रस्ताव के अनुसार खर्च की जाये।			
(ख)	रिजर्व फण्ड में जमा (30 जून तक एफ.डी. में जमा किया जाए)	शेष राशि	5 %	
(4)	**प्रदर्शन एवं शो आदि से प्राप्त राशि :–**			
(क)	जिस कार्य के लिए प्रदर्शन या शो किया गया है उसकी पूर्ति के लिये।	स्वीकृत कार्य हेतु	95%	
(ख)	रिजर्व फण्ड में जमा (30 जून तक एफ.डी. में जमा किया जाए)	शेष राशि	5 %	
		कुल :	100%	
(5)	**महाविद्यालय विकास शुल्क :–**			
(क)	फर्नीचर, उपकरण एवं छात्र-सुविधा कार्यों के लिए खर्च जिसका प्रस्ताव सम्मिलित निधि समिति द्वारा विधिवत पास किया गया हो।	25	100%	
(6)	**स्नेह सम्मेलन/वार्षिकोत्सव :–** इसका उपयोग स्नेह सम्मेलन तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन में किया जाये।	5	100%	

विशेष :–

1. उपरोक्त राशियां (क्रमांक 1 से 6 तक) प्रति छात्र एवं प्रति सत्र हैं।
2. सम्मिलित कोष में खर्च न की जा सकी अवशिष्ट राशि को भी 30 जून तक रिजर्व फण्ड में जमा कर दिया जाना चाहिए।
3. सम्मिलित कोष के नियम 4(1)(ए), (2)(बी), (3)(सी), (4)(डी) के माध्यम से एकत्रित की गयी/की जाने वाली धनराशि के प्रत्येक मद से कम-से-कम 5% धनराशि को रिजर्व फण्ड में जमा किया जाना अनिवार्य है। क्रमांक (ई)/(5) और एफ/(6) के अन्तर्गत वसूल की गयी धनराशि में से 5% रिजर्व फण्ड में भी डालना अनिवार्य नहीं है।

■ **सम्मिलित कोष समिति : संरचना, गठन एवं कार्य : सारांश —**

[संदर्भ.—(i) ***प्राचार्य दिग्दर्शिका (1987),*** *पृष्ठ 32, 33, 131–134*]

(ii) ***मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा मंत्रालय ज्ञाप —***

(1) F-73/41/75/ई-5/बीस, दिनांक 21-10-1975,

(2) क्र. 73/9/79/ई-5/बीस,. दिनांक अगस्त 1979,

(3) क्र. 1927/अड़तीस/आ.उ.शि/बजट/83, दिनांक 18-8-1983]

(2) सम्मिलित कोष समिति की संरचना :—

(क)	अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष	:	प्राचार्य अध्यक्ष एवं पदेन कोषाध्यक्ष
(ख)	उपाध्यक्ष	:	प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के शिक्षकों में से मनोनीत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक
(ग)	सचिव	:	प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के शिक्षकों में से मनोनीत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक
(घ)	ग्यारह सदस्य	:	(1) 5 प्राचार्य द्वारा मनोनीत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक, तथा (2) 6 विद्यार्थी सदस्य निम्नानुसार :— — महाविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष एवं सचिव — विभिन्न खेलों में से दो खेल कप्तान — एक साहित्यिक समिति सचिव — एक सांस्कृतिक समिति सचिव

विद्यार्थियों में से मनोनीत किये जायेंगे। इनके अतिरिक्त शिक्षकों में से (1) क्रीड़ा अधिकारी/खेलकूद प्रभारी, (2) ग्रन्थपाल/ग्रन्थालय एवं वाचनालय प्रभारी, (3) साहित्यिक, (4) सांस्कृतिक समितियों के प्रभारी, तथा (5) छात्रसंघ प्रभारियों को भी सम्मिलित कोष समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत कर देना चाहिए। इन सदस्यों के माध्यम से इन गतिविधियों में हो रही प्रगति की अद्यतन जानकारी समिति को मिलती रहेगी।

प्राचार्य द्वारा, छात्रसंघ चुनाव/या 'छात्र समिति' अथवा शिक्षार्थी-सभा के गठन के तत्काल बाद सम्मिलित निधि का गठन कर देना और उसकी बैठक बुलाकर सत्र के लिए महत्वपूर्ण पाठ्येतर गतिविधियों (क्रीड़ा एवं खेलकूद सहित) की रूपरेखा तैयार कर उसका औपचारिक अनुमोदन कर देना चाहिए।

शासन ने युवा नीति के तहत केन्द्रीय रूप से 'खेलकूद/क्रीड़ा कैलेण्डर' तथा 'सांस्कृतिक कैलेण्डर' तैयार कर दिये हैं। अब प्राचार्य का दायित्व है, सम्मिलित निधि के माध्यम से उनका संचालन करना यथाशीघ्र आरम्भ कर दें।

विषय.—सुरक्षित निधि (Reserve Fund) से क्रय सम्बन्धी प्रस्ताव।

संदर्भ: ***आयुक्त, उच्च शिक्षा, पत्र क्र.*** *955/595/आउशि/क्र. नि/बजट/96, दि. 10 अप्रैल 1996।*

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सम्मिलित निधि (Amalgamated Fund) के संचालन के नियम ज्ञापन क्रमांक एफ. 41/75/ई-5/बीस, भोपाल

दिनांक 21-10-1975 जारी कर निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों में समय-समय पर संशोधन भी हुए हैं।

2. नियम 4 के तहत निधि के आय स्रोत.— राज्य शासन द्वारा अनुमोदित अनुसार विद्यार्थियों से प्राप्त वार्षिक शुल्क, शासन के अनुमोदन पर प्राप्त किए गए दान, निधि के लिए आयोजित प्रदर्शन/कार्यक्रम से आय, खेलकूद के लिए शुल्क, महाविद्यालय निधि में वार्षिक अंशदान, वार्षिक स्नेह सम्मेलन शुल्क तथा रजत/स्वर्ण जयंती शुल्क हैं।

3. नियम 14-सी में सुरक्षित निधि (Reserve Fund) का प्रावधान है। इस निधि में प्रतिवर्ष सम्मिलित निधि की आय का 5 प्रतिशत तथा 30 जून की स्थिति में पूर्व अकादमिक वर्ष में अव्ययित शेष राशि का समावेश किया जाता है। नियम 18 के अनुसार प्राचार्य को प्रतिवर्ष सुरक्षित निधि की राशि को अनुसूचित बैंक में सावधि जमा-पत्र (Fixed Deposit Receipt) के रूप में नियोजित करना चाहिये।

4. सुरक्षित निधि (Rerserve Fund) में जमा राशि का उपयोग आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश की स्वीकृति प्राप्त करने पर महाविद्यालय में विद्यार्थियों की उन सुविधाओं हेतु प्राचार्य कर सकते हैं जिनके लिए अन्य स्रोतों से राशि पूर्णतः या आंशिक रूप में उपलब्ध नहीं होती है।

5. सुरक्षित निधि (Reserve Fund) में जमा राशि के उपयोग के लिए प्रस्ताव सुविचारित रूप में विद्यार्थियों की सुविधाओं के उन्नयन के संदर्भ में वास्तविक रूप में अनुभव की जा रही आवश्यकताओं के अनुरूप जैसे— फर्नीचर क्रय, पीने के पानी की व्यवस्था एवं विद्युत् फिटिंग के लिए होना चाहिए।

6. प्राचार्य की ओर से सुरक्षित निधि (Reserve Fund) में जमा राशि से महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु प्रस्ताव आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर भेजने के लिए निम्न प्रकार से जानकारी देनी होगी :—

(क) सुरक्षित निधि (Reserve Fund) राशि का विवरण: सुरक्षित निधि (Reserve Fund) राशि में सम्मिलित की गई मदवार/शीर्षवार राशियों की जानकारी।

(ख) पूर्व में दो वर्षों में संचित सुरक्षित निधि (Reserve Fund) राशि की जानकारी।

(ग) सुरक्षित निधि (Reserve Fund) यदि बैंक में सावधि जमा-पत्र में विनियोजित है तो उसका विवरण।

(घ) वर्तमान स्थिति में जिला कोषालय द्वारा सत्यापित पी.डी. खाते का बैलेन्स या प्राचार्य द्वारा जारी बैलेन्स प्रमाण-पत्र या दोनों।

(ङ) सुरक्षित निधि (Reserve Fund) से व्यय प्रस्ताव में मध्यप्रदेश भंडार नियम के तहत आवश्यक प्रक्रिया सम्बन्धी अभिलेख (1) प्राप्त कोटेशन/निविदा की तुलनात्मक विवरणी, (2) क्रय-समिति की अनुशंसा, एवं (3) सम्मिलित निधि समिति की अनुशंसा।

7. निर्देशित किया जाता है कि सुरक्षित निधि (Reserve Fund) से क्रय/कार्य करवाने बाबत प्रस्ताव संचालनालय को प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक प्रेषित किए जाएं तथा एक प्रति क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को सूचनार्थ भेजी जाए।

- **विषय**.— **विगत वर्षों की शेष सम्मिलित निधि का महाविद्यालय के विकास कार्यों में उपयोग के सम्बन्ध में अनुमति हेतु प्रस्ताव की रूपरेखा।**

संदर्भ.— *आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग का नीति पत्र क्र. 1/896/बजट/क्रयनिधि/91, दिनांक 1 जनवरी, 1992, तथा पत्र क्र. 955/595/आ.उ.शि./क्र.नि./96, दिनांक 10-4-1996, पृष्ठ 284—285।*

संक्षेप.— प्रस्ताव को निम्नांकित प्रारूप में बनाते हुए सूची के अनुरूप अन्य पूरक जानकारी संलग्न करें—

(1) सामग्रियां यथासंभव शासकीय स्रोतों से बुलायी जायें और उन्हीं के रेट स्वीकृत किए जाएँ:—

क्र.	वस्तु	वस्तु का नाम एवं विवरण	दर प्रति आइटम	संख्या	कुल मूल्य	टिप्पणी
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)

(2) विगत वर्षों की सम्मिलित निधि की अवशेष राशियों की समेकित तालिका [देखिए आगे];

(3) एफ.डी.आर. जिनके माध्यम से राशि जमा की गई की छायाप्रतियां;

(4) सम्मिलित निधि समिति के प्रस्ताव की छायाप्रति;

(5) लघु उद्योग निगम की नवीनतम दरों की सूची;

(6) महाविद्यालय की क्रय समिति की अनुशंसा;

(7) प्रस्ताव, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक के माध्यम से शासन/आयुक्त को प्रेषित किए जाएं। वे प्रस्ताव का हर प्रकार से परीक्षण करने के उपरान्त, अपनी अनुशंसा के साथ उसे/शासन विभाग को अग्रेषित करेंगे।